



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

पहली
FIRST

अनुदानों के लिए पूरक मांगें SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

केन्द्रीय सरकार के व्यय के लिए
FOR EXPENDITURE OF THE CENTRAL GOVERNMENT

2022-2023

(संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) के अनुसार संसद में प्रस्तुत। राष्ट्रपति की सिफारिश, जो मांगें पेश करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1)(क) और (2) के साथ पठित अनुच्छेद 113 के खण्ड (3) के अन्तर्गत आवश्यक है, प्राप्त कर ली गई है)

(Laid before Parliament in pursuance of sub-clause (a) of clause (1) of Article 115 of the Constitution. The recommendation of the President, required under clause (3) of Article 113 read with clauses (1)(a) and (2) of Article 115 of the Constitution for making the Demands has been obtained)

दिसम्बर, December, 2022

परिचायक टिप्पणी

INTRODUCTORY NOTE

विषय : अनुदान की अनुपूरक मांगों का पहला बैच, 2022-2023

Subject : First Batch of Supplementary Demands for Grants, 2022-2023.

2022-23 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के पहले बैच में 75 अनुदान और 6 विनियोग शामिल हैं। ₹4,35,938.87 करोड़ रुपये के सकल अतिरिक्त व्यय को अधिकृत करने के लिए संसद की स्वीकृति मांगी गई है। इसमें से कुल ₹3,25,756.69 करोड़ रुपये के निवल नकद व्यय वाले प्रस्ताव और मंत्रालयों/विभागों की बचत या बढ़ी हुई प्राप्तियों/वसूली से मेल खाने वाले कुल अतिरिक्त व्यय के प्रस्ताव कुल मिलाकर 1,10,180.59 करोड़ रुपये हैं। इसके अलावा, ₹159 लाख, नई सेवा या सेवा की नई लिखत से जुड़े मामलों में बचत के पुनर्विनियोजन को सक्षम करने के लिए व्यय की प्रत्येक मद के लिए एक लाख रुपये के टोकन प्रावधान की मांग की जा रही है।

The first batch of Supplementary Demands for Grants for 2022-23 includes 75 Grants and 6 Appropriations. Approval of the Parliament is sought to authorise gross additional expenditure of ₹4,35,938.87 crore. Of this, the proposals involving net cash outgo aggregate to ₹3,25,756.69 crore and gross additional expenditure, matched by savings of the Ministries/Departments or by enhanced receipts/recoveries aggregates to ₹1,10,180.59 crore. Besides, token provision of ₹159 lakh is being sought, one lakh for each item of expenditure, for enabling re-appropriation of savings in cases involving New Service or New Instrument of Service.

2. निवल नकद व्यय से जुड़े अतिरिक्त व्यय की मदें इस प्रकार हैं:

2. The items of additional expenditure involving net cash outgo are as follows:

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
नकद व्यय	Cash Outgo			
परमाणु ऊर्जा विभाग	DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY			
3 परमाणु ऊर्जा	3 Atomic Energy			
(क) परमाणु ऊर्जा सचिवालय विभाग के स्थापना व्यय के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting additional expenditure towards establishment expenditure of Department of Atomic Energy secretariat.	9.18	...	9.18
(ख) मैसर्स टीवीईएल (₹1216.08 करोड़) रूस से 6 से 11 को फिर से लोड करने के लिए (i) केकेएनपीपी यूनिट 1 और 2 के लिए ईंधन की खरीद के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए; और (ii) स्थापना के तहत आपूर्ति और सामग्री और लघु निर्माण कार्य (₹3.14 करोड़)।	(b) For meeting additional expenditure towards (i) procurement of fuel for KKNPP Unit 1 & 2 from M/s TVEL (₹1216.08 crore) Russia for reload 6 to 11; and (ii) Supplies & Material and Minor Works (₹3.14 crore) under establishment.	900.62	...	900.62
(ग) (i) न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स (₹1407.29 करोड़) द्वारा यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को बकाया भुगतान (ii) न्यूक्लियर रीसायकल बोर्ड (₹166.30 करोड़) और (iii) स्थापना के विभिन्न शीर्षों के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹181.64 करोड़)।	(c) For meeting additional expenditure towards (i) arrears payment to Uranium Corporation of India Limited by Nuclear Fuel Complex (₹1407.29 crore) (ii) Nuclear Recycle Board (₹166.30 crore) and (iii) under various heads of establishment (₹181.64 crore).	862.25	...	862.25
(घ) स्वायत्त निकायों के लिए (i) सामान्य सहायता अनुदान (₹5.10 करोड़), वेतन अनुदान सहायता (₹227.26 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (ii) आपूर्ति और सामग्री के तहत स्थापना व्यय (₹82 करोड़) और (iii) अन्य स्थापना संबंधी व्यय (₹283 करोड़)।	(d) For meeting additional expenditure towards (i) Grants-in-aid General (₹5.10 crore), Grants-in-aid -Salaries (₹227.26 crore) for autonomous bodies (ii) Establishment expenditure under Supplies and Materials (₹82 crore) and (iii) other establishment related expenditure (₹283 crore).	481.21	...	481.21
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS			
6 उर्वरक विभाग	6 Department of Fertilizers			
(क) (i) स्वदेशी पीएंडके सब्सिडी (₹14,889.67 करोड़) और (ii) आयातित पीएंडके सब्सिडी (₹8,232.56 करोड़) के भुगतान के लिए।	(a) For payment towards (i) Indigenous P&K subsidy (₹14,889.67 crore) and (ii) imported P&K subsidy (₹8,232.56 crore).	23,122.23	...	23,122.23

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(ख) 1. भुगतान के लिए (i) स्वदेशी यूरिया सब्सिडी (₹71,860.41 करोड़) और (ii) आयातित यूरिया सब्सिडी (₹14,304.15 करोड़) और (2) भारतीय शिपिंग कंपनियों को सब्सिडी समर्थन (₹2.16 करोड़)।	(b) For 1. payment towards (i) Indigenous Urea subsidy (₹71,860.41 crore) and (ii) imported Urea subsidy (₹14,304.15 crore) and (2) Subsidy support to Indian Shipping Companies (₹2.16 crore).	86,166.72	...	86,166.72
7 औषधि विभाग	7 Department of Pharmaceuticals			
(क) अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (i) सामान्य सहायता अनुदान (₹1 करोड़), वेतन अनुदान-सहायता (₹0.70 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान (₹1 करोड़) राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के तहत जन औषधि योजना के तहत (एनआईपीआईआर) और (ii) सामान्य अनुदान सहायता (₹2.80 करोड़)।	(a) For meeting additional expenditure towards (i) Grants-in-Aid General (₹1 crore), Grants-in-aid Salaries (₹0.70 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹1 crore) under National Institute of Pharmaceuticals Education and Research (NIPER) and (ii) Grants-in-aid General (₹2.80 crore) under Jan Aushadhi Scheme .	2.70	...	2.70
(ख) 1. राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (₹21.69 करोड़) (ii) औषधि उन्नयन विकास योजना (पीपीडीएस) (₹1 करोड़) (iii) के तहत 1. सामान्य सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए औषधियों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएँ (पीएलआई) (₹693 करोड़) और (iv) जन औषधि योजना (₹24.70 करोड़) 2. सामान्य सहायता अनुदान (₹0.40 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान (₹2.21 करोड़) एनआईपीआईआरएस के तहत और 3. राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के तहत मजदूरी (₹0.02 करोड़) और प्रकाशन (₹0.02 करोड़)।	(b) For meeting additional expenditure towards 1. Grants-in-aid General under (i) National Institute of Pharmaceuticals Education and Research (₹21.69 crore) (ii) Pharmaceuticals Promotion Development Scheme (PPDS) (₹1 crore) (iii) Production Linked Incentive Schemes (PLI) for Pharmaceuticals (₹693 crore) and (iv) Jan Aushadhi Scheme (₹24.70 crore) 2. Grants-in-aid General (₹0.40 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹2.21 crore) under NIPERs and 3. National Pharmaceuticals Pricing Authority under wages (₹0.02 crore) and Publication (₹0.02 crore).	21.69	...	21.69
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
10 वाणिज्य विभाग	10 Department of Commerce			
(क) कॉफी बोर्ड के लिए (i) वेतन सहायता अनुदान (₹1 करोड़) और सब्सिडी (₹1 करोड़) के व्यय को पूरा करने के लिए (ii) सामान्य सहायता अनुदान (₹4.50 करोड़) और अनुदान-अनुदान-चाय बोर्ड के लिए वेतन सहायता (₹50 करोड़) और (iii) सब्सिडी (₹0.50) मसाला बोर्ड।	(a) For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid Salaries (₹1 crore) and Subsidies (₹1 crore) for Coffee Board (ii) Grants-in-aid General (₹4.50 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹50 crore) for Tea Board and (iii) Subsidies (₹0.50) Spices Board.	2.00	...	2.00
(ख) निर्दिष्ट कृषि उत्पादों के लिए परिवहन और विपणन सहायता (टीएमए) योजना के तहत राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता योजना के तहत (i) सामान्य सहायता अनुदान (₹456 करोड़) और (ii) सब्सिडी (₹295 करोड़) के लिए व्यय को पूरा करने के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से आहरित अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए।	(b) For meeting expenditure towards (i) Grants in Aid General (₹456 crore) under the scheme National Export Insurance account and (ii) subsidies (₹295 crore) under the scheme Transport and Marketing Assistance (TMA) Scheme for specified agriculture products for recoupment of an advance drawn from the Contingency fund of India.	381.00	...	381.00
संचार मंत्रालय	MINISTRY OF COMMUNICATIONS			
12 डाक विभाग	12 Department of Posts			
(क) माननीय न्यायालय कोलकाता द्वारा दी गई एक डिक्री के प्रति भुगतान के अतिरिक्त प्रावधान को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting additional provision for payment against a decree awarded by Hon'ble Court Kolkata.	1.60	...	1.60

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(ख) आईटी आधुनिकीकरण परियोजना 2.0 के कार्यान्वयन के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए।	(b) For recoupment of Advance from Contingency Fund of India for implementation of IT Modernization Project 2.0.	...	87.00	87.00
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION			
15 खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	15 Department of Food and Public Distribution			
1. खाद्य सब्सिडी (i) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के तहत भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को व्यय को पूरा करने के लिए और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत अतिरिक्त आवंटन के लिए (₹60110.32 करोड़) 2. एनएफएसए के तहत खाद्यान्नों की विकेन्द्रीकृत खरीद के लिए ₹9955.29 करोड़) 3. सामान्य सहायता अनुदान के तहत (i) खाद्यान्नों के अंतर-राज्य परिवहन के लिए राज्य एजेंसियों को सहायता तथा बिना विधायिका वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एनएफएसए योजना के तहत एफपीएस डीलरों का मार्जिन (₹0.50 करोड़) और (ii) वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी (₹1.03 करोड़) और 4. विभिन्न योजनाओं के तहत 'सब्सिडी' (₹40.17 करोड़)। इसमें भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत ₹2 करोड़ के अग्रिम की प्रतिपूर्ति शामिल है।	For meeting expenditure towards 1. food subsidy (i) to Food Corporation of India (FCI) under National Food Security Act (NFSA), 2013 and for additional allocation under Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKAY) (₹60110.32 crore) 2. for Decentralized Procurement of Foodgrains under NFSA (₹9955.29 crore) 3. Grants-in-aid General under (i) Assistance to State Agencies for intra-state movement of foodgrains and FPS dealers' margin under NFSA scheme' for UTs without legislature (₹0.50 crore) and (ii) Warehousing Development and Regulatory Authority (₹1.03 crore) and 4. 'Subsidies' under various Schemes (₹40.17 crore). This includes recoupment of advance of ₹2 crore sanctioned from Contingency Fund of India.	80,348.25	... 80,348.25	
सहकारिता मंत्रालय	MINISTRY OF COOPERATION			
16 सहकारिता मंत्रालय	16 Ministry of Cooperation			
भूमि की खरीद के लिए प्रमुख निर्माण कार्यों पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure on Major Works for purchase of Land.	...	109.78	109.78
संस्कृति मंत्रालय	MINISTRY OF CULTURE			
18 संस्कृति मंत्रालय	18 Ministry of Culture			
(क) 1. (i) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (₹0.50 करोड़), शताब्दी वर्ष और वर्षगांठ, समारोहों और योजनाओं (₹215 करोड़), कला संस्कृति विकास योजना (₹105.86 करोड़) के तहत सामान्य अनुदान के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए, संग्रहालय का विकास (₹121.50 करोड़), बौद्ध तिब्बती संस्थान और स्मारक (₹10 करोड़) (ii) संग्रहालयों को सहायता (₹20 करोड़), अकादमियों (₹47.03 करोड़) और पुस्तकालयों (₹15 करोड़) 2. अनुदान 2. (i) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (₹2 करोड़), संग्रहालयों का विकास (₹51.76 करोड़) और बौद्ध तिब्बती संस्थानों और स्मारकों (₹36 करोड़) के तहत पूंजीगत आस्ति के निर्माण के लिए (ii) संग्रहालयों को सहायता (₹61.29 करोड़), अकादमियों (₹31.38 करोड़) और पुस्तकालय (₹0.35 करोड़) (जिनमें से ₹100 करोड़ भारत की आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए)।	(a) For meeting additional expenditure towards 1. Grant-in-Aid General under (i) Archaeological Survey of India (₹0.50 crore), Centenaries and Anniversaries, Celebrations and Schemes (₹215 crore), Kala Sanskriti Vikas Yojana (₹105.86 crore), Development of Museum (₹121.50 crore), Buddhist Tibetan Institutions and Memorials (₹10 crore) (ii) Support to Museums (₹20 crore), Akademies (₹47.03 crore) and Libraries (₹15 crore) 2. Grants for Creation of Capital Assets under (i) Archaeological Survey of India (₹2 crore), Development of Museums (₹51.76 crore) and Buddhist Tibetan Institutions and Memorials (₹36 crore) (ii) Support to Museums (₹61.29 crore), Akademies (₹31.38 crore) and Libraries (₹0.35 crore) (of			

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
	which ₹100 crore for recoupment of advance drawn from the Contingency Fund of India).	333.77	...	333.77
(ख) शताब्दी वर्ष और वर्षगांठ, समारोहों और योजनाओं (₹0.50 करोड़), संग्रहालय के विकास (₹13.50 करोड़) और पुस्तकालयों और अभिलेखागारों के विकास (₹3 करोड़) के तहत सामान्य अनुदान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (ii) योजना के एनईआर घटक के लिए शताब्दी वर्ष और वर्षगांठ, समारोहों और योजनाओं (₹1.50 करोड़) और संग्रहालय के विकास (₹22.55 करोड़) के तहत पूंजीगत आस्ति के निर्माण के लिए अनुदान।	(b) For meeting additional expenditure towards Grant-in-Aid General under Centenaries and Anniversaries, Celebrations and Schemes (₹0.50 crore), Development of Museum (₹13.50 crore) and Development of Libraries and Archives (₹3 crore) (ii) Grant for Creation of Capital Assets under Centenaries and Anniversaries, Celebrations and Schemes (₹1.50 crore) and Development of Museum (₹22.55 crore) towards NER component of the scheme.	20.25	...	20.25
रक्षा मंत्रालय	MINISTRY OF DEFENCE			
19 रक्षा मंत्रालय (सिविल)	19 Ministry of Defence (Civil)			
(क) प्रभाषित किए गए व्यय हेतु परिव्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting expenditure towards charged expenditure.	0.50	...	0.50
(ख) (i) सीमा सड़क विकास बोर्ड के स्थापना संबंधी व्यय (₹50 करोड़) और (ii) सामान्य सहायता अनुदान (₹165 करोड़) और रक्षा संपदा संगठन के लिए पूंजीगत आस्ति के निर्माण के लिए अनुदानों (₹35 करोड़) के लिए	(b) For (i) establishment related expenditure of Border Road Development Board (₹50 crore) and (ii) Grants-in-aid General (₹165 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹35 crore) for Defence Estates Organisation.	250.00	...	250.00
(ग) तटरक्षक संगठन के पुर्जों की खरीद के लिए पीओएल (₹350 करोड़) और छोटे निर्माण कार्यों (₹150 करोड़) पर व्यय के लिए।	(c) For expenditure on POL (₹350 crore) and minor works (₹150 crore) towards procurement of spares of Coast Guard Organisation.	500.00	...	500.00
(घ) पूर्वोत्तर क्षेत्र में रणनीतिक और सीमावर्ती सड़कों के निर्माण के लिए।	(d) For construction of strategic and border roads in NE region.	...	50.00	50.00
(ङ.) रणनीतिक और सीमावर्ती सड़कों के निर्माण के लिए।	(e) For construction of strategic and border roads.	...	450.00	450.00
20 रक्षा सेवाएं (राजस्व)	20 Defence Services (Revenue)			
वायु सेना के परिवहन (₹9.03 करोड़), भन्डारों (₹10,644.06 करोड़), निर्माण कार्यों (₹386 करोड़) और अन्य व्यय (₹212.21 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (जिसमें ₹1,500 करोड़ ईंधन और ल्यूब्रिकेंट भारत की आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए हैं।	For meeting additional expenditure towards transportation (₹9.03 crore), Stores (₹10,644.06 crore), Works (₹386 crore) and other expenditure (₹212.21 crore) of Air Force (of which ₹1,500 crore for recoupment of advance drawn from the Contingency Fund of India for fuel and lubricants).	7,630.39	...	7,630.39
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
33 लोक उद्यम विभाग	33 Department of Public Enterprises			
(क) राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम को विशेष प्रयोजन माध्यम के रूप में निगमन के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए।	(a) For recoupment of Advance from Contingency Fund of India for incorporation of National Land Monetization Corporation as Special Purpose Vehicle.	3.00	...	3.00
(ख) राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम को इक्विटी योगदान के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए।	(b) For recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of India for equity contribution to National Land Monetization Corporation.	...	150.00	150.00

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
35 राजस्व विभाग	35 Department of Revenue			
(क) जीएसटी मुआवजा उपकर के अतिरिक्त अंतरण के लिए जीएसटी मुआवजा कोष (₹7083 करोड़) और राज्यों को जारी (₹6993.33 करोड़)।	(a) For additional transfer of GST compensation cess to GST Compensation Fund (₹7083 crore) and releases to States (₹6993.33 crore).	7,034.43	...	7,034.43
(ख) जीएसटी मुआवजा उपकर निधि (₹2917.99 करोड़) में अतिरिक्त अंतरण और राज्य क्षेत्रों को जारी करने के लिए (₹2668.67 करोड़)।	(b) For additional transfer to GST Compensation Cess Fund (₹2917.99 crore) and releases to UTs (₹2668.67 crore).	2,916.99	...	2,916.99
(ग) प्रवर्तन निदेशालय के लिए भूमि और तैयार कार्यालय आवास की खरीद के लिए।	(c) For purchase of land and ready built office accommodation for Enforcement Directorate.	...	30.00	30.00
36 प्रत्यक्ष कर	36 Direct Taxes			
(क) कार्यालय भवनों के अधिग्रहण, मरम्मत और नवीनीकरण और निर्माण के लिए।	(a) For acquisition, repair & renovation and construction of office buildings.	...	69.72	69.72
(ख) भूमि के अधिग्रहण और आवासीय भवनों के निर्माण के लिए।	(b) For acquisition of land and construction of residential buildings.	...	52.63	52.63
गृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS			
51 पुलिस	51 Police			
(i) विज्ञापन और प्रचार (₹1.12 करोड़), हथियार और गोला-बारूद (₹1.45 करोड़), कपड़े और तम्बू (₹95.61 करोड़), राशन की लागत (₹670.80 करोड़), डीटीई (₹762.36 करोड़), एफटीई (₹5.13 करोड़), पूंजीगत आस्ति के निर्माण के लिए अनुदान (₹22.03 करोड़), जीआईए- सामान्य (₹833.16 करोड़), जीआईए- वेतन (₹0.41 करोड़), चिकित्सा उपचार (₹148.50 करोड़), लघु निर्माण कार्य (₹44.55 करोड़), कार्यालय व्यय (₹414.31 करोड़), अन्य प्रशासनिक व्यय (₹21.31 करोड़), अन्य शुल्क (₹109.81 करोड़), पी.ओ.एल (₹129.02 करोड़), व्यावसायिक सेवाएँ (₹787.62 करोड़), प्रकाशन (₹2.52 करोड़), किराया, दर : कर (₹3.46 करोड़), पुरस्कार (₹1.03 करोड़), वेतन (₹2833.97 करोड़), गुप्त सेवा व्यय (₹9.50 करोड़), आपूर्ति और सामग्री (₹0.30 करोड़), मजदूरी (₹1.71 करोड़) (ii) अनुदान ग्राम जीवंत कार्यक्रम (वीवीपी) के लिए पूंजीगत आस्ति (₹5 करोड़), अन्य प्रशासनिक व्यय (₹0.01 करोड़), व्यावसायिक सेवाएँ (₹0.02 करोड़) के निर्माण के लिए (iii) छोटे निर्माण काम (₹1 करोड़), अन्य शुल्क (₹2 करोड़) सशस्त्र सीमा बल/स्वच्छता के तहत और कार्यालय व्यय (₹2 करोड़) (जिनमें से ₹24.61 करोड़ और ₹11.50 करोड़ जीएफआर 2017 के परिशिष्ट-10 के अतिरिक्त व्यय के लिए स्वीकृति के नियमितीकरण के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से आहरित अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए-	For (i) Advertising & Publicity (₹1.12 crore), Arms & Ammunition (₹1.45 crore), Clothing & Tentage (₹95.61 crore), Cost of Ration (₹670.80 crore), DTE (₹762.36 crore), FTE (₹5.13 crore), Grants for creation of capital assets (₹22.03 crore), GIA- General (₹833.16 crore), GIA-Salaries (₹0.41 crore), Medical Treatment (₹148.50 crore), Minor Works (₹44.55 crore), Office Expenses (₹414.31 crore), Other Administrative Expenses (₹21.31 crore), Other Charges (₹109.81 crore), P.O.L (₹129.02 crore), Professional Services (₹787.62 crore), Publications (₹2.52 crore), Rent, Rate & Taxes (₹3.46 crore), Rewards (₹1.03 crore), Salaries (₹2833.97 crore), Secret Service Expenditure (₹9.50 crore), Supplies & Material (₹0.30 crore), Wages (₹1.71 crore) (ii) Grants for creation of Capital Assets (₹5 crore), Other Administrative Expenses (₹0.01 crore), Professional Services (₹0.02 crore) for Village Vibrant Programme (VVP) (iii) Minor works (₹1 crore), Other Charges (₹2 crore) and Office Expenses (₹2 crore) under Shashatra Seema Bal/ Swatchta (of which ₹24.61 crore for recoupment of advance drawn from the Contingency Fund of India).	1,382.34	...	1,382.34
53 चंडीगढ़	53 Chandigarh			
(क) माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और बकाया राशि के भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	(a) For meeting additional expenditure for payment of salaries and arrears of judges of Hon'ble Punjab and Haryana High Court.	1.49	...	1.49
(ख) माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय के कर्मचारियों के वेतन और बकाया राशि के भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	(b) For meeting additional expenditure for payment of salaries and arrears of employees of Hon'ble Punjab and Haryana High Court and District Court.	132.00	...	132.00

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(ग) पुलिस विभाग के कर्मचारियों के वेतन एवं बकाया राशि के भुगतान हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	(c) For meeting additional expenditure for payment of salaries and arrears of employees of police department.	100.00	...	100.00
(घ) इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारियों के वेतन और बकाया राशि के भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	(d) For meeting additional expenditure for payment of salaries and arrears of employees of engineering department.	19.63	...	19.63
(ङ.) वेतन और बकाया राशि के भुगतान के लिए वेतन (₹77 करोड़) और अनुदान सहायता वेतन (₹15.21 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु	(e) For meeting additional expenditure towards Salaries (₹77 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹15.21 crore) for payment of salaries and arrears.	48.21	...	48.21
(च) स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के वेतन और बकाया राशि (₹22.86 करोड़) तथा राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (₹15 करोड़) के भुगतान हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	(f) For meeting additional expenditure for payment of salaries and arrears of employees of Health Department (₹22.86 crore) and Government Medical College and Hospital (₹15 crore).	15.00	...	15.00
(छ) अभियांत्रिकी विभाग के कर्मचारियों के वेतन एवं बकाया राशि के भुगतान हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	(g) For meeting additional expenditure for payment of salaries and arrears of employees of engineering department.	5.88	...	5.88
(ज) विद्युत विभाग के कर्मचारियों के वेतन एवं बकाया राशि (₹40 करोड़) के भुगतान तथा नगर निगम चंडीगढ़ को संपत्ति कर के भुगतान (₹5.62 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु।	(h) For meeting additional expenditure for payment of salaries and arrears to employees of Electricity Department (₹40 crore) and for payment of property Tax to the Municipal Corporation, Chandigarh (₹5.62 crore).	40.00	...	40.00
(झ) परिवहन विभाग के कर्मचारियों के वेतन एवं बकाया राशि (₹34.12 करोड़) के भुगतान एवं पी.ओ.एल. (₹18 करोड़) के भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु।	(i) For meeting additional expenditure for payment of salaries and arrears to employees of Transport Department (₹34.12 crore) and for payment of P.O.L. (₹18 crore).	34.12	...	34.12
54 दादरा एवं नागर हवेली तथा दमन और दीव	54 Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu			
(क) विभिन्न संस्थानों यानी दीव स्मार्ट सिटी लिमिटेड, सिलवासा नगर परिषद् आदि को सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹200 करोड़)।	(a) For meeting additional expenditure for Grants-in-aid to various institutions i.e. Diu Smart City Limited, Silvassa Municipal Council etc (₹200 crore).	46.90	...	46.90
(ख) पुलिस वाहन, पुलिस के लिए नए एचएफ/वीएचएफ संचार उपकरण की खरीद के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional expenditure for purchase of Police Vehicle, new HF/VHF communication equipment for Police.	...	5.00	5.00
(ग) विभिन्न सरकारी भवनों के नवीनीकरण, जीर्णोद्धार और निर्माण के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹30 करोड़)।	(c) For meeting additional expenditure for renovation, restoration and construction of various government buildings (₹30 crore).	...	18.00	18.00
(घ) चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य विभाग से संबंधित विभिन्न विकास कार्यों हेतु अतिरिक्त व्यय (₹10 करोड़) की पूर्ति हेतु।	(d) For meeting additional expenditure for various development works related to medical & public health department (₹10 crore).	...	7.00	7.00
(ङ) पर्यटन विभाग के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों हेतु अतिरिक्त व्यय (₹30 करोड़) की पूर्ति हेतु।	(e) For meeting additional expenditure for various development works under Tourism Department (₹30 crore).	...	24.00	24.00
58 जम्मू और कश्मीर को अंतरण	58 Transfers to Jammu and Kashmir			
राजस्व/संसाधन अंतर (₹8106.69 करोड़) और झेलम तवी बाढ़ रिकवरी परियोजना (जेटीएफआरपी) के लिए अतिरिक्त व्यय (₹850 करोड़) को पूरा करने हेतु।	For meeting revenue/resource gap (₹8106.69 crore) and additional expenditure for Jhelum Tawi Flood Recovery Project (JTFRP) (₹850 crore)	8,956.69	...	8,956.69

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
59 पुडुचेरी को अंतरण राजस्व/संसाधन अंतर को पूरा करने के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान करने के लिए।	59 Transfers to Puducherry For providing additional Central Assistance to meet the revenue/ resource gap.	1,400.00	...	1,400.00
सूचना और प्रसारण मंत्रालय	MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING			
61 सूचना और प्रसारण मंत्रालय	61 Ministry of Information and Broadcasting			
(क) राज्य विशिष्ट अभियानों और 'न्यू इंडिया समाचार' के मुद्रण और वितरण के लिए (i) विज्ञापन और प्रचार (₹10.35 करोड़) के खर्च को पूरा करने के लिए और विकास संचार एवं सूचना प्रसार के तहत एनिमेटेड वीडियो श्रृंखला, सरकारी पहल पर अभियान के आयोजन के लिए भी (ii) सहायता अनुदान सामान्य (₹10 करोड़), पूंजीगत आस्ति के निर्माण के लिए अनुदान (₹0.01 करोड़), जीआईए-वेतन (₹0.01 करोड़) और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के लिए जीआईए-सामान्य [(स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी)) (₹0.01 करोड़) (iii) भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के लिए दो इनडोर स्टूडियो के निर्माण के लिए पूंजीगत आस्ति के निर्माण के लिए अनुदान (₹11.69 करोड़) और अनुदान सहायता वेतन (₹1.45 करोड़) (iv) महामारी के बाद की स्थिति में सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान में अकादमिक गतिविधियों के बैकलॉग को ऑफसेट करने और समाशोधन के लिए जीआईए-जनरल (₹1 करोड़) और (v) जीआईए-जनरल (₹55 करोड़) और फिल्मी सामग्री योजना का विकास संचार और प्रसार के कार्यान्वयन हेतु एनएफडीसी को पूंजीगत आस्ति के निर्माण के लिए अनुदान (₹0.01 करोड़)।	(a) For meeting expenditure towards (i) Advertising & Publicity (₹10.35 crore) for state specific campaigns and printing & distribution of 'New India Samachar' and also, for organising animated video series, campaign on Government initiative under Development Communication & Information Dissemination (ii) Grant-in-aid General (₹10 crore), Grants for Creation of Capital Assets (₹0.01 crore), GIA-Salary (₹0.01 crore) and GIA-General [Swachchata Action Plan(SAP)] (₹0.01 crore) for National Film Development Corporation (iii) Grants for Creation of Capital Assets (₹11.69 crore) and Grants-in-Aid Salaries (₹1.45 crore) for construction of two indoor studios for Film and Television Institute of India (iv) GIA-General (₹1 crore) for offsetting and clearing backlog of academic activities in Satyajit Ray Film and Television Institute in the post pandemic situation under and (v) GIA-General(₹55 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹0.01 crore) to NFDC for implementing Development Communication & Dissemination of Filmic Content scheme.	10.34	...	10.34
(ख) (i) प्रसार भारती के लिए वेतन संबंधी व्यय के लिए जीआईए-वेतन (₹209.22 करोड़) और (ii) ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट स्कीम के तहत जी -20 आयोजनों हेतु जीआईए-जनरल (₹73.12 करोड़) के लिए।	(b) For (i) GIA-Salaries (₹209.22 crore) for salary related expenditure for Prasar Bharati and (ii) GIA-General (₹73.12 crore) for G-20 events under the scheme Broadcasting Infrastructure & Network Development.	190.88	...	190.88
कानून और न्याय मंत्रालय	MINISTRY OF LAW AND JUSTICE			
66 निर्वाचन आयोग सूचना प्रौद्योगिकी के तहत अतिरिक्त व्यय (₹73.35 करोड़) को पूरा करने के लिए।	66 Election Commission For meeting additional expenditure under Information Technology (₹73.35 crore).	67.24	...	67.24
67 भारत का उच्चतम न्यायालय उच्चतम न्यायालय संग्रहालय के उन्नयन एवं कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग हेतु कार्यालय व्यय के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	67 Supreme Court of India For meeting additional expenditure under Office Expenses for upgradation of Supreme Court Museum and outsourcing of staff.	4.01	...	4.01

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY			
71 नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (i) सौर ऊर्जा (ग्रिड) (₹398.97 करोड़), बायो-पावर (ग्रिड) (₹2.46 करोड़), अनुसंधान और विकास (₹10 करोड़), सौर ऊर्जा (ग्रिड) के लिए पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान प्रदान करना - अनुसूचित जाति उप-योजना (₹34 करोड़) और सौर ऊर्जा (ग्रिड) - जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (₹50 करोड़) (ii) अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) के लिए सहायता अनुदान (₹100 करोड़ प्रदान करना और राष्ट्रीय जैव ऊर्जा संस्थान) (₹0.40 करोड़) (iii) पवन ऊर्जा (ग्रिड) के तहत ₹368 करोड़ की सब्सिडी, जिसमें अनुसूचित जाति उप-योजना और जनजातीय क्षेत्र उप-योजना प्रत्येक के लिए ₹50 करोड़ शामिल हैं, के लिए।	71 Ministry of New and Renewable Energy For (i) providing grants for creation of capital assets for Solar Power (Grid) (₹398.97 crore), Bio-Power (Grid) (₹2.46 crore), Research and Development (₹10 crore), Solar Power (Grid) – Scheduled Caste Sub-plan (₹34 crore) and Solar Power (Grid) – Tribal Area Sub-plan (₹50 crore) (ii) providing Grants-in-aid for International Solar Alliance (ISA) (₹100 crore and National Institute of Bio Energy (₹0.40 crore) (iii) subsidy of ₹368 crore under Wind Power (Grid) including ₹50 crore each for Scheduled Caste Sub-Plan and Tribal Area Sub-Plan.	132.32	...	132.32
पंचायती राज मंत्रालय	MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ			
72 पंचायती राज मंत्रालय राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत राज्य सरकारों को अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराने के लिए।	72 Ministry of Panchayati Raj For providing additional funds to State Governments under Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan.	37.20	...	37.20
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS			
75 केंद्रीय सतर्कता आयोग चिकित्सा उपचार (₹0.15 करोड़), घरेलू यात्रा व्यय (₹0.15 करोड़) और कार्यालय व्यय (₹1.20 करोड़) के तहत स्थापना व्यय को पूरा करने के लिए।	75 Central Vigilance Commission For meeting establishment expenditure under Medical Treatment (₹0.15 crore), Domestic Travel Expenses (₹0.15 crore) and Office Expenses (₹1.20 crore).	1.50	...	1.50
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS			
76 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (i) घरेलू एलपीजी संचालन के तहत तेल विपणन कंपनियों को भुगतान (₹22,000 करोड़) (ii) नुमालीगढ़ रिफाइनरी विस्तार परियोजना के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹245 करोड़) (iii) भारत के लिए मर्चेंट शिप की फ्लैगिंग को बढ़ावा देना (₹215.62 करोड़) (iv) प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना (₹7210 करोड़) के लिए।	76 Ministry of Petroleum and Natural Gas For (i) payments to Oil Marketing Companies under Domestic LPG Operations (₹22,000 crore) (ii) Grants-in-aid General (₹245 crore) for Numaligarh Refinery Expansion Project (iii) promotion of flagging of Merchant Ships for India (₹215.62 crore) (iv) providing LPG connections to Poor Households under Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY) (₹7210 crore).	24943.68	...	24943.68
योजना मंत्रालय	MINISTRY OF PLANNING			
77 योजना मंत्रालय (क) नीति आयोग के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। (ख) अटल नवाचार मिशन के तहत सामान्य अनुदान सहायता (₹6.90 करोड़) और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के लिए जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जीआईसीए) से आधिकारिक विकास सहायता (ओडीए) (₹497.10 करोड़) (ii) राज्य सहायता मिशन	77 Ministry of Planning (a) For meeting additional expenditure towards NITI Aayog. (b) For meeting additional expenditure towards (i) Grant-in-Aid General under Atal Innovation Mission (₹90 crore) and Official Development Assistance (ODA) from Japan International Cooperation Agency (JICA) for	21.94	...	21.94

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(₹6.50 करोड़) और अन्य शीर्ष (₹2.90 करोड़) (जिनमें से ₹400 करोड़ भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	Sustainable Development Goals (SDGs) (₹497.10 crore) (ii) State Support Mission (₹0.50 crore) and (iii) other heads (₹2.90 crore) (of which ₹400 crore for recoupment of advance sanctioned from the Contingency Fund of India)	590.50	...	590.50
(ग) अटल नवाचार मिशन के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(c) For meeting additional expenditure towards Atal Innovation Mission.	...	10.00	10.00
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS			
78 पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय	78 Ministry of Ports, Shipping and Waterways			
(क) भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय (आईएमयू) के अवसंरचना विकास के तहत पूंजीगत आस्ति (₹39 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹22.46 करोड़) के निर्माण के लिए अनुदान हेतु।	(a) For Grants for creation of Capital Assets (₹39 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹22.46 crore) under infrastructure development of Indian Maritime University (IMU).	13.08	...	13.08
(ख) (i) सागरमाला के तहत प्रमुख कार्य (₹33 करोड़) और (ii) विशाखापत्तनम पत्तन प्राधिकरण (पोर्ट अथॉरिटी), गुजरात स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड आदि की परियोजनाओं में सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा इक्विटी के भुगतान के लिए निवेश (₹46.57 करोड़) के प्रति अतिरिक्त खर्च को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure towards (i) Major Works under Sagarmala (₹33 crore) and (ii) Investment for payment of equity by Sagarmala Development Company Limited in projects of Vishakhapatnam Port Authority, Gujarat State Administrative Infrastructure Ltd etc (₹46.57 crore).	...	70.79	70.79
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उपराष्ट्रपति का सचिवालय	THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION AND THE SECRETARIAT OF THE VICE PRESIDENT			
80 राष्ट्रपति के कर्मचारी (स्टाफ), परिवार और भत्ते	80 Staff, Household and Allowances of the President			
अतिरिक्त स्थापना व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting additional establishment expenditure.	5.35	...	5.35
82 राज्य सभा	82 Rajya Sabha			
राज्य सभा के सभापति/उपसभापति के 'अन्य प्रशासनिक व्यय' के अंतर्गत अतिरिक्त आतिथ्य व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting additional hospitality expenditure under 'Other Administrative Expenses' of Chairman/Deputy Chairman, Rajya Sabha.	0.75	...	0.75
84 संघ लोक सेवा आयोग	84 Union Public Service Commission			
परीक्षाओं और चयनों (₹20 करोड़) और प्रशासनिक व्यय (₹0.67 करोड़) पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure on Examinations and Selections (₹20 crore) and Administrative expenditure (₹0.67 crore).	20.67	...	20.67
रेल मंत्रालय	MINISTRY OF RAILWAYS			
85 रेल मंत्रालय	85 Ministry of Railways			
भारतीय रेलवे-वाणिज्यिक लाइनों पर पूंजीगत परिव्यय के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure under Capital Outlay on Indian Railways - Commercial Lines.	...	12,000.00	12,000.00
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS			
86 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	86 Ministry of Road Transport and Highways			
(क) राष्ट्रीय निवेश कोष (₹20 करोड़) से वित्तपोषित एनईए के लिए सीमा सड़क विकास बोर्ड	(a) For meeting additional expenditure towards Major Works for payment to			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
के तहत चल रहे कार्यों के लिए ठेकेदार को भुगतान के लिए प्रमुख कार्यों के लिए और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के लिए सड़क शाखा के तहत सड़क विकास कार्यों - राष्ट्रीय निवेश कोष से वित्तपोषित (₹2920 करोड़) का अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	contractor for ongoing works under Border Road Development Board for NEA - Financed from National Investment Fund (₹20 crore) and Road Development Works under Road Wing for North Eastern Areas- Financed from National Investment Fund (₹2920 crore).	...	2,940.00	2,940.00
(ख) अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 1. सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (₹13500 करोड़) से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) में निवेश। 2. स्थाई पुल शुल्क निधि (पीबीएफएफ) से निवेश के तहत अतिरिक्त खर्च को पूरा करना (₹4090.62)। 3. मुख्य कार्य-(i) बाहरी सहायता योजना के तहत - विश्व बैंक, हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना (₹74 करोड़)। (ii) अन्य योजनाओं (जीबीएस) (₹836 करोड़)। (iii) राष्ट्रीय राजमार्गों के तहत सामान्य घटक के लिए प्रमुख कार्यों पर अतिरिक्त व्यय मूल कार्य - सीआरआईएफ से वित्तपोषित (₹6266.40 करोड़)। (iv) अंतर्राज्यीय या आर्थिक महत्व की सड़कों (₹100 करोड़)। (v) विदेशी सहायता प्राप्त योजनाओं के लिए प्रमुख कार्यों पर अतिरिक्त व्यय - विश्व बैंक, हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना (जीएनएचसीपी) काउंटरपार्ट फंड (₹51 करोड़) के तहत। (vi) वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संपर्क (एनएच और राज्य सड़कों) के विकास के तहत (₹61 करोड़)। (vii) टीएसपी घटक के लिए भारतमाला परियोजना के तहत - सीआरआईएफ से वित्तपोषित (₹2250 करोड़)। 4. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के लिए सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (सीआरआईएफ) में इंटर एकाउंट ट्रांसफर (₹13500 करोड़)। (i) अन्य राष्ट्रीय राजमार्ग योजनाओं (₹8033.82 करोड़) के लिए सीआरआईएफ को अंतर खाता अंतरण। (ii) अंतरण स्थायी पुल शुल्क निधि (पीबीएफएफ) (₹4085 करोड़)। (iii) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय निवेश कोष (₹2940 करोड़)।	(b) For meeting additional expenditure towards 1. Investment in National Highways Authority of India (NHAI) from Central Road and Infrastructure Fund (₹13500 crore) 2. Investment from Permanent Bridge Fee Fund (PBFF) (₹4090.62 crore) 3. Major Works (i) under Externally Aided Scheme - World Bank, Green National Highways Corridor Project (₹74 crore) (ii) Other Schemes (GBS) (₹836 crore) (iii) for General Component under National Highways Original Works - Financed from CRIF (₹6266.40 crore) (iv) Roads of Inter State or Economic Importance (₹100 crore) (v) for Externally Aided Schemes - World Bank, Green National Highways Corridor Project (GNHCP) under Counterpart Fund (₹51 crore) (vi) under Development of Road connectivity (NH and State Roads) in Left Wing Extremist Affected Areas (₹61 crore) (vii) under Bharatmala Pariyojana for TSP component-Financed from CRIF (₹2250 crore) 4. additional Transfer to (i) Central Road and Infrastructure Fund (CRIF) meant for National Highways Authority of India (NHAI) (₹13500 crore) and other National Highways schemes (₹8033.82 crore) and (ii) Permanent Bridges Fees Fund (PBFF) (₹4085 crore) and (iii) National Investment Fund meant for North East Region (₹2940 crore).	...	14,978.91	14,978.91

ग्रामीण विकास मंत्रालय

87 ग्रामीण विकास मंत्रालय

- (क) (i) 'राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष' (एनईजीएफ) के लिए ₹16,400 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि; और (ii) "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी" योजना के अंतर्गत पूंजीगत आस्ति के सृजन के लिए ₹11,480 करोड़ के अनुदान का प्रावधान।
- (ख) 'श्यामा प्रसाद मुखर्जी ग्रामीण-शहरी मिशन' (एसपीएमआरएम) के लिए सामान्य अनुदान के रूप में अतिरिक्त धनराशि (₹85.84 करोड़) का प्रावधान;

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

87 Department of Rural Development

- (a) For (i) providing additional funds for National Employee Guarantee Fund (NEGF) (₹16,400 crore) and (ii) Grants for Creation of Capital Assets (₹11,480 crore) under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme. 16400.00 ... 16400.00
- (b) For providing Grants-in-aid General (₹85.84 crore) for Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission (SPMRM). 2.43 ... 2.43

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(ग) (i) 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी' योजना के अंतर्गत 'राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष' से वित्तपोषित की जाने वाली पूंजीगत आस्ति (₹4,920 करोड़) के सृजन के लिए अनुदान के व्यय के लिए और प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण पर व्यय करने के लिए ₹28,422 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुबन मिशन (एसपीएमआरएम) (₹352.47 करोड़) और इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धवस्था योजना (₹37.78 करोड़) (iii) पीएमएवाई-आर हेतु भारत की आकस्मिकता निधि से ₹13000 करोड़ की प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि।	(c) For (i) providing additional funds to incur expenditure towards Grants for Creation of Capital Assets (₹4,920 crore) under 'Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee' scheme and Pradhan Mantri Awas Yojana-Rural (₹28,422 crore) and (ii) Grants-in-aid General under 'Shyama Prasad Mukherjee Rurban Mission' (SPMRM) (₹352.47 crore) and 'Indira Gandhi National Old Age Pension' scheme (₹37.78 crore). ₹13,000 crore recouped against sanctioned from Contingency Fund of India for PMAY-R.	28,774.47	...	28,774.47
(घ) श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुबन मिशन (एसपीएमआरएम) के तहत सामान्य सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त व्यय के लिए।	(d) For providing additional funds to incur expenditure towards Grants-in-aid General under Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission (SPMRM).	0.59	...	0.59

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय

91 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

व्यय को पूरा करने के लिए (i) राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के तहत सीएसआईआर के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹137.33 करोड़), अनुसंधान योजनाओं, छात्रवृत्ति और फेलोशिप (₹104 करोड़) और सीईएल (पीएसई) को अनुसंधान एवं विकास योजनाओं के लिए समर्थन (₹3.18 करोड़) (ii) राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के तहत सीएसआईआर के लिए पूंजीगत आस्ति के निर्माण के लिए अनुदान (₹70 करोड़) और (iii) एपीसीटीटी (यूएन निकाय) में योगदान (₹0.50 करोड़) के व्यय को पूरा करने के लिए।

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

91 Department of Scientific and Industrial Research

For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General for CSIR under National Laboratories (₹137.33 crore), Research Schemes, Scholarships and fellowships (₹104 crore) and support for R&D schemes to CEL (PSE) (₹3.18 crore) (ii) Grants for Creation of Capital Assets for CSIR under National Laboratories (₹70 crore) and (iii) Contribution to APCTT (UN Body) (₹0.50 crore).

305.15 ... 305.15

इस्पात मंत्रालय

97 इस्पात मंत्रालय

'भारत में व्यापारिक जहाजों पर फ्लैग लगाना' योजना के तहत सब्सिडी (₹12.00 करोड़)।

MINISTRY OF STEEL

97 Ministry of Steel

For Subsidies (₹12 crore) under the scheme Flagging of Merchant Ships in India.

10.72 ... 10.72

कुल नकद परिव्यय

Total Cash Outgo

2,94,703.86 31,052.83 3,25,756.69

3. अनुदानों की पूरक मांगों के इस बैच में ₹1,10,180.59 करोड़ के तकनीकी अनुपूरक अनुदानों/विनियोगों के प्रस्ताव शामिल हैं, जिनका मिलान मंत्रालयों/विभागों की अतिरिक्त प्राप्तियों/वसूलियों या तदनुसंगी बचतों से किया जाता है। मदें इस प्रकार हैं:

3. This batch of Supplementary Demands for Grants includes proposals for technical supplementary grants/appropriations for ₹1,10,180.59 crore which are matched by additional receipts/recoveries or corresponding savings of the Ministries/Departments. The items are as follows:

अनुदान की तकनीकी अनुपूरक मांगें

Technical Supplementary Demands for grants

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
---	--	-------------------	------------------	---------------

परमाणु ऊर्जा विभाग

3 परमाणु ऊर्जा

(i) न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स (₹1407.29 करोड़) द्वारा यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

3 Atomic Energy

For meeting additional expenditure towards (i) arrears payment to Uranium Corporation

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
अतिरिक्त बकाया भुगतान के लिए व्यय को पूरा करना; (ii) न्यूक्लीयर रिसाइकल बोर्ड (₹166.30 करोड़); और (iii) स्थापना के विभिन्न शीर्षों के तहत (₹181.64 करोड़)।	of India Limited by Nuclear Fuel Complex (₹1407.29 crore) (ii) Nuclear Recycle Board (₹166.30 crore) and (iii) under various heads of establishment (₹181.64 crore).	892.98	...	892.98
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS			
7 औषधि विभाग माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में राजस्थान ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड (आरडीपीएल) को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के समक्ष जमा करने के लिए	7 Department of Pharmaceuticals For Rajasthan Drugs Private Ltd.(RDPL) to comply with Hon'ble Supreme Court's order to deposit before the National Company Law Tribunal.	1.80	...	1.80
कोयला मंत्रालय	MINISTRY OF COAL			
9 कोयला मंत्रालय (i) कोयला और लिग्नाइट के अन्वेषण के अंतर्गत ₹180 करोड़ की अतिरिक्त निधि; और (ii) कोयला खान में संरक्षण और सुरक्षा और अवसंरचना विकास हेतु कोयला क्षेत्र में विकास परिवहन अवसंरचना (डीटीआईसी) के लिए अनुसूचित जाति उप-योजना के अंतर्गत 'सब्सिडी' पर हुए व्यय को पूरा करने के लिए (₹36.59 करोड़)।	9 Ministry of Coal For (i) additional funds under Exploration of Coal and Lignite (₹180 crore) and (ii) subsidies under Scheduled Castes Sub plan for Development Transportation Infrastructure in Coalfields Areas (DTIC) (₹36.59 crore) towards Conservation & Safety and Infrastructure Development in Coal Mines.	154.64	...	154.64
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
11 उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग 'निधियों की निधि' योजना के अंतर्गत निवेश (₹189.02 करोड़)।	11 Department for Promotion of Industry and Internal Trade For Investment (₹189.02 crore) under the scheme Fund of Funds.	...	62.44	62.44
संचार मंत्रालय	MINISTRY OF COMMUNICATIONS			
13 दूरसंचार विभाग (क) (i) ग्रामीण वायर लाइन संचालन के लिए बीएसएनएल (₹18,127 करोड़) को व्यवहार्यता अंतराल निधियन प्रदान करना (जिसमें से ₹5000 करोड़ भारत की आकस्मिकता निधि से आहरित अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए) (ii) चैंपियन सेक्टर योजना के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से अग्रिम की प्रतिपूर्ति (₹49.36 करोड़) और (iii) यूनिवर्सल सर्विस आबलिंगेशन फंड से अनुसंधान और विकास (₹130 करोड़)	13 Department of Telecommunications (a) For (i) providing Viability Gap Funding to BSNL (₹18,127 crore) for rural wire line operations (of which ₹5000 crore for recoupment of advance drawn from the Contingency Fund of India) (ii) recoupment of advance from Contingency Fund of India for Champion Sector Scheme (₹49.36 crore) and (iii) Research and development from Universal Service Obligation Fund (₹130 crore).	13,668.84	...	13,668.84
सहकारिता मंत्रालय	MINISTRY OF COOPERATION			
16 सहकारिता मंत्रालय भूमि की खरीद के लिए प्रमुख कार्यों पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	16 Ministry of Cooperation For meeting additional expenditure on Major Works for purchase of land.	...	44.22	44.22
रक्षा मंत्रालय	MINISTRY OF DEFENCE			
19 रक्षा मंत्रालय (सिविल) कैंटीन स्टोर्स विभाग की आपूर्ति और सामग्री के लिए।	19 Ministry of Defence (Civil) For supplies and materials of Canteen Stores Department.	2,000.00	...	2,000.00

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
20 रक्षा सेवाएं (राजस्व)	20 Defence Services (Revenue)			
(क) सेना के राष्ट्रीय कैडेट कोर के खिलाफ अदालती आदेशों से उत्पन्न होने वाले अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting additional expenditure arising out of court orders against National Cadet Corps of Army.	0.20	...	0.20
(ख) निम्नलिखित के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए परिवहन (₹500 करोड़), भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (1,000 करोड़), स्टोर (₹2,900 करोड़), कार्य (₹700 करोड़), राष्ट्रीय कैडेट कोर (₹12 करोड़) और सेना का अन्य व्यय (₹500 करोड़)। जिसमें से ईंधन और लुब्रीकेंट के अग्रिम के लिए ₹300 करोड़ और भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत ईसीएचएस के लिए ₹1,000 करोड़ की प्रतिपूर्ति के लिए।	(b) For meeting additional expenditure towards transportation (₹500 crore), Ex-servicemen Contributory Health Scheme (₹1,000 crore), Stores (₹2,900 crore), Works (₹700 crore), National Cadet Corps (₹12 crore) and Other expenditure (₹500 crore) of Army (of which ₹300 crore for fuel and lubricants and ₹1,000 crore for ECHS for recoupment of advance drawn from the Contingency Fund of India).	5,612.00	...	5,612.00
(ग) परिवहन (₹150 करोड़), मरम्मत और दुरुस्त करने के लिए (₹400 करोड़), स्टोर (₹1,700 करोड़), कार्य (₹200 करोड़), संयुक्त स्टाफ (₹386 करोड़) और नौसेना के अन्य व्ययों को पूरा करने के लिए (₹300 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए भारत के आकस्मिकता निधि से स्वीकृत ईंधन और लुब्रीकेंट के लिए ₹200 करोड़ के अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए है।	(c) For meeting additional expenditure towards transportation (₹150 crore), repairs and refits (₹400 crore), Stores (₹1,700 crore), Works (₹200 crore), Joint Staff (₹386 crore) and other expenditure (₹300 crore) of Navy (of which ₹200 crore for recoupment of advance drawn from the Contingency Fund of India for fuel and lubricants).	3,136.00	...	3,136.00
(घ) वायु सेना के विरुद्ध न्यायालयी आदेशों से उत्पन्न अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(d) For meeting additional expenditure arising out of Court Orders against Air Force.	0.50	...	0.50
(ङ) परिवहन (₹9.03 करोड़), भंडार (₹10,644.06 करोड़), निर्माण कार्य (₹386 करोड़) अन्य व्यय (₹212.21 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(e) For meeting additional expenditure towards transportation (₹9.03 crore), Stores (₹10,644.06 crore), Works (₹386 crore) and other expenditure (₹212.21 crore) of Air Force.	3,620.91	...	3,620.91
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION			
23 पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	23 Ministry of Development of North Eastern Region			
पूर्वोत्तर क्षेत्र (पीएम-डिवाइन) के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल हेतु प्रमुख निर्माण कार्य के लिए निधि को बढ़ाना (₹350 करोड़) जिसमें से अनुसूचित जाति उप-योजना के लिए ₹100 करोड़ और अनुसूचित जनजाति उप-योजना के लिए ₹110 करोड़ हैं।	For augmenting of funds towards major works for Prime Minister's Development initiative for North East region (PM-DevINE) (₹350 crore) of which ₹100 crore for scheduled caste sub-plan and ₹110 crore for scheduled tribe sub-plan.	...	80.00	80.00
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY			
27 इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	27 Ministry of Electronics and Information Technology			
निम्नलिखितों के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु (i) बड़े पैमाने के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई के संबंध में 'व्यावसायिक सेवाएं' (₹2 करोड़) (ii) प्रमाणन प्राधिकरणों के नियंत्रक (सीसीए) के संबंध में सामान्य सहायता अनुदान (₹1 करोड़) (iii) भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले पारिस्थितिकी तंत्र	For meeting additional expenditure towards (i) 'Professional Services' in respect of PLI for Large Scale Electronics and IT Hardware (₹2 crore) (ii) Grants-in-aid General in respect of Controller of Certifying Authorities (CCA) (₹1 crore) (iii) Development of Semiconductor and			

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
का विकास, जिसमें सामान्य सहायता अनुदान (₹22.80 करोड़), पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹0.20 करोड़), अन्य शुल्क (₹132 करोड़), अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (₹15 करोड़), जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (₹10 करोड़) जिसमें से भारत की आकस्मिक निधि से अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए 13 करोड़ रुपये आहरित किया गया (iv) सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों को बढ़ावा देने के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹14.25 करोड़) (v) डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के तहत अन्य शुल्क (₹1457 करोड़), अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना (₹164 करोड़) और जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (₹131 करोड़) (vi) इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी हार्डवेयर मैनुफैक्चरिंग का संवर्धन (एमएसआईपीएस, ईडीएफ एंड मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर) के संबंध में अन्य शुल्क (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के लिए ₹79.70 करोड़ और जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के लिए ₹67.84 करोड़) और (vii) सेमी कंडक्टर लेबोरेटरी, जिसे अंतरिक्ष विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से स्वायत्त निकाय में अंतरित किया गया है, के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹169.35 करोड़), पूंजीगत आस्ति के सृजन के लिए अनुदान (₹85.16 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹65.49 करोड़)।	Display Ecosystem in India, of which Grants in Aid General (₹22.80 crore), Grants for Creation of Capital Assets (₹0.20 crore), Other Charges (₹132 crore), Special Component Plan for Scheduled Castes (₹15 crore), Tribal Area Sub-Plan (₹10 crore), out of which ₹13 crore for recoupment of advance drawn from the Contingency Fund of India. (iv) Grants-in-Aid General (₹14.25 crore) under Promotion of IT and ITeS Industries (v) Other Charges (₹1457 crore), Special Component Plan for Scheduled Castes (₹164 crore) and Tribal Area Sub-Plan (₹131 crore) under Promotion of Digital Payments (vi) Other Charges in respect of 'Promotion of Electronics and IT Hardware Manufacturing (MSIPS, EDF & Manufacturing Clusters)' (₹79.70 crore for Special Component Plan for Scheduled Castes and ₹67.84 crore for Tribal Area Sub-Plan) and (vii) Grants-in-aid General (₹169.35 crore), Grants for Creation of Capital Assets (₹85.16 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹65.49 crore) for Semi Conductor Laboratory, an Autonomous Body transferred from Department of Space to MeITY.	320.00	...	320.00
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
30 आर्थिक कार्य विभाग	30 Department of Economic Affairs			
(क) आर्थिक कार्य विभाग के सचिवालय की स्थापना से संबंधित व्यय (₹27.60 करोड़)।	(a) For establishment related expenditure of Department of Economic Affairs Secretariat (₹27.60 crore).	23.62	...	23.62
(ख) अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी) में अंशदान।	(b) For contribution to International Fund for Agricultural Development (IFAD).	14.40	...	14.40
(ग) अवसंरचना विकास- व्यवहार्यता अंतर-निधियन (₹671.80 करोड़), स्वर्ण आरक्षित निधि (सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड स्कीम 2015) (₹62 करोड़) के लिए सहायता।	(c) For Assistance for Infrastructure Development – Viability Gap Funding (₹671.80 crore), Gold Reserve Fund (Sovereign Gold Bond Scheme 2015) (₹62 crore).	510.61	...	510.61
(घ) निम्नलिखितों के लिए (i) भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना (आईडीईएस) (रणनीतिक विदेशी परियोजना के लिए रियायती वित्तपोषण) के अंतर्गत ऋण सीमा हेतु ब्याज समकरण सहायता (₹20 करोड़), (ii) एससीओ बैठक (₹4.26 करोड़) और वैश्विक पर्यावरण सुविधा के लिए अंशदान (₹9.50 करोड़)।	(d) For (i) Interest Equalization Support for Lines of Credit under Indian Development and Economic Assistance Scheme (IDEAS) (Concessional Financing for Strategic Overseas Projects) (₹20 crore) (ii) SCO meetings (₹4.26 crore) and (iii) Contribution for Global Environment Facility (₹9.50 crore).	26.80	...	26.80
32 वित्तीय सेवाएं विभाग	32 Department of Financial Services			
(क) भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) के नैमित्तिक श्रमिक कर्मचारियों को देय राशि और बकाया मजदूरी का भुगतान करना।	(a) For making payment of dues & arrears of wages to casual labour employees of the Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR) in compliance of order of Supreme Court of India.	0.65	...	0.65
(ख) ऋण वसूली न्यायाधिकरणों के स्थापना संबंधी अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	(b) For meeting additional establishment related expenditure of Debt Recovery Tribunals.	10.77	...	10.77

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(ग) निम्नलिखितों के लिए (i) वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना के तहत सब्सिडी की प्रतिपूर्ति (₹16.98 करोड़), (ii) अटल पेंशन योजना के अंतर्गत संवर्धनात्मक अभियान कार्यक्रमलाप (₹2.99 करोड़), (iii) अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अंतर निधियन (₹522 करोड़), (iv) स्वावलंबन योजना के लिए सरकारी सह-योगदान (₹1.31 करोड़)।	(c) For (i) reimbursement of subsidy under Pension Plan for Senior Citizens under Varishtha Pension Bima Yojana (₹16.98 crore) (ii) promotional campaign activities under Atal Pension Yojana (₹2.99 crore) (iii) gap fund under Atal Pension Yojana (₹522 crore) and (iv) Government co-contributions for Swavalamban scheme (₹1.31 crore).	96.94	...	96.94
(घ) संकटग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि को जारी की गई प्रतिभूतियों का शोधन (₹254.99 करोड़)।	(d) For redemption of securities issued to Stressed Assets Stabilisation Fund. (₹254.99 crore).	153.77	...	153.77
35 राजस्व विभाग	35 Department of Revenue			
(क) उच्च अल्कलॉइड उत्पादन के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹40.89 करोड़)।	(a) For meeting additional expenditure for higher alkaloid production (₹40.89 crore).	37.11	...	37.11
(ख) जीएसटी प्रतिपूर्ति निधि में जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर का अतिरिक्त अंतरण (₹7083 करोड़) और राज्यों को जारी किए गए (₹6993.33 करोड़)।	(b) For additional transfer of GST compensation cess to GST Compensation Fund (₹7,083 crore) and releases to States (₹6,993.33 crore).	7,041.28	...	7,041.28
(ग) जीएसटी प्रतिपूर्ति निधि में जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर का अतिरिक्त अंतरण (₹2917.99 करोड़) और संघ राज्य प्रदेशों को जारी (₹2668.67 करोड़)।	(c) For additional transfer to GST Compensation Fund (₹2,917.99 crore) and releases to UTs (₹2,668.67 crore).	2,668.67	...	2,668.67
36 प्रत्यक्ष कर	36 Direct Taxes			
भूमि अधिग्रहण और आवासीय भवनों का निर्माण।	For acquisition of land and construction of residential buildings.	...	107.37	107.37
गृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS			
51 पुलिस	51 Police			
निम्नलिखितों के लिए (i) विज्ञापन और प्रचार (₹1.12 करोड़), शस्त्र और गोला-बारूद- (₹1.45 करोड़); कपड़े और तंबू- (₹95.61 करोड़); राशन की लागत- (₹670.80 करोड़); डीटीई- (₹762.36 करोड़); एफटीई (₹5.13 करोड़); पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान - (₹22.03 करोड़); सामान्य सहायता अनुदान (जीआईए)- सामान्य (₹833.16 करोड़), वेतन सहायता अनुदान (₹0.41 करोड़), चिकित्सा उपचार- (₹148.50 करोड़); लघु निर्माण कार्य- (₹44.55 करोड़), कार्यालय व्यय- (₹414.31 करोड़); अन्य प्रशासनिक व्यय (ओई) (₹21.31 करोड़), अन्य शुल्क (₹109.81 करोड़), पीओएल- (₹129.02 करोड़), व्यावसायिक सेवाएं- (₹787.62 करोड़), प्रकाशन- (₹2.52 करोड़), किराया, दर और कर- (₹3.46 करोड़), पुरस्कार - (₹1.03 करोड़), ; वेतन (₹2833.97 करोड़), गुप्तचर सेवा व्यय (₹9.50 करोड़); आपूर्ति और सामग्री (₹0.30 करोड़), भत्ते (₹1.71 करोड़), (ii) विलेज वाईवेंट प्रोग्राम (वीवीपी) पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹5.00 करोड़), ओई (₹0.01 करोड़), व्यावसायिक सेवाएं (₹0.02 करोड़) (iii) सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी)/स्वच्छता के अंतर्गत लघु निर्माण कार्य (₹1 करोड़), अन्य शुल्क (₹2 करोड़) और कार्यालय व्यय- (₹2 करोड़)।	For (i) Advertising & Publicity (₹1.12 crore), Arms & Ammunition (₹1.45 crore), Clothing & Tentage (₹95.61 crore), Cost of Ration (₹670.80 crore), DTE (₹762.36 crore), FTE (₹5.13 crore), Grants for creation of capital assets (₹22.03 crore), GIA- General (₹833.16 crore), GIA-Salaries (₹0.41 crore), Medical Treatment (₹148.50 crore), Minor Works (₹44.55 crore), Office Expenses (₹414.31 crore), Other Administrative Expenses (OAE) (₹21.31 crore), Other Charges (₹109.81 crore), P.O.L (₹129.02 crore), Professional Services (₹787.62 crore), Publications (₹2.52 crore), Rent, Rate & Taxes (₹3.46 crore), Rewards (₹1.03 crore), Salaries (₹2833.97 crore), Secret Service Expenditure (₹9.50 crore), Supplies & Material (₹0.30 crore), Wages (₹1.71 crore) (ii) Grants for creation of Capital Assets (₹5 crore), OAE (₹0.01 crore), Professional Services (₹0.02 crore) for Village Vibrant Programme (VVP) (iii) Minor works (₹1 crore), Other Charges (₹2 crore) and Office Expenses (₹2 crore) under Sashastra Seema Bal(SSB)/Swatchta.	1,600.00	...	1,600.00

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
53 चंडीगढ़	53 Chandigarh			
(क) वेतन और बकाया के भुगतान के लिए वेतन हेतु (₹77.00 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान हेतु (₹15.21 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	(a) For meeting additional expenditure towards Salaries (₹77 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹15.21 crore) for payment of salaries and arrears.	44.00	...	44.00
(ख) स्वास्थ्य विभाग (₹22.86 करोड़) और राजकीय मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (₹15.00 करोड़) के कर्मचारियों के वेतन और बकाया के भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	(b) For meeting additional expenditure for payment of salaries and arrears of employees of Health Department (₹22.86 crore) and Government Medical College and Hospital (₹15 crore).	22.86	...	22.86
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS			
60 आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	60 Ministry of Housing and Urban Affairs			
(क) राष्ट्रपति संपदा के लिए लघु निर्माण कार्य हेतु व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting expenditure expenditure towards Minor Works for Presidents' Estate.	8.66	...	8.66
(ख) निम्नलिखित व्यय को पूरा करने के लिए (i) एमआरटीएस और मेट्रो परियोजनाओं के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना चरण-I के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹46.74 करोड़), (ii) संपत्ति कर के बकाया के भुगतान और दिल्ली शहरी कला आयोग (डीयूएसी) (₹0.49 करोड़) परिसर के नवीनीकरण के लिए सामान्य सहायता अनुदान- (₹0.47 करोड़) और (iii) सुव्यवस्थित शहर अभियान परियोजना को पूरा करने के लिए अन्य प्रशासनिक व्यय (₹15.00 करोड़), बिना विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्र के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹5.00 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹330.90 करोड़)	(b) For meeting expenditure towards (i) Grants for Creation of Capital Assets (₹46.74 crore) for Kochi Metro Rail Project Phase-IA in Financial Year 2022-23 under MRTS & Metro Projects (ii) Grants-in-aid General (₹0.47 crore) for payment of outstanding arrears of property tax and for renovation of Delhi Urban Art Commission (DUAC) (₹0.49 crore) premises (iii) Other Administrative Expenses (₹15 crore), Grants-in-aid General for Union Territories (UTs) without legislatures (₹5 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹330.90 crore) for completion of project Smart Cities Mission.	350.90	...	350.90
(ग) प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना हेतु सामान्य सहायता अनुदान के तहत क्रेडिट गारंटी योगदान के लिए कॉर्पस फंड के साथ-साथ स्थापना संबंधी व्यय हेतु (जिसमें भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए ₹80 करोड़)।	(c) For establishment related expenditure as well as Corpus Fund for Credit Guarantee Contribution under Grants-in-aid General for Pradhan Mantri Street Vendor's Atma Nirbhar Nidhi (PM SVANidhi) scheme (of which ₹80 crore for recoupment of advance sanctioned from the Contingency Fund of India.)	283.93	...	283.93
(घ) स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राज्यों हेतु सहायता अनुदान सामान्य (₹100 करोड़) और राज्यों के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹1,549.10 करोड़)	(d) For meeting expenditure towards Grants-in-Aid General for States (₹100 crore) and Grants for creation of Capital Assets for States (₹1,549.10 crore) for completion of projects under Smart Cities Mission.	1,649.10	...	1,649.10
(ङ) राष्ट्रपति संपदा के प्रमुख कार्यों के व्यय को पूरा करने के लिए।	(e) For meeting expenditure towards Major Works for Presidents' Estate.	...	1.91	1.91
कानून और न्याय मंत्रालय	MINISTRY OF LAW AND JUSTICE			
65 विधि और न्याय	65 Law and Justice			
(i) एलएडीसीएस के वृद्धिशील विस्तार और अन्य कानूनी गतिविधियों (₹20 करोड़) को पूरा करने	For providing (i) additional Grants-in-aid to National Legal Services Authority for			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
के लिए राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण को अतिरिक्त सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए (ii) भारत में समग्र न्याय दिलाने के लिए (दिशा) (₹8.15 करोड़) अभिनव समाधान डिजाइन करने की योजना के लिए अतिरिक्त अनुदान सहायता और (iii) भारतीय मध्यस्थता परिषद को सहायता अनुदान - वेतन (₹0.75 करोड़) और अनुदान-सहायता-वेतन (₹0.75 करोड़)।	meeting incremental expansion of LADCS and other legal activities (₹20 crore) (ii) additional Grants-in-aid to the scheme of Designing Innovative Solutions for Holistic Access to Justice in India (DISHA) (₹8.15 crore) and (iii) Grants-in-aid-General (₹0.75 crore) and Grants-in-aid-Salary (₹0.75 crore) to Arbitration Council of India.	29.65	...	29.65
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY			
71 नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 'अटल अक्षय ऊर्जा भवन' के निर्माण के लिए	71 Ministry of New and Renewable Energy For construction of 'Atal Akshay Urja Bhawan'.	...	2.00	2.00
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS			
74 कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय लोकपाल के लिए भूमि के अधिग्रहण और भवन के निर्माण के लिए - प्रमुख कार्य (जिनमें से भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए ₹95.91 करोड़ हैं)।	74 Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions For Acquisition of land & construction of Building for Lokpal - Major Works (of which ₹95.91 crore for recoupment of advance sanctioned from the Contingency Fund of India.)	...	165.46	165.46
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS			
76 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (i) घरेलू एलपीजी संचालन के तहत तेल विपणन कंपनियों को भुगतान (₹22,000 करोड़) (ii) नुमालीगढ़ रिफाइनरी विस्तार परियोजना के लिए सहायता अनुदान सामान्य (₹245 करोड़) (iii) भारत के लिए मर्चेंट शिप को हरी झंडी दिखाने को बढ़ावा देने के लिए (₹215.62 करोड़) (iv) प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) (₹7210 करोड़) के तहत गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना।	76 Ministry of Petroleum and Natural Gas For (i) payments to Oil Marketing Companies under Domestic LPG Operations (₹22,000 crore) (ii) Grants-in-aid General (₹245 crore) for Numaligarh Refinery Expansion Project (iii) promotion of flagging of Merchant Ships for India (₹215.62 crore) (iv) providing LPG connections to Poor Households under Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY) (₹7210 crore).	560.00	...	560.00
विद्युत मंत्रालय	MINISTRY OF POWER			
79 विद्युत मंत्रालय बुनियादी ढांचे यानी सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए अतिरिक्त धन उपलब्ध कराने के लिए।	79 Ministry of Power For providing additional funds for creation of infrastructure i.e. roads and bridges.	...	10.00	10.00
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उपराष्ट्रपति का सचिवालय	THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION AND THE SECRETARIAT OF THE VICE PRESIDENT			
81 लोक सभा बकाया दावों (₹0.21 करोड़) को निपटाने के लिए घरेलू यात्रा व्यय के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	81 Lok Sabha For meeting additional expenditure under Domestic Travel Expenses to settle Outstanding claims (₹0.21 crore).	0.02	...	0.02
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS			
86 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (क) (i) सार्वजनिक सड़क परिवहन पर महिलाओं की सुरक्षा के तहत राज्यों/संघ शासित प्रदेशों	86 Ministry of Road Transport and Highways (a) (i) Grants-in-aid General under Safety of Women on Public Road Transport for			

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
को संवितरण के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹10 करोड़) और राज्य सड़क परिवहन निगमों को सहायता के तहत (₹25 करोड़) और (ii) बाह्य सहायता प्राप्त योजनाओं- काउंटरपार्ट फंड के साथ-साथ राज्य सहायता कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक के संदर्भ में भारत में दुर्घटना और मृत्यु दर को कम करने की सड़क सुरक्षा योजना बनाना।	disbursement to States/UTs (₹10 crore) and under Assistance to State Road Transport Corporations (₹25 crore) and (ii) Road Safety Scheme to reduce accident and fatalities in India in respect of Externally Aided Schemes- World Bank & Asian Development Bank for State Support Programme along with Counterpart Funds.	10.00	...	10.00
(ख) अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 1. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) में केंद्रीय सड़क और बुनियादी ढांचा निधि से निवेश (₹13500 करोड़) 2. स्थायी पुल शुल्क निधि (पीबीएफएफ) से निवेश (₹4090.62) 3. प्रमुख कार्य (i) बाहरी सहायता योजना के तहत - विश्व बैंक, हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना (₹74 करोड़) (ii) अन्य योजनाएँ (जीबीएस) (₹836 करोड़) (iii) राष्ट्रीय राजमार्गों के मूल कार्य के तहत सामान्य घटक के लिए सीआरआईएफ से वित्तपोषित (₹6266.40 करोड़) (iv) बाहरी सहायता प्राप्त योजनाओं के लिए अंतर-राज्य या आर्थिक महत्व की सड़कें (₹100 करोड़) (v) समकक्ष निधि (₹51 करोड़) के तहत बाह्य सहायता प्राप्त स्कीमों विश्व बैंक, ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट (जीएनएचसीपी) के लिए (vi) वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संपर्क (एनएच और राज्य सड़कों) का विकास (₹61 करोड़) (vii) भारतमाला परियोजना के तहत टीएसपी घटक के लिए परियोजना-सीआरआईएफ से वित्तपोषित (₹2250 करोड़) 4. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) (₹13500) और अन्य राष्ट्रीय राजमार्ग योजनाओं के लिए (i) केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) के लिए अतिरिक्त अंतरण (₹8033.82 करोड़) और (ii) स्थायी पुल शुल्क निधि (पीबीएफएफ) (₹4085 करोड़) और (iii) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय निवेश कोष (₹2940 करोड़)।	(b) For meeting additional expenditure towards 1. Investment in National Highways Authority of India (NHAI) from Central Road and Infrastructure Fund (₹13500 crore) 2. Investment from Permanent Bridge Fee Fund (PBFF) (₹4090.62 crore) 3. Major Works (i) under Externally Aided Scheme - World Bank, Green National Highways Corridor Project (₹74 crore) (ii) Other Schemes (GBS) (₹836 crore) (iii) for General Component under National Highways Original Works - Financed from CRIF (₹6266.40 crore) (iv) Roads of Inter State or Economic Importance (₹100 crore) (v) for Externally Aided Schemes - World Bank, Green National Highways Corridor Project (GNHCP) under Counterpart Fund (₹51 crore) (vi) under Development of Road connectivity (NH and State Roads) in Left Wing Extremist Affected Areas (₹61 crore) (vii) under Bharatmala Pariyojana for TSP component-Financed from CRIF (₹2250 crore) 4. additional Transfer to (i) Central Road and Infrastructure Fund (CRIF) meant for National Highways Authority of India (NHAI) (₹13500 crore) and other National Highways schemes (₹8033.82 crore) and (ii) Permanent Bridges Fees Fund (PBFF) (₹4085 crore) and (iii) National Investment Fund meant for North East Region (₹2940 crore).	...	19,198.73	19,198.73

ग्रामीण विकास मंत्रालय

87 ग्रामीण विकास विभाग

- (क) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत राष्ट्रीय कर्मचारी गारंटी कोष (एनईजीएफ) (₹16,400 करोड़) और (ii) पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान (₹11,480 करोड़) हेतु अतिरिक्त धनराशि प्रदान करना।
- (ग) (i) 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी' योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण (₹28,422 करोड़) के तहत पूंजीगत

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

87 Department of Rural Development

- (a) For (i) providing additional funds for National Employee Guarantee Fund (NEGF) (₹16,400 crore) and (ii) Grants for Creation of Capital Assets (₹11,480 crore) under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme. 11,480.00 ... 11,480.00
- (c) For (i) providing additional funds to incur expenditure towards Grants for Creation of Capital Assets (₹4,920

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
आस्तियों (₹4,920 करोड़) के निर्माण के लिए अनुदान हेतु अतिरिक्त धनराशि प्रदान करना और (ii) 'श्यामा प्रसाद मुखर्जी रबन मिशन' (एसपीएमआरएम) (₹352.47 करोड़) और 'इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन' योजना (₹37.78 करोड़) के तहत सामान्य सहायता अनुदान।	crore) under 'Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee' scheme and Pradhan Mantri Awas Yojana-Rural (₹28,422 crore) and (ii) Grants-in-aid General under 'Shyama Prasad Mukherjee Rurban Mission' (SPMRM) (₹352.47 crore) and 'Indira Gandhi National Old Age Pension' scheme (₹37.78 crore).	33,342.00	...	33,342.00
88 भूमि संसाधन विभाग न्यायालय के आदेश को ध्यान में रखते हुए मध्यस्थता मामले से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए।	88 Department of Land Resources For meeting expenditure related to arbitration case in view of court decree.	10.25	...	10.25
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY			
91 वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (i) राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं (₹137.33 करोड़), अनुसंधान योजनाओं, छात्रवृत्ति और फेलोशिप (₹104 करोड़) के तहत सीएसआईआर के लिए सहायता अनुदान सामान्य और सीईएल (पीएसई) को अनुसंधान और विकास योजनाओं के लिए समर्थन (₹3.18 करोड़) के लिए व्यय को पूरा करने के लिए (ii) राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के तहत सीएसआईआर के लिए पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान (₹70 करोड़) और (iii) एपीसीटीटी (संयुक्त राष्ट्र निकाय) को योगदान (₹0.50 करोड़)।	91 Department of Scientific and Industrial Research For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General for CSIR under National Laboratories (₹137.33 crore), Research Schemes, Scholarships and fellowships (₹104 crore) and support for R&D schemes to CEL (PSE) (₹3.18 crore) (ii) Grants for Creation of Capital Assets for CSIR under National Laboratories (₹70 crore) and (iii) Contribution to APCTT (UN Body) (₹0.50 crore).	8.50	...	8.50
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT			
93 सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग (क) (1) योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (i) नेशनल एक्शन फोर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम (नमस्ते) योजना (₹70 करोड़) और (ii) अनुसूचित जातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएससी) (₹950 करोड़) (2) पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड योजना के तहत (i) टॉप क्लास स्कूल (₹178.75 करोड़) और टॉप क्लास कॉलेज (₹383.65 करोड़) के लिए स्कॉलरशिप/स्टाइपेंड (ii) अनुसूचित जाति के लिए यंग अचीवर्स स्कीम (श्रेयस) के लिए उच्चतर शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति की योजना में नेशनल ओवरसीज छात्रवृत्ति (₹14 करोड़) और (iii) पीएम केयर चिल्ड्रन स्कीम के लिए छात्रवृत्ति (₹10 करोड़)। (ख) अटल वायो अभ्युदय योजना के लिए (अव्यय)।	93 Department of Social Justice And Empowerment (a) For (1) Grants in Aid General under the scheme (i) National Action for Mechanized Sanitation Ecosystem (NAMASTE) Scheme (₹70 crore) and (ii) Development Action Plan for SCs (DAPSC) (₹950 crore) (2) Scholarship/ Stipend for (i) Top Class Schools (₹178.75 crore) and Top Class Colleges (₹383.65 crore) under the Scheme for PM Young Achievers Scholarship Award Scheme (ii) National Overseas Scholarship for SCs (₹14 crore) in the scheme of Scholarship for Higher Education for Young Achievers Scheme (SHREYAS) for SCs and (iii) Scholarship for PM CARES Children scheme (₹10 crore). (b) For the scheme Atal Vayo Abhyuday Yojana (AVYAY).	950.00 150.00	950.00 150.00
अंतरिक्ष विभाग	DEPARTMENT OF SPACE			
95 अंतरिक्ष विभाग भारत की आकस्मिकता निधि से आहरित अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के व्यय को पूरा करने के लिए।	95 Department of Space For meeting expenditure towards Vikram Sarabhai Space Centre for recoupment of advance drawn from the Contingency Fund of India.	0.60	...	0.60

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
कपड़ा मंत्रालय	MINISTRY OF TEXTILES			
98 कपड़ा मंत्रालय	98 Ministry of Textiles			
'विकास आयुक्त (हथकरघा)' (₹5 करोड़) और 'राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (₹1.50 करोड़)' योजना के तहत प्रमुख कार्यों के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure towards Major Works under the scheme 'Development Commissioner (Handloom)' (₹5 crore) and 'National Handicrafts Development Programme (₹1.50 crore).	...	6.50	6.50
जनजातीय कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS			
100 जनजातीय कार्य मंत्रालय	100 Ministry of Tribal Affairs			
(क) सचिवालय के अंतर्गत 'वेतन' (₹1 करोड़), कार्यालय व्यय (₹2.50 करोड़) और किराया दर और कर (₹0.30 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting the additional expenditure towards 'Salaries' (₹1 crore), Office Expenses (₹2.50 crore) and Rent Rates & Taxes (₹0.30 crore) under Secretariat.	3.80	...	3.80
(ख) गैर-स्कीम राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के तहत (i) 'वेतन' (₹0.95 करोड़) और 'व्यावसायिक सेवाएं' (₹4.25 करोड़) (ii) 'राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्रशासनिक लागत योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹2.05 करोड़) और (iii) प्रधानमंत्री जन जातीय विकास मिशन योजना के तहत पूंजीगत संपत्ति के सृजन के लिए अनुदान (₹20 करोड़) और जनजातीय अनुसंधान संस्थान को सहायता के लिए (₹2 करोड़)। अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत ₹4.25 करोड़ की प्रतिपूर्ति की जाएगी।	(b) For meeting the additional expenditure towards (i) 'Salaries' (₹0.95 crore) and 'Professional Services' (₹4.25 crore) under the Non- scheme National Commission for Scheduled Tribes (ii) Grant in Aid General under the scheme 'Administrative Cost to States/ UTs. (₹2.05 crore) and (iii) Grant for creation of capital assets under the Scheme Pradhan Mantri Jan Jatiya Vikas Mission (₹20 crore) and Support to Tribal Research Institute (₹2 crore). ₹4.25 crore sanctioned from Contingency Fund of India will be recouped.	5.20	...	5.20
कुल तकनीकी	Total Technical	90,501.96	19,678.63	1,10,180.59

4. नीचे सूचीबद्ध मदों के संबंध में ₹1 लाख प्रत्येक का अनुपूरक अनुदान भी लिया जाना प्रस्तावित है, जिसके समक्ष इंगित व्यय संबंधित अनुदान के राजस्व या पूंजीगत खंड, जैसा भी मामला हो, के भीतर बचत के पुनर्विनियोजन द्वारा पूरा किया जाएगा।

4. Supplementary grants of ₹1 lakh each are also proposed to be taken in respect of items listed below, the expenditure indicated against which will be met by reappropriation of savings within the Revenue or Capital Section, as the case may be, of the relevant grant.

अनुदान के लिए सांकेतिक अनुपूरक मांगें		Token Supplementary Demands for grants		
		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF AGRICULTURE & FARMERS WELFARE			
1 कृषि एवं किसान कल्याण विभाग	1 Department of Agriculture and Farmers Welfare			
2401-कृषि (क्रोप हस्बैंडरी)	2401- Crop Husbandry	7,029.09	...	7,029.09
2435-अन्य कृषि कार्यक्रम	2435 - Other Agricultural Programmes	630.00	...	630.00
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552 - North Eastern Areas	241.57	...	241.57
4401-कृषि (क्रोप हस्बैंडरी) देखभाल पर पूंजीगत परिव्यय	4401 - Capital Outlay on Crop Husbandry	...	1.70	1.70
परमाणु ऊर्जा विभाग	DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY			
3 परमाणु ऊर्जा	3 Atomic Energy			
4801 - विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4801 - Capital Outlay on Power Projects	...	834.68	834.68
4861 - परमाणु ऊर्जा उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय (भारत की आकस्मिकता निधि से प्रतिपूर्ति के लिए ₹110 करोड़)	4861 - Capital Outlay on Atomic Energy Industries (₹110 crore for recoupment of Contingency Fund of India)	...	476.34	476.34

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
आयुष मंत्रालय	MINISTRY OF AYUSH			
4 आयुष मंत्रालय	4 Ministry of AYUSH			
2210- चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health	113.64	...	113.64
नागरिक उड्डयन मंत्रालय	MINISTRY OF CIVIL AVIATION			
8 नागरिक उड्डयन मंत्रालय	8 Ministry of Civil Aviation			
3053 - नागर विमानन (यह राशि भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम राशि की प्रतिपूर्ति के लिए है)।	3053 - Civil Aviation (This amount is for recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of India).	16.00	...	16.00
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
10 वाणिज्य विभाग	10 Department of Commerce			
4059 - लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	4059 - Capital Outlay on Public Works	...	12.00	12.00
11 उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग	11 Department for Promotion of Industry and Internal Trade			
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552 - North Eastern Areas	86.50	...	86.50
2852 - उद्योग	2852 - Industries	32.50	...	32.50
2885 - उद्योगों और खनिजों पर अन्य परिव्यय (प्रभारित)	"2885 - Other Outlays on Industries and Minerals (Charged)"	0.29	...	0.29
2885 - उद्योगों और खनिजों पर अन्य परिव्यय (स्वीकृत)	2885 - Other Outlays on Industries and Minerals (Voted)	62.45	...	62.45
3475 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	3475 - Other General Economic Services	11.18	...	11.18
4059 - लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	4059 - Capital Outlay on Public Works	...	16.92	16.92
संचार मंत्रालय	MINISTRY OF COMMUNICATIONS			
13 दूरसंचार विभाग	13 Department of Telecommunications			
5275 - अन्य संचार सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	5275 - Capital Outlay on Other Communication Services	...	42,269.00	42,269.00
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION			
15 खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	15 Department of Food and Public Distribution			
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र (भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम राशि की प्रतिपूर्ति के लिए 500 करोड़ रुपये)	2552 - North Eastern Areas (₹500 crore for recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of India)	600.00	...	600.00
3601 - राज्य सरकारों को सहायता अनुदान (भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम राशि की प्रतिपूर्ति के लिए ₹4,148 करोड़)	3601 - Grants-in-aid to State Governments (₹4,148 crore for recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of India)	5,826.42	...	5,826.42
3602 - संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को सहायता अनुदान (भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम राशि की प्रतिपूर्ति के लिए ₹250 करोड़)	3602 - Grants-in-aid to Union Territory Governments (₹250 crore for recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of India)	145.08	...	145.08
4408 - खाद्य भंडारण और वेयर हाउसिंग पर पूंजीगत परिव्यय	4408 - Capital Outlay on Food Storage and Warehousing	...	2.84	2.84
4552 - पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	4552 - Capital Outlay on North Eastern Areas	...	5.00	5.00
6860 - उपभोक्ता उद्योगों के लिए ऋण	6860 - Loans for Consumer Industries	...	39.66	39.66
कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS			
17 कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय	17 Ministry of Corporate Affairs			
3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	3475-Other General Economic Services	13.77	...	13.77

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
संस्कृति मंत्रालय	MINISTRY OF CULTURE			
18 संस्कृति मंत्रालय	18 Ministry of Culture			
4202 - शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परियोजना (यह राशि भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए है)	4202 - Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture (This amount is for recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of India)	...	20.00	20.00
रक्षा मंत्रालय	MINISTRY OF DEFENCE			
19 रक्षा मंत्रालय (सिविल)	19 Ministry of Defence (Civil)			
4047-अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परियोजना	4047 - Capital Outlay on Other Fiscal Services	...	129.00	129.00
21 रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परियोजना	21 Capital Outlay on Defence Services			
4076 - रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परियोजना	4076 - Capital Outlay on Defence Services	...	1,235.98	1,235.98
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION			
23 पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	23 Ministry of Development of North Eastern Region			
2052 - सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052 - Secretariat-General Services	10.00	...	10.00
2552- पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	202.48	...	202.48
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	MINISTRY OF EARTH SCIENCES			
24 पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	24 Ministry of Earth Sciences			
3403 - समुद्र विज्ञान अनुसंधान	3403 - Oceanographic Research	4.30	...	4.30
3455 - मौसम विज्ञान	3455 - Meteorology	1.01	...	1.01
शिक्षा मंत्रालय	MINISTRY OF EDUCATION			
25 स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	25 Department of School Education and Literacy			
2202 - सामान्य शिक्षा	2202 - General Education	1,274.20	...	1,274.20
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552 - North Eastern Areas	120.50	...	120.50
26 उच्च शिक्षा विभाग	26 Department of Higher Education			
2202-सामान्य शिक्षा	2202-General Education	1,869.04	...	1,869.04
2203-तकनीकी शिक्षा	2203-Technical Education	1,459.23	...	1,459.23
2552- पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	192.00	...	192.00
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY			
27 इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	27 Ministry of Electronics and Information Technology			
2552- पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	297.35	...	297.35
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE			
28 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	28 Ministry of Environment, Forests and Climate Change			
2406 - वानिकी और वन्य जीवन	2406 - Forestry and Wild Life	18.64	...	18.64
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552 - North Eastern Areas	8.00	...	8.00
3435 - पारिस्थितिकी और पर्यावरण	3435 - Ecology and Environment	157.30	...	157.30
4406 - वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजीगत परियोजना	4406 - Capital Outlay on Forestry and Wild Life	...	1.00	1.00
5425 - अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुसंधान पर पूंजीगत परियोजना	5425 - Capital Outlay on Other Scientific and Environmental Research	...	2.00	2.00
विदेश मंत्रालय	MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS			
29 विदेश मंत्रालय	29 Ministry of External Affairs			
2052 - सचिवालय-सामान्य सेवाएं (यह राशि भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए है)	2052 - Secretariat-General Services (This amount is for recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of India)	100.00	...	100.00

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
2061 - विदेशी मामलें (भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए ₹155 करोड़)	2061 - External Affairs (₹155 crore for recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of India)	435.00	...	435.00
3605 - अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग	3605 - Technical and Economic Co-operation with Other Countries	6.28	...	6.28
7605 - विदेशी सरकारों को अग्रिम	7605 - Advances to Foreign Governments	...	164.65	164.65
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
30 आर्थिक कार्य विभाग	30 Department of Economic Affairs			
5466 - अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में निवेश	5466 - Investments in International Financial Institutions	...	27.68	27.68
32 वित्तीय सेवाएं विभाग	32 Department of Financial Services			
4885 - उद्योगों और खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय	4885 - Other Capital Outlay on Industries and Minerals	...	400.00	400.00
35 राजस्व विभाग	35 Department of Revenue			
2047 - अन्य राजकोषीय सेवाएं	2047 - Other Fiscal Services	41.41	...	41.41
37 अप्रत्यक्ष कर	37 Indirect Taxes			
2037 - सीमा शुल्क	2037 - Customs	208.92	...	208.92
मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय	MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING			
43 मत्स्य विभाग	43 Department of Fisheries			
2405 - मत्स्य पालन	2405 - Fisheries	10.00	...	10.00
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552 - North Eastern Areas	1.40	...	1.40
44 पशुपालन और डेयरी विभाग	44 Department of Animal Husbandry and Dairying			
2403 - पशुपालन	2403 - Animal Husbandry	14.98	...	14.98
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES			
45 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	45 Ministry of Food Processing Industries			
2408 - खाद्य भंडारण और वेयरहाउसिंग	2408 - Food Storage and Warehousing	9.58	...	9.58
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552 - North Eastern Areas	6.90	...	6.90
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE			
46 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	46 Department of Health and Family Welfare			
2071 - पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	2071 - Pensions and other Retirement Benefits	1,995.00	...	1,995.00
2210 - चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य (भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए ₹46.94 करोड़)	2210 - Medical and Public Health (₹46.94 crore for recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of India)	2,505.17	...	2,505.17
2211 - परिवार कल्याण	2211 - Family Welfare	13.46	...	13.46
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र (भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए ₹13.55 करोड़)	2552 - North Eastern Areas (₹13.55 crore for recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of India)	559.40	...	559.40
3601 - राज्य सरकारों को सहायता अनुदान (भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए ₹12.14 करोड़)	3601 - Grants-in-aid to State Governments (₹12.14 crore for recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of India)	1,056.15	...	1,056.15
3606 - सहायता सामग्री और उपकरण	3606 - Aid Materials and Equipment	1,098.47	...	1,098.47
4210 - चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	4210 - Capital Outlay on Medical and Public Health	...	262.42	262.42
4216 - आवासन पर पूंजी परिव्यय	4216 - Capital Outlay on Housing	...	1.00	1.00
47 स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	47 Department of Health Research			
2210 - चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	2210 - Medical and Public Health	10.00	...	10.00
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552 - North Eastern Areas	1.00	...	1.00

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
भारी उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES			
48 भारी उद्योग मंत्रालय	48 Ministry of Heavy Industries			
3451 - सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451 - Secretariat-Economic Services	2.80	...	2.80
2852 - उद्योग	2852 - Industries	1,932.02	...	1,932.02
6860 - उपभोक्ता उद्योगों के लिए ऋण (यह राशि भारत की आकस्मिकता निधि की प्रतिपूर्ति के लिए है)	6860 - Loans for Consumer Industries (This amount is for recoupment of Contingency Fund of India)	...	43.97	43.97
गृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS			
49 गृह मंत्रालय	49 Ministry of Home Affairs			
2052 - सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052 - Secretariat-General Services	0.25	...	0.25
2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2070 - Other Administrative Services	7.26	...	7.26
2245 - प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत	2245 - Relief on account of Natural Calamities	45.35	...	45.35
3601 - राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601 - Grants-in-aid to State Governments	270.00	...	270.00
4070 - अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4070 - Capital Outlay on Other Administrative Services	...	9.83	9.83
4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4250 - Capital Outlay on other Social Services	...	6.10	6.10
50 मंत्रिमंडल	50 Cabinet			
2013 - मंत्रिपरिषद् (भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए ₹15.16 करोड़)	2013 - Council of Ministers (₹15.16 crore for recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of India)	299.53	...	299.53
51 पुलिस	51 Police			
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान (भारत की आकस्मिकता निधि की प्रतिपूर्ति के लिए ₹29.97 करोड़)	3601 - Grants-in-aid to State Governments (₹29.97 crore for recoupment of Contingency Fund of India)	94.72	...	94.72
3602-संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुदान (भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए ₹24.68 करोड़)	3602 - Grants-in-aid to Union Territory (₹24.68 crore for recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of India)	292.73	...	292.73
4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय (भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए ₹338 करोड़)	4055 - Capital Outlay on Police (₹338 crore for recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of India)	...	1535.73	1535.73
52 अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	52 Andaman and Nicobar Islands			
2215 - जल आपूर्ति और स्वच्छता	2215 - Water Supply and Sanitation	0.15	...	0.15
2515 - अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2515 - Other Rural Development Programmes	13.18	...	13.18
3054 - सड़कें और पुल	3054 - Roads and Bridges	6.45	...	6.45
53 चंडीगढ़	53 Chandigarh			
2217 - शहरी विकास	2217 - Urban Development	13.18	...	13.18
2408 - खाद्य भंडारण और वेयरहाउसिंग	2408 - Food Storage and Warehousing	0.95	...	0.95
4055 - पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	4055 - Capital Outlay on Police	...	21.42	21.42
4202 - शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	4202 - Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture	...	6.84	6.84
4216 - आवासन पर पूंजीगत परिव्यय	4216 - Capital Outlay on Housing	...	0.06	0.06
4217 - शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	4217 - Capital Outlay on Urban Development	...	20.83	20.83
4235 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	4235 - Capital Outlay on Social Security and Welfare	...	6.99	6.99
5055 - सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	5055 - Capital Outlay on Road Transport	...	10.45	10.45
5425 - अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय	5425 - Capital Outlay on Other Scientific and Environmental Research	...	0.20	0.20
54 दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव	54 Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu			
2202 - सामान्य शिक्षा	2202 - General Education	16.90	...	16.90
2203 - तकनीकी शिक्षा	2203 - Technical Education	9.45	...	9.45
2210 - चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	2210 - Medical and Public Health	12.00	...	12.00
2515 - अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2515 - Other Rural Development Programmes	20.00	...	20.00
2852 - उद्योग	2852 - Industries	22.00	...	22.00
3053 - नागरिक उड्डयन	3053 - Civil Aviation	16.00	...	16.00

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
4202 - शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	4202 - Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture	...	6.00	6.00
4405 - मत्स्य पालन पर पूंजीगत परिव्यय	4405 - Capital Outlay on Fisheries	...	2.05	2.05
4406-वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय	4406 - Capital Outlay on Forestry and Wild Life	...	6.00	6.00
4705 - कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय	4705 - Capital Outlay on Command Area Development	...	1.50	1.50
4810 - नई और नवीकरणीय ऊर्जा पर पूंजीगत परिव्यय	4810 - Capital Outlay on New and Renewable Energy	...	5.00	5.00
5054 - सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	5054 - Capital Outlay on Roads and Bridges	...	50.00	50.00
55 लद्दाख	55 Ladakh			
2202 - सामान्य शिक्षा (यह राशि भारत की आकस्मिकता निधि से संस्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए है)	2202 - General Education (This amount is for recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of India)	6.00	...	6.00
2217 - शहरी विकास	2217 - Urban Development	4.73	...	4.73
2235 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235 - Social Security and Welfare	0.05	...	0.05
2245 - प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत	2245 - Relief on account of Natural calamities	10.00	...	10.00
4070 - अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4070 - Capital Outlay on Other Administrative Services	...	2.33	2.33
4202 - शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	4202 - Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture	...	3.75	3.75
4210 - चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	4210 - Capital Outlay on Medical and Public Health	...	1.60	1.60
4401 - फसल पालन पर पूंजीगत परिव्यय	4401 - Capital Outlay on Crop Husbandry	...	1.25	1.25
4403 - पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	4403 - Capital Outlay on Animal Husbandry	...	2.13	2.13
4405 - मत्स्य पालन पर पूंजीगत परिव्यय	4405 - Capital Outlay on Fisheries	...	0.30	0.30
4408 - खाद्य भंडारण और भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय	4408 - Capital Outlay on Food Storage and Warehousing	...	1.40	1.40
4425 - सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	4425 - Capital Outlay on Co-operation	...	0.54	0.54
4435 - अन्य कृषि कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	4435 - Capital Outlay on Other Agricultural Programmes	...	0.89	0.89
4575 - अन्य विशेष क्षेत्रों के कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	4575 - Capital Outlay on Other Special Areas Programmes	...	22.59	22.59
4702 - लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	4702 - Capital Outlay on Minor Irrigation	...	0.90	0.90
4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4711 - Capital Outlay on Flood Control Projects	...	4.9	4.9
4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4801 - Capital Outlay on Power Projects	...	7.00	7.00
5054 - सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	5054 - Capital Outlay on Roads and Bridges	...	50.50	50.50
56 लक्षद्वीप	56 Lakshadweep			
4055 - पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	4055 - Capital Outlay on Police	...	0.03	0.03
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS			
60 आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	60 Ministry of Housing and Urban Affairs			
2059 - लोक निर्माण कार्य	2059 - Public Works	3.39	...	3.39
2216 - आवासन	2216 - Housing	11,221.73	...	11,221.73
4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	4059 - Capital Outlay on Public Works	...	70.00	70.00
4216 - आवासन पर पूंजीगत परिव्यय	4216 - Capital Outlay on Housing	...	200.00	200.00
4217 - शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	4217 - Capital Outlay on Urban Development	...	441.79	441.79
सूचना और प्रसारण मंत्रालय	MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING			
61 सूचना और प्रसारण मंत्रालय	61 Ministry of Information and Broadcasting			
2251 - सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	2251 - Secretariat-Social Services	0.04	...	0.04

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
जल शक्ति मंत्रालय	MINISTRY OF JAL SHAKTI			
62 जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	62 Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation			
3451 - सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451 - Secretariat-Economic Services	1.26	...	1.26
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552 - North Eastern Areas	12.37	...	12.37
2701 - प्रमुख और मध्यम सिंचाई	2701 - Major and Medium Irrigation	11.80	...	11.80
3435 - पारिस्थितिकी और पर्यावरण	3435 - Ecology and Environment	1,400.00	...	1,400.00
63 पेयजल और स्वच्छता विभाग	63 Department of Drinking Water and Sanitation			
2215 - जल आपूर्ति और स्वच्छता	2215 - Water Supply and Sanitation	10.00	...	10.00
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552 - North Eastern Areas	2,015.4	...	2,015.4
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES			
68 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	68 Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises			
2552- पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	0.40	...	0.40
2851 - ग्रामीण और लघु उद्योग	2851-Village and Small Industries	233.05	...	233.05
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY			
71 नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	71 Ministry of New and Renewable Energy			
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552 - North Eastern Areas	13.00	...	13.00
पंचायती राज मंत्रालय	MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ			
72 पंचायती राज मंत्रालय	72 Ministry of Panchayati Raj			
2515 - अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2515 - Other Rural Development Programme	14.02	...	14.02
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS			
74 कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	74 Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions			
2052 - सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052 - Secretariat-General Services	3.05	...	3.05
2051 - लोक सेवा आयोग (भारत की आकस्मिक निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए 100 करोड़)	2051 - Public Service Commission (₹100 crore for recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of India)	227.01	...	227.01
2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2070 - Other Administrative Services	22.37	...	22.37
4059 - लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	4059 - Capital Outlay on Public Works	...	40.00	40.00
पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS			
78 पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय	78 Ministry of Ports, Shipping and Waterways			
3051 - पतन और लाइट हाउस	3051 - Ports and Light Houses	17.00	...	17.00
5052 - पोत परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	5052 - Capital Outlay on Shipping	...	7.20	7.20
विद्युत मंत्रालय	MINISTRY OF POWER			
79 विद्युत मंत्रालय	79 Ministry of Power			
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552 - North Eastern Areas	812.57	...	812.57
2801 - विद्युत	2801 - Power	202.26	...	202.26
ग्रामीण विकास मंत्रालय	MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT			
87 ग्रामीण विकास विभाग	87 Department of Rural Development			
ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	2501- Special Programme for Rural Development	9.99	...	9.99

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
88 भूमि संसाधन विभाग	88 Department of Land Resources			
2501 - ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	2501 - Special Programmes for Rural Development	0.10	...	0.10
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552 - North Eastern Areas	18.00	...	18.00
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY			
89 विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	89 Department of Science and Technology			
3425 - अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	3425 - Other Scientific Research	350.00	...	350.00
91 वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	91 Department of Scientific and Industrial Research			
4859 - दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	4859 - Capital Outlay on Telecommunication and Electronic Industries	...	1.50	1.50
अंतरिक्ष विभाग	DEPARTMENT OF SPACE			
95 अंतरिक्ष विभाग	95 Department of Space			
3402 - अंतरिक्ष अनुसंधान	3402 - Space Research	12.22	...	12.22
5402 - अंतरिक्ष अनुसंधान का पूंजीगत परिव्यय	5402 - Capital Outlay of Space Research	...	4,718.24	4,718.24
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION			
96 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	96 Ministry of Statistics and Programme Implementation			
3454-जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	3454- Census Surveys and Statistics	38.40	...	38.40
कपड़ा मंत्रालय	MINISTRY OF TEXTILES			
98 कपड़ा मंत्रालय	98 Ministry of Textiles			
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552 - North Eastern Areas	22.90	...	22.90
2851 - ग्राम और लघु उद्योग	2851 - Village and Small Industries	171.18	...	171.18
2852 - उद्योग	2852 - Industries	293.69	...	293.69
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT			
101 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	101 Ministry of Women and Child Development			
2235 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (₹36.77 करोड़ भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए)	2235 - Social Security and Welfare (₹36.77 crore for recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of India)	59.88	...	59.88
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552 - North Eastern Areas	0.52	...	0.52
युवा मामले और खेल मंत्रालय	MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS			
102 युवा मामले और खेल मंत्रालय	102 Ministry of Youth Affairs and Sports			
2204 - खेल और युवा सेवाएं	2204 - Sports and Youth Services	203.52	...	203.52
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552 - North Eastern Areas	0.40	...	0.40
कुल टोकन	Total Token	1.01	0.58	1.59
5. अनुदान की अनुपूरक मांगों में कुल 28271,20,01,000 शामिल हैं जिन्हें भारत की आकस्मिकता निधि में प्रतिपूर्ति किया जाना है, जिसमें से 20 विभागों/मंत्रालयों द्वारा आहरित किया गया था।	5. The Supplementary Demands for Grants includes a total of ₹28271,20,01,000 to be recouped to Contingency Fund of India advance from which were drawn by 20 Departments/Ministries.			
कुल योग	GRAND TOTAL	3,85,206.83	50,732.04	4,35,938.87
निवल नकद व्यय	Net Cash Outgo	2,94,703.86	31,052.83	3,25,756.69
तकनीकी पूरक	Technical Supplementary	90,501.96	19,678.63	1,10,180.59
सांकेतिक पूरक	Token Supplementary	1.01	0.58	1.59

विषय सूची CONTENTS

मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		(₹ करोड़ in ₹ crore)			
				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page
कृषि एवं कृषक		MINISTRY OF AGRICULTURE &					
कल्याण मंत्रालय		FARMERS WELFARE					
1. कृषि, और कृषक	स्वीकृत	1. Department of Agriculture,	Voted	0.03	0.01	0.04	1
कल्याण विभाग		and Farmers Welfare					
परमाणु ऊर्जा विभाग		DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY					
3. परमाणु ऊर्जा	स्वीकृत	3. Atomic Energy	Voted	3146.24	0.02	3146.26	2-3
आयुष मंत्रालय		MINISTRY OF AYUSH					
4. आयुष मंत्रालय	स्वीकृत	4. Ministry of AYUSH	Voted	0.01	...	0.01	4
रसायन और उर्वरक मंत्रालय		MINISTRY OF CHEMICALS AND					
		FERTILIZERS					
6. उर्वरक विभाग	स्वीकृत	6. Department of Fertilizers	Voted	109288.95	...	109288.95	5
7. भेषज विभाग	भारित	7. Department of Pharmaceuticals	Charged	1.80	...	1.80	6
	स्वीकृत		Voted	24.39	...	24.39	
नागर विमानन मंत्रालय		MINISTRY OF CIVIL AVIATION					
8. नागर विमानन मंत्रालय	स्वीकृत	8. Ministry of Civil Aviation	Voted	0.01	...	0.01	7
कोयला मंत्रालय		MINISTRY OF COAL					
9. कोयला मंत्रालय	स्वीकृत	9. Ministry of Coal	Voted	154.64	...	154.64	8
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय		MINISTRY OF COMMERCE AND					
		INDUSTRY					
10. वाणिज्य विभाग	स्वीकृत	10. Department of Commerce	Voted	383.00	0.01	383.01	9
11. औद्योगिक नीति तथा	भारित	11. Department for Promotion of	Charged	0.01	...	0.01	10-11
संवर्धन विभाग	स्वीकृत	Industry and Internal Trade	Voted	0.04	62.45	62.49	
संचार मंत्रालय		MINISTRY OF COMMUNICATIONS					
12. डाक विभाग	भारित	12. Department of Posts	Charged	1.60	...	1.60	12
	स्वीकृत		Voted	...	87.00	87.00	
13. दूरसंचार विभाग	स्वीकृत	13. Department of Telecommunications	Voted	13668.84	0.01	13668.85	13
उपभोक्ता कार्य, खाद्य और		MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS,					
सार्वजनिक वितरण मंत्रालय		FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION					
15. खाद्य और सार्वजनिक वितरण	स्वीकृत	15. Department of Food and Public	Voted	80348.28	0.03	80348.31	14-15
विभाग		Distribution					
सहकारिता मंत्रालय		MINISTRY OF COOPERATION					
16. सहकारिता मंत्रालय	स्वीकृत	16. Ministry of Cooperation	Voted	...	154.00	154.00	16
कारपोरेट कार्य मंत्रालय		MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS					
17. कारपोरेट कार्य मंत्रालय	स्वीकृत	17. Ministry of Corporate Affairs	Voted	0.01	...	0.01	17
संस्कृति मंत्रालय		MINISTRY OF CULTURE					
18. संस्कृति मंत्रालय	स्वीकृत	18. Ministry of Culture	Voted	354.02	0.01	354.03	18
रक्षा मंत्रालय		MINISTRY OF DEFENCE					
19. रक्षा मंत्रालय (सिविल)	भारित	19. Ministry of Defence (Civil)	Charged	0.50	...	0.50	19
	स्वीकृत		Voted	2750.00	500.01	3250.01	
20. रक्षा सेवाएं (राजस्व)	भारित	20. Defence Services (Revenue)	Charged	0.70	...	0.70	20
	स्वीकृत		Voted	19999.30	...	19999.30	
21. रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	21. Capital Outlay on Defence Services	Voted	...	0.01	0.01	21
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय		MINISTRY OF DEVELOPMENT OF					
		NORTH EASTERN REGION					
23. पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	स्वीकृत	23. Ministry of Development of North	Voted	0.02	80.00	80.02	22
		Eastern Region					

				(₹ करोड़ in ₹ crore)				
मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page	
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय		MINISTRY OF EARTH SCIENCES						
24.	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	स्वीकृत	24. Ministry of Earth Sciences	Voted	0.02	...	0.02	23
शिक्षा मंत्रालय		MINISTRY OF EDUCATION						
25.	स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	स्वीकृत	25. Department of School Education and Literacy	Voted	0.02	...	0.02	24
26.	उच्चतर शिक्षा विभाग	स्वीकृत	26. Department of Higher Education	Voted	0.03	...	0.03	25-26
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय		MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY						
27.	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	स्वीकृत	27. Ministry of Electronics and Information Technology	Voted	320.01	...	320.01	27
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय		MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE						
28.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	स्वीकृत	28. Ministry of Environment, Forests and Climate Change	Voted	0.03	0.02	0.05	28
विदेश मंत्रालय		MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS						
29.	विदेश मंत्रालय	स्वीकृत	29. Ministry of External Affairs	Voted	0.03	0.01	0.04	29
वित्त मंत्रालय		MINISTRY OF FINANCE						
30.	आर्थिक कार्य विभाग	स्वीकृत	30. Department of Economic Affairs	Voted	575.43	0.01	575.44	30
32.	वित्तीय सेवाएं विभाग	भारित स्वीकृत	32. Department of Financial Services	Charged	0.65	...	0.65	31
				Voted	261.48	0.01	261.49	
33.	लोक उद्यम विभाग		33. Department of Public Enterprises	Voted	3.00	150.00	153.00	32
35.	राजस्व विभाग	स्वीकृत	35. Department of Revenue	Voted	19698.49	30.00	19728.49	33-34
36.	प्रत्यक्ष कर	स्वीकृत	36. Direct Taxes	Voted	...	229.72	229.72	35
37.	अप्रत्यक्ष कर	स्वीकृत	37. Indirect Taxes	Voted	0.01	...	0.01	36
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय		MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING						
43.	मत्स्य पालन विभाग	स्वीकृत	43. Department of Fisheries	Voted	0.02	...	0.02	37
44.	पशु पालन और डेरी कार्य विभाग	स्वीकृत	44. Department of Animal Husbandry and Dairying	Voted	0.01	...	0.01	38
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय		MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES						
45.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	स्वीकृत	45. Ministry of Food Processing Industries	Voted	0.02	...	0.02	39
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय		MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE						
46.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	स्वीकृत	46. Department of Health and Family Welfare	Voted	0.06	0.02	0.08	40-41
47.	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग		47. Department of Health Research	Voted	0.02	...	0.02	42
भारी उद्योग मंत्रालय		MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES						
48.	भारी उद्योग मंत्रालय	स्वीकृत	48. Ministry of Heavy Industries	Voted	0.02	0.01	0.03	43
गृह मंत्रालय		MINISTRY OF HOME AFFAIRS						
49.	गृह मंत्रालय	स्वीकृत	49. Ministry of Home Affairs	Voted	0.04	0.02	0.06	44-45
50.	मंत्रिमंडल	स्वीकृत	50. Cabinet	Voted	0.01	...	0.01	46
51.	पुलिस	स्वीकृत	51. Police	Voted	2982.36	0.01	2982.37	47-48
52.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	स्वीकृत	52. Andaman and Nicobar Islands	Voted	0.03	...	0.03	49
53.	चंडीगढ़	भारित स्वीकृत	53. Chandigarh	Charged	1.49	...	1.49	50-51
				Voted	461.72	0.07	461.79	
54.	दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव	स्वीकृत	54. Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu	Voted	46.96	54.06	101.02	52-53
55.	लद्दाख	स्वीकृत	55. Ladakh	Voted	0.04	0.14	0.18	54-55
56.	लक्षद्वीप	स्वीकृत	56. Lakshadweep	Voted	...	0.01	0.01	56
58.	जम्मू कश्मीर को अंतरण	स्वीकृत	58. Transfers to Jammu and Kashmir	Voted	8956.69	...	8956.69	57
59.	पुडुचेरी को अंतरण	स्वीकृत	59. Transfers to Puducherry	Voted	1400.00	...	1400.00	58

मांग संख्या और शीर्षक	No. and Title of Demand		राजस्व Revenue	(₹ करोड़ in ₹ crore)			पृष्ठ Page
				पूँजी Capital	जोड़ Total		
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS						
60. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय <i>भारित</i>	60. Ministry of Housing and Urban Affairs	<i>Charged</i>	8.66	1.91	10.57	59-60	
स्वीकृत		Voted	2283.95	0.03	2283.98		
सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING						
61. सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	61. Ministry of Information and Broadcasting	Voted	201.23	...	201.23	61	
जल शक्ति मंत्रालय	MINISTRY OF JAL SHAKTI						
62. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प विभाग	62. Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation	Voted	0.04	...	0.04	62	
स्वीकृत							
63. पेय जल एवं स्वच्छता विभाग	63. Department of Drinking Water and Sanitation	Voted	0.02	...	0.02	63	
स्वीकृत							
विधि और न्याय मंत्रालय	MINISTRY OF LAW AND JUSTICE						
65. विधि और न्याय	65. Law and Justice	Voted	29.65	...	29.65	64	
स्वीकृत							
66. निर्वाचन आयोग	66. Election Commission	Voted	67.24	...	67.24	65	
स्वीकृत							
67. भारत का उच्चतम न्यायालय	67. Supreme Court of India	<i>Charged</i>	4.01	...	4.01	66	
<i>भारित</i>							
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES						
68. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	68. Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises	Voted	0.02	...	0.02	67	
स्वीकृत							
नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY						
71. नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	71. Ministry of New and Renewable Energy	Voted	132.33	2.00	134.33	68	
स्वीकृत							
पंचायती राज मंत्रालय	MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ						
72. पंचायती राज मंत्रालय	72. Ministry of Panchayati Raj	Voted	37.21	...	37.21	69	
स्वीकृत							
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS						
74. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	74. Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions	<i>Charged</i>	...	165.46	165.46	70-71	
<i>भारित</i>		Voted	0.03	0.01	0.04		
स्वीकृत							
75. केन्द्रीय सतर्कता आयोग	75. Central Vigilance Commission	<i>Charged</i>	1.50	...	1.50	72	
<i>भारित</i>							
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS						
76. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	76. Ministry of Petroleum and Natural Gas	Voted	25503.68	...	25503.68	73	
स्वीकृत							
योजना मंत्रालय	MINISTRY OF PLANNING						
77. योजना मंत्रालय	77. Ministry of Planning	Voted	612.44	10.00	622.44	74	
स्वीकृत							
पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS						
78. पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय	78. Ministry of Ports, Shipping and Waterways	Voted	13.09	70.80	83.89	75	
स्वीकृत							
विद्युत मंत्रालय	MINISTRY OF POWER						
79. विद्युत मंत्रालय	79. Ministry of Power	Voted	0.02	10.00	10.02	76	
स्वीकृत							
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उपराष्ट्रपति का सचिवालय	THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION AND THE SECRETARIAT OF THE VICE PRESIDENT						
80. राष्ट्रपति सचिवालय के कर्मचारी परिवार एवं भत्ते	80. Staff, Household and Allowances of the President	<i>Charged</i>	5.35	...	5.35	77	
<i>भारित</i>							
81. लोक सभा	81. Lok Sabha	<i>Charged</i>	0.02	...	0.02	78	
<i>भारित</i>							
82. राज्य सभा	82. Rajya Sabha	<i>Charged</i>	0.75	...	0.75	79	
<i>भारित</i>							
84. संघ लोक सेवा आयोग	84. Union Public Service Commission	<i>Charged</i>	20.67	...	20.67	80	
<i>भारित</i>							

मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		(₹ करोड़ in ₹ crore)			
				राजस्व Revenue	पूँजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page
रेल मंत्रालय		MINISTRY OF RAILWAYS					
85. रेल मंत्रालय	स्वीकृत	85. Ministry of Railways	Voted	...	12000.00	12000.00	81-82
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय		MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS					
86. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	स्वीकृत	86. Ministry of Road Transport and Highways	Voted	10.00	37117.64	37127.64	83-84
ग्रामीण विकास मंत्रालय		MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT					
87. ग्रामीण विकास विभाग	स्वीकृत	87. Department of Rural Development	Voted	89999.50	...	89999.50	85-86
88. भूमि संसाधन विभाग	भारित	88. Department of Land Resources	Charged	10.25	...	10.25	87
	स्वीकृत		Voted	0.02	...	0.02	
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय		MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY					
89. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	स्वीकृत	89. Department of Science and Technology	Voted	0.01	...	0.01	88
91. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	स्वीकृत	91. Department of Scientific & Industrial Research	Voted	313.65	0.01	313.66	89
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय		MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT					
93. सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	स्वीकृत	93. Department of Social Justice and Empowerment	Voted	1100.00	...	1100.00	90
अंतरिक्ष विभाग		DEPARTMENT OF SPACE					
95. अंतरिक्ष विभाग	भारित	95. Department of Space	Charged	0.60	...	0.60	91
	स्वीकृत		Voted	0.01	0.01	0.02	
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय		MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION					
96. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	स्वीकृत	96. Ministry of Statistics and Programme Implementation	Voted	0.01	...	0.01	92
इस्पात मंत्रालय		MINISTRY OF STEEL					
97. इस्पात मंत्रालय	स्वीकृत	97. Ministry of Steel	Voted	10.72	...	10.72	93
वस्त्र मंत्रालय		MINISTRY OF TEXTILES					
98. वस्त्र मंत्रालय	स्वीकृत	98. Ministry of Textiles	Voted	0.03	6.50	6.53	94-95
जनजातीय कार्य मंत्रालय		MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS					
100. जनजातीय कार्य मंत्रालय	स्वीकृत	100. Ministry of Tribal Affairs	Voted	9.00	...	9.00	96
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय		MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT					
101. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	स्वीकृत	101. Ministry of Women and Child Development	Voted	0.02	...	0.02	97
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय		MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS					
102. युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	स्वीकृत	102. Ministry Of Youth Affairs And Sports	Voted	0.02	...	0.02	98
कुल जोड़		GRAND TOTAL		385206.83	50732.04	435938.87	
	भारित		Charged	58.56	167.37	225.93	
	स्वीकृत		Voted	385148.27	50564.67	435712.94	

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 1

कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग

DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 1 देखिये)

(See page 1 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:			
राजस्व	...	123960.75	123960.75
पूंजी	...	39.25	39.25
जोड़	...	124000.00	124000.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:			
राजस्व	...	0.03	0.03
पूंजी	...	0.01	0.01
जोड़	...	0.04	0.04
जोड़ (मूल और पूरक)	...	124000.04	124000.04
राजस्व	...	123960.78	123960.78
पूंजी	...	39.26	39.26

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग			
मुख्य शीर्ष			
2401-कृषि कार्य	...	0.01 (का)	0.01
2435-अन्य कृषि कार्यक्रम	...	0.01 (खब)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	0.01 (गक)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	...	0.03	0.03
पूंजी भाग			
मुख्य शीर्ष			
4401-फसल कार्य पर पूंजी परिव्यय	...	0.01 (घद)	0.01
जोड़ (पूरक)	...	0.04	0.04

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary Grants are required for:

(क)	(i)	कृषोन्नति योजना के अंतर्गत खाद्य तेल-तिलहन के लिए सामान्य सहायता अनुदान (80 करोड़ रुपये),	(a)	(i)	Grants-in-aid General for Edible Oil-Oilseeds under Krishonnati Yojana (₹ 80 crore),
	(ii)	पीएम-किसान योजना के अंतर्गत (क) सामान्य सहायता अनुदान (6387.77 करोड़ रुपये) और (ख) जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (टीएएसपी) के लिए (561.32 करोड़ रुपये)। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है		(ii)	(a) Grants-in-aid General (₹ 6387.77 crore) and (b) for Tribal Area Sub-Plan (TASP) (₹ 561.32 crore) under PM-Kisan Scheme. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	(i)	सामान्य सहायता अनुदान (471.24 करोड़), (ii) अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) के लिए (104.58 करोड़ रुपये) और (ग) 10,000 कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) योजना के गठन और संवर्धन के तहत टीएएसपी के लिए (54.18 करोड़ रुपये) अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है	(b)	(i)	Grants-in-aid General (₹ 471.24 crore), (ii) for Scheduled Caste Sub Plan (SCSP) (₹ 104.58 crore) and (c) for TASP (₹ 54.18 crore) under Formation and Promotion of 10,000 Farmer Producer Organizations (FPOs) scheme. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)	(ii)	कृषोन्नति योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (49.35 करोड़ रुपये)।	(c)	(ii)	Grants-in-aid General for TASP under Krishonnati Yojana (₹ 49.35 crore),
	(iii)	कृषि जनगणना और सांख्यिकी के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (1.35 करोड़ रुपये),		(iii)	Grants-in-aid General under Agriculture Census and Statistics (₹ 1.35 crore),
	(iv)	पीएम-किसान योजना के अंतर्गत टीएएसपी के लिए सामान्य सहायता अनुदान (120.87 करोड़ रुपये),		(iv)	Grants-in-aid General for TASP under PM-Kisan Scheme (₹ 120.87 crore),
	(v)	(क) सामान्य सहायता अनुदान (52.36 करोड़ रुपये), (ख) एससीएसपी के लिए (11.62 करोड़ रुपये) और (ग) 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन और संवर्धन के अंतर्गत, टीएएसपी के लिए (6.02 करोड़ रुपये) अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है		(v)	(a) Grants-in-aid General (₹ 52.36 crore), (b) for SCSP (₹ 11.62 crore) and (c) for TASP (₹ 6.02 crore) under Formation and Promotion of 10,000 Farmer Producer Organizations (FPOs). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(घ)		राष्ट्रीय जैविक खेती कार्यक्रम संवर्धन परियोजना के अंतर्गत मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए (1.70 करोड़ रुपये)। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है	(d)		Machinery & Equipment for the purchase of equipment under National Project on Promotion of Organic Farming Programme (₹ 1.70 crore) . Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 3

**परमाणु ऊर्जा
ATOMIC ENERGY**

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 3 देखिये)

(See page 3 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		<i>भारित Charged</i>	<i>स्वीकृत Voted</i>	<i>जोड़ Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	1.00	16517.81	16518.81
पूंजी	Capital	...	15825.08	15825.08
जोड़	Total	1.00	32342.89	32343.89
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	3146.24	3146.24
पूंजी	Capital	...	0.02	0.02
जोड़	Total	...	3146.26	3146.26
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1.00	35489.15	35490.15
राजस्व	Revenue	1.00	19664.05	19665.05
पूंजी	Capital	...	15825.10	15825.10
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित Charged</i>	<i>स्वीकृत Voted</i>	<i>जोड़ Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services	...	9.18 (का)	9.18
2801-विद्युत	2801-Power	...	900.62 (खब)	900.62
2852-उद्योग	2852-Industries	...	1755.23 (गक)	1755.23
3401-परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	3401-Atomic Energy Research	...	481.21 (घद)	481.21
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	3146.24	3146.24
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय	4801-Capital Outlay on Power Projects	...	0.01 (डे)	0.01
4861-परमाणु ऊर्जा उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	4861-Capital Outlay on Atomic Energy Industries	...	0.01 (चफ)	0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	0.02	0.02
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	3146.26	3146.26

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary Grants are required for:

(क)	डीएई सचिवालय के स्थापना व्यय (9.18 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। उपरोक्त व्यय में 9.18 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा।	(a)	meeting additional expenditure towards Establishment expenditure of DAE secretariat (₹ 9.18 crore). The above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 9.18 crore.
(ख)	(i) केकेएनपीपी यूनिट 1 और 2 के लिए मैसर्स टीवीईएल (1216.08 रुपये) रूस से 6 से 11 रीलोड के लिए ईंधन की खरीद के लिए अतिरिक्त व्यय और (ii) स्थापना के तहत आपूर्ति और सामग्री और लघु कार्य के लिए (3.14 करोड़ रु.) को पूरा करना। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए 900.62 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा।	(b)	meeting additional expenditure towards (i) procurement of fuel for KKNPP Unit 1 & 2 from M/s TVEL (₹ 1216.08 crore) Russia for reload 6 to 11; and (ii) Supplies & Material and Minor Works (₹ 3.14 crores) under establishment. Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 900.62 crore.
(ग)	(i) न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स (1407.29 करोड़ रुपये) द्वारा यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को बकाया भुगतान के लिए (ii) न्यूक्लीयर रिसाइकल बोर्ड (166.30 करोड़ रुपये); और (iii) स्थापना के विभिन्न मदों के तहत (181.64 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। अनुदान के पूंजी खंड में उपलब्ध बचत (892.98 करोड़ रुपये) के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, इसमें 862.25 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा।	(c)	meeting additional expenditure towards (i) arrears payment to Uranium Corporation of India Limited by Nuclear Fuel Complex (₹ 1407.29 crore); (ii) Nuclear Recycle Board (₹ 166.30 crore); and (iii) under various heads of establishment (₹ 181.64 crore). Taking into account the surrender of savings (₹ 892.98 crores) available in the Capital Section of the Grant, this will entail a cash outgo of ₹ 862.25 crore.
(घ)	स्वायत्त निकायों के लिए (i) सामान्य सहायता अनुदान (5.10 करोड़ रुपये), वेतन सहायता अनुदान - (227.26 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त व्यय (ii) आपूर्ति और सामग्री के तहत स्थापना व्यय (82 करोड़ रुपये); और (iii) स्थापना संबंधी अन्य व्यय (283 करोड़ रुपये) को पूरा करना। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए 481.21 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा।	(d)	meeting additional expenditure towards (i) Grants-in-aid General (₹ 5.10 crores), Grants-in-aid -Salaries (₹ 227.26 crore) for autonomous bodies; (ii) Establishment expenditure under Supplies and Materials (₹ 82 crores); and (iii) other establishment related expenditure (₹ 283 crores). Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 481.21 crore.
(ङ)	(i) न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) के निवेश (788.23 करोड़ रुपये) और (ii) परमाणु ऊर्जा परियोजना के तहत केकेएनपीपी साइट पर खर्च किए गए ईंधन कास्क के लिए (46.45 करोड़ रुपए) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	(e)	meeting additional expenditure towards (i) Investment of Nuclear Power Corporation of India Limited (NPCIL) (₹ 788.23 crores); and (ii) Spent Fuel Cask at KKNPP site under Nuclear Power Project (₹ 46.45 crores)

(च)	<p>अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।</p> <p>(i) परमाणु खनिज प्रभाग (एएमडी) के लिए व्यावसायिक सेवाओं के लिए (50 करोड़ रुपये); (ii) विकिरण और आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड के लिए मशीनरी और उपकरण (60 करोड़ रुपये); (iii) परमाणु ईंधन निर्माण परियोजना (202.51 करोड़ रुपये); (iv) औद्योगिक और खनिज परियोजनाओं के लिए (74.30 करोड़ रुपये); (v) फीड स्टॉक (80 करोड़ रुपये); और (vi) भारी जल परियोजनाओं का सुधार संशोधन (9.53 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। भारत की आकस्मिकता निधि से भी 110 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति की जाएगी।</p>	(f)
	<p>अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।</p>	
	<p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> <p>meeting expenditure towards (i) Professional Services for Atomic Minerals Division (AMD) (₹ 50 crore); (ii) Machinery & Equipment for Board of Radiation and Isotopes Technology (₹ 60 crores); (iii) Nuclear Fuel Fabrication Project (₹ 202.51 crores); (iv) Industrial and Minerals Projects (₹ 74.30 crores); (v) Feed Stock (₹ 80 crore); and (vi) Improvement modification of Heavy Water Projects (₹ 9.53 crores). An advance of ₹ 110 crore from Contingency Fund of India will also be recouped.</p>	
	<p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p>	

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 4

**आयुष मंत्रालय
MINISTRY OF AYUSH**

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 4 देखिये)

(See page 4 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	3050.00	3050.00
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	3050.00	3050.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	3050.01	3050.01
राजस्व	Revenue	...	3050.01	3050.01
पूंजी	Capital
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(1) योजना के तहत पूंजीगत संपत्ति के सृजन के लिए अनुदान (i) आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान (आईटीआरए) (26.46 करोड़ रुपये), (ii) राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान (एनआईएस) (3.21 करोड़ रुपये), (iii) राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान (एनआईएन), पुणे (25 करोड़ रुपये), (iv) केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीआरवाईएन) (25 करोड़ रुपये), (iv) राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान (एनआईयूएम), बेंगलूर (3 करोड़ रुपये), (2) योजना के तहत वेतन सहायता अनुदान (i) राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान (एनआईएच), कोलकाता (5.15 करोड़ रुपये) (ii) राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान (एनआईएस) (2.23 करोड़ रुपये), (iii) राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (एनसीएच) (0.68 करोड़ रुपये), (iii) अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए) (4 करोड़ रुपये), (iv) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (एनआईए), जयपुर (1.30 करोड़ रुपये), (v) मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान (एमडीएनआईवाई) (0.50 करोड़ रुपये), (vi) केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद (सीसीआरएस) (0.21 करोड़ रुपये) और (3) योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (i) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संवर्धन (आईसी) (6.58 करोड़ रु.), (ii) राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग (एनसीआईएसएम) (4.17 करोड़ रुपये), (iii) राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (एनसीएच) (0.75 करोड़ रुपये), (iv) केंद्रीय यूनानी औषधि अनुसंधान परिषद (सीसीआरयूएम) (4 करोड़ रुपये), (v) राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ (1 करोड़ रुपये), (vi) अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई) सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) के घटक (0.40 करोड़ रुपये)

अनुदान के एक ही खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grant is required for:

(1) Grant for creation of Capital Assets under the scheme (i) Institute of Teaching and Research in Ayurveda (ITRA) (₹ 26.46 crore), (ii) National Institute of Siddha (NIS) (₹ 3.21 crore), (iii) National Institute of Naturopathy (NIN), Pune (₹ 25 crore), (iv) Central Council for Research in Yoga & Naturopathy (CCRYN) (₹ 25 crore), (iv) National Institute of Unani Medicine (NIUM), Bangalore (₹ 3 crore), (2) Grant-in-Aid Salary under the scheme (i) National Institute of Homoeopathy (NIH), Kolkata (₹ 5.15 crore) (ii) National Institute of Siddha (NIS) (₹ 2.23 crore), (iii) National Commission for Homoeopathy (NCH) (₹ 0.68 crore), (iii) All India Institute of Ayurveda (AIIA) (₹ 4 crore), (iv) National Institute of Ayurveda (NIA), Jaipur (₹ 1.30 crore), (v) Morarji Desai National Institute of Yoga (MDNIY) (₹ 0.50 crore), (vi) Central Council for Research in Siddha (CCRS) (₹ 0.21 crore) and (3) Grant-in-Aid General under the scheme (i) Promotion of International Cooperation (IC) (₹ 6.58 crore), (ii) National Commission for Indian System of Medicine (NCISM) (₹ 4.17 crore), (iii) National Commission for Homoeopathy (NCH) (₹ 0.75 crore), (iv) Central Council for Research in Unani Medicine (CCRUM) (₹ 4 crore), (v) Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth (₹ 1 crore), (vi) International Day of Yoga (IDY) component of Information, Education and Communication (IEC) (₹ 0.40 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 6

उर्वरक विभाग

DEPARTMENT OF FERTILISERS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 6 देखिये)

(See page 6 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	109242.18	109242.18
पूंजी	Capital	...	0.05	0.05
जोड़	Total	...	109242.23	109242.23
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	109288.95	109288.95
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	109288.95	109288.95
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	218531.18	218531.18
राजस्व	Revenue	...	218531.13	218531.13
पूंजी	Capital	...	0.05	0.05

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2401-कृषि कार्य	2401-Crop Husbandry	...	23122.23	(का) 23122.23
2852-उद्योग	2852-Industries	...	86166.72	(खब) 86166.72
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	109288.95	109288.95

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

- (क) (i) स्वदेशी पी एण्ड के सब्सिडी के लिए भुगतान (14,889.67 करोड़ रुपये),
(ii) आयातित पी एण्ड के सब्सिडी के लिए भुगतान (8,232.56 करोड़ रुपये)।
उपरोक्त व्यय में नकद व्यय होगा।
- (ख) (i) स्वदेशी यूरिया सब्सिडी के लिए भुगतान (71,860.41 करोड़ रुपये)
(ii) आयातित यूरिया सब्सिडी के लिए भुगतान (14,304.15 करोड़ रुपये) और
(iii) भारतीय शिपिंग कंपनियों को सब्सिडी सहायता (2.16 करोड़ रुपये)
उपरोक्त व्यय में नकद व्यय होगा।

The supplementary Grants are required for:

- (a) (i) Payment of Indigenous P&K subsidy (₹ 14,889.67 crore),
(ii) Payment for imported P&K subsidy (₹ 8,232.56 crore).
The above expenditure will entail a cash outgo.
- (b) (i) Payment for Indigenous Urea subsidy (₹ 71,860.41 crore),
(ii) Payment for imported Urea subsidy (₹ 14,304.15 crore) and
(iii) Subsidy support to Indian Shipping Companies (₹ 2.16 crore).
The above expenditure will entail a cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 7

भेषज विभाग

DEPARTMENT OF PHARMACEUTICALS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 7 देखिये)

(See page 7 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2238.85	2238.85
पूंजी	Capital	...	5.30	5.30
जोड़	Total	...	2244.15	2244.15
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	1.80	24.39	26.19
पूंजी	Capital
जोड़	Total	1.80	24.39	26.19
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1.80	2268.54	2270.34
राजस्व	Revenue	1.80	2263.24	2265.04
पूंजी	Capital	...	5.30	5.30

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:

		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>		<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	2.70	(क) (क)	2.70
2852-उद्योग	2852-Industries	1.80	(ख) (ख)	21.69	23.49
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	1.80	24.39		26.19

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

- (क) (i) राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर) के लिए सामान्य सहायता अनुदान(जीआईए) के तहत (1 करोड़ रुपये), जीआईए-वेतन (0.70 करोड़ रुपये) और पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान (1 करोड़ रुपये) और (ii) जीआईए-सामान्य के तहत जन औषधि योजना (2.80 करोड़ रुपये)।
अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए 2.70 करोड़ रुपये का निवल नकद व्यय होगा।
- (ख) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में राजस्थान ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड (आरडीपीएल) को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के समक्ष जमा करने के लिए (1.80 करोड़ रुपये)
अनुदान के राजस्व अनुभाग (स्वीकृत) में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, उपर्युक्त व्यय के लिए कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- (ग) (i) जीआईए-सामान्य के तहत राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (21.69 करोड़ रुपये), (ii) जीआईए-सामान्य के तहत औषधीय संवर्धन विकास योजना (पीपीडीएस) (1.00 करोड़ रुपये), (iii) (जीआईए)-सामान्य के तहत औषधि हेतु उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन योजनाएं (पीएलआई) (693.00 करोड़ रुपये), (iv) जीआईए-सामान्य के तहत एनआईपीईआर (0.40 करोड़ रुपये) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (2.21 करोड़ रुपये) (v) मजदूरी के तहत राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (0.02 करोड़ रुपये) और प्रकाशन (0.02 करोड़ रुपये) और (vi) जन औषधि योजना - जीआईए-सामान्य (24.70 करोड़ रुपये)।
अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए 21.69 करोड़ रुपये का निवल नकद व्यय होगा।

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

- (a) (i) National Institute of Pharmaceuticals Education and Research (NIPER) under Grants-in-Aid (GiA)- General (₹ 1 crore), GiA-Salaries (₹ 0.70 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 1 crore) and (ii) Jan Aushadhi Scheme under GiA-General (₹ 2.80 crore).
Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a net cash outgo of ₹ 2.70 crores.
- (b) Rajasthan Drugs Private Ltd. (RDPL) to comply with Hon'ble Supreme Court's order to deposit before the National Company Law Tribunal (₹ 1.80 crore).
Taking into account savings available in the Revenue Section (Voted) of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
- (c) (i) National Institute of Pharmaceuticals Education and Research under GiA-General (₹ 21.69 crore), (ii) Pharmaceuticals Promotion Development Scheme (PPDS) under GiA-General (₹ 1.00 crore), (iii) Production Linked Incentive Schemes (PLI) for Pharmaceuticals under Grants-in-Aid (GiA)-General (₹ 693.00 crore), (iv) NIPERs under GiA-General (₹ 0.40 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 2.21 crores) (v) National Pharmaceuticals Pricing Authority under wages (₹ 0.02 crore) and Publication (₹ 0.02 crore) and (vi) Jan Aushadhi Scheme -GiA-General (₹ 24.70 crore).
Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a net cash outgo of ₹ 21.69 crore.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 8

नागर विमानन मंत्रालय

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 8 देखिये)

(See page 8 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
------------------	------------------	---------------

I. मूल अनुदान:

राजस्व

पूंजी

जोड़

इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:

राजस्व

पूंजी

जोड़

जोड़ (मूल और पूरक)

राजस्व

पूंजी

I. ORIGINAL GRANT:

Revenue

Capital

Total

Supplementary Estimate of the amount now required:

Revenue

Capital

Total

Total (Original plus Supplementary)

Revenue

Capital

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
------------------	------------------	---------------

राजस्व भाग

मुख्य शीर्ष

3053-नागर विमानन

REVENUE SECTION

MAJOR HEAD

3053-Civil Aviation

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

भारत की आकस्मिकता निधि (16 करोड़ रुपये) से अग्रिम की वसूली के लिए ड्रोन और ड्रोन घटकों के उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन के तहत पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grant is required for:

Grants for creation of Capital Assets under Production Linked Incentive for Drones and Drone Components for recoupment of advance from Contingency Fund of India (₹ 16 crore).

Taking into Account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 9

कोयला मंत्रालय

MINISTRY OF COAL

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 9 देखिये)

(See page 9 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	393.24	393.24
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	393.24	393.24
इस समय आवश्यक रकम का	Supplementary Estimate of the amount now required:			
पूरक अनुमान:				
राजस्व	Revenue	...	154.64	154.64
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	154.64	154.64
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	547.88	547.88
राजस्व	Revenue	...	547.88	547.88
पूंजी	Capital
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2803-कोयला और लिग्नाइट	2803-Coal and Lignite	...	154.64	154.64
टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वस्तुओं को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !				
Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.				
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
2803-कोयला और लिग्नाइट	2803-Coal and Lignite	...	(-)430.00	(-)430.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(i) "कोयला और लिग्नाइट के अन्वेषण" के अंतर्गत 180 करोड़ रुपये की अतिरिक्त निधि; और (ii) कोयला खान में संरक्षण और सुरक्षा और अवसंरचना विकास हेतु "कोयला क्षेत्र में विकास परिवहन अवसंरचना" के लिए अनुसूचित जाति उप-योजना के अंतर्गत 'सब्सिडी' पर हुए व्यय को पूरा करने के लिए 36.59 करोड़ रुपये। अनुदान, राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास निधि से पूरी की जाने वाली अतिरिक्त वस्तुओं में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grant is required for:

(i) additional funds amounting to ₹ 180 crore under "Exploration of Coal and Lignite"; and (ii) ₹ 36.59 crore towards meeting expenditure on 'subsidies' under Scheduled Castes Sub plan for "Development Transportation Infrastructure in Coalfields Areas" (DTIC) towards Conservation & Safety and Infrastructure Development in Coal Mines. Taking into account the savings available in same section of the grant and additional recoveries met from National Mineral Exploration Trust Fund, this will not entail cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 10

वाणिज्य विभाग

DEPARTMENT OF COMMERCE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 10 देखिये)

(See page 10 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.50	5672.50	5673.00
पूंजी	Capital	...	400.00	400.00
जोड़	Total	0.50	6072.50	6073.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	383.00	383.00
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	383.01	383.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.50	6455.51	6456.01
राजस्व	Revenue	0.50	6055.50	6056.00
पूंजी	Capital	...	400.01	400.01
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2407-पौधरोपण	2407-Plantations	...	2.00 (का)	2.00
3453-विदेशी व्यापार और निर्यात संवर्द्धन	3453-Foreign Trade and Export Promotion	...	381.00 (खb)	381.00
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	383.00	383.00
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	...	0.01 (गc)	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	383.01	383.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) 'कॉफी बोर्ड' योजना के तहत वेतन सहायता अनुदान (1.00 करोड़ रुपये) और सब्सिडी (1.00 करोड़ रुपये), (ii) 'चाय बोर्ड' योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (4.50 करोड़ रुपये) और वेतन सहायता अनुदान (50.00 करोड़ रुपये) और (iii) 'मसाला बोर्ड' योजना के तहत सब्सिडी (0.50 करोड़ रुपये)।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए इसमें नकद व्यय (2.00 करोड़ रुपये) होगा।
- (ख) (i) 'राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता' योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (456.00 करोड़ रुपये) और (ii) विशिष्ट कृषि उत्पादों के लिए 'परिवहन और विपणन सहायता (टीएमए) योजना' योजना के तहत सब्सिडी (295.00 करोड़ रुपये) भारत की आकस्मिकता निधि से आहरित अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए इसमें नकद व्यय (381.00 करोड़ रुपये) होगा।
- (ग) सचिवालय के अंतर्गत मुख्य कार्य (12.00 करोड़ रुपये)।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) (i) Grants-in-aid Salaries (₹ 1.00 crore) and Subsidies (₹ 1.00 crore) under the scheme 'Coffee Board', (ii) Grants in Aid General (₹ 4.50 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹ 50.00 crore) under the scheme 'Tea Board' and (iii) Subsidies (₹ 0.50 crore) under the scheme 'Spices Board'.
- Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo (₹ 2.00 crore).
- (b) (i) Grants in Aid General (₹ 456.00 crore) under the scheme 'National Export Insurance Account' and (ii) Subsidies (₹ 295.00 crore) under the scheme 'Transport and marketing Assistance (TMA) Scheme for specified agriculture products' for recoupment of an advance drawn from the Contingency fund of India.
- Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo (₹ 381.00 crore).
- (c) Major Works (₹ 12.00 crore) under Secretariat.
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 11

उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन

DEPARTMENT FOR PROMOTION OF INDUSTRY AND INTERNAL TRADE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 11 देखिये)

(See page 11 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	7048.00	7048.00
पूंजी	Capital	...	1300.00	1300.00
जोड़	Total	...	8348.00	8348.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	0.01	0.04	0.05
पूंजी	Capital	...	62.45	62.45
जोड़	Total	0.01	62.49	62.50
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.01	8410.49	8410.50
राजस्व	Revenue	0.01	7048.04	7048.05
पूंजी	Capital	...	1362.45	1362.45

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:

		भारित Charged	स्वीकृत Voted		जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01	(का)	0.01
2852-उद्योग	2852-Industries	...	0.01	(खb)	0.01
2885-उद्योग और खनिजों पर अन्य परिव्यय	2885-Other Outlays on Industries and Minerals	0.01	(गc)	0.01	0.02
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	3475-Other General Economic Services	...	0.01	(डे)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	0.01	0.04		0.05
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4059-लोक निर्माण कार्यो पर पूंजीगत परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	...	0.01	(चf)	0.01
4875-अन्य उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	4875-Capital Outlay on Other Industries	...	62.44	(छg)	62.44
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	62.45		62.45
जोड़ (परक)	Total (Supplementary)	0.01	62.49		62.50

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

(क) (i) 'पूर्वोत्तर औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति (एनईआईपीपी)' योजना के अंतर्गत सब्सिडी (70.00 करोड़ रुपये), (ii) 'पूर्वोत्तर औद्योगिक विकास योजना (एनईआईडीएस)' के अंतर्गत सब्सिडी (15.00 करोड़ रुपये) और (iii) 'स्वायत्त संस्थानों को सहायता' योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (1.50 करोड़ रुपये)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(ख) (i) 'क्रेडिट गारंटी निधि' योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (25.00 करोड़ रुपये) और (ii) 'स्वायत्त संस्थानों को सहायता' योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (5.50 करोड़ रुपये) और वेतन सहायता अनुदान (2.00 करोड़ रुपये)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(ग) भारत की आकस्मिकता निधि की प्रतिपूर्ति के लिए 'परिवहन/माल भाड़ा सब्सिडी योजना' के अंतर्गत सब्सिडी (0.2946 करोड़ रुपये)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(घ) (i) 'राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन न्यास (एनआईसीडीआईटी)' योजना के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान, (49.98 करोड़ रुपये) (ii) 'संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर के औद्योगिक विकास' योजना के अंतर्गत सब्सिडी (11.97 करोड़ रुपये) और (iii) 'लद्दाख के औद्योगिक विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना, 2022' योजना के अंतर्गत अन्य प्रशासनिक व्यय (0.50 करोड़ रुपये)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

(a) (i) Subsidies (₹ 70.00 crore) under the scheme 'North Eastern Industrial and Investment Promotion Policy (NEIPP)', (ii) Subsidies (₹ 15.00 crore) under the scheme 'North East Industrial Development Scheme (NEIDS)' and (iii) Grants-in-aid General (₹ 1.50 crore) under the scheme 'Support to Autonomous Institutions'.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) (i) Grants-in-aid General (₹ 25.00 crore) under the scheme 'Credit Guarantee Fund' and (ii) Grants-in-aid General (₹ 5.50 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹ 2.00 crore) under the scheme 'Support to Autonomous Institutions'.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(c) Subsidies (₹ 0.2946 crore) under the scheme 'Transport/Freight Subsidy Scheme' for recoupment of Contingency Fund of India.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(d) (i) Grants for Creation of Capital Assets (₹ 49.98 crore) under the scheme 'National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT)', (ii) Subsidies (₹ 11.97 crore) under the scheme 'Industrial Development of UT of Jammu and Kashmir' and (iii) Other Administrative Expenses (₹ 0.50 crore) under the scheme 'Central Sector Scheme for Industrial Development of Ladakh, 2022'.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(ड)	‘बौद्धिक नीति अधिकार (आईपीआर) नीति प्रबंधन’ योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (0.18 करोड़ रुपये) और स्थापना व्यय (11.00 करोड़ रुपये)।	(e)	Grants-in-aid General (₹ 0.18 crore) and Establishment Expenditure (₹ 11.00 crore) under the scheme ‘Intellectual Policy Rights (IPR) Policy Management’.
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(च)	‘पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक (आईडीसीजीपीडीटीएम) में अवसंरचना विकास’ योजना के अंतर्गत प्रमुख निर्माण कार्य (16.92 करोड़ रुपये)।	(f)	Major Works (₹ 16.92 crore) under the scheme ‘Infrastructure Development in Controller General of Patents Designs and Trade Marks (IDCGPDTM)’.
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(छ)	‘निधियों की निधि’ योजना के अंतर्गत निवेश (189.02 करोड़ रुपये)।	(g)	Investment (₹ 189.02 crore) under the scheme ‘Fund of Funds’.
	अनुदान के राजस्व भाग (62.44 करोड़ रुपये) में उपलब्ध अभ्यर्पित बचत को ध्यान में रखते हुए, और अनुदान के इसी भाग में बचतों का उपयोग करने के बाद, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।		Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant (₹ 62.44 crore), and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 12

डाक विभाग

DEPARTMENT OF POSTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 12 देखिये)

(See page 12 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.80	35506.47	35507.27
पूंजी	Capital	...	888.62	888.62
जोड़	Total	0.80	36395.09	36395.89
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	1.60	...	1.60
पूंजी	Capital	...	87.00	87.00
जोड़	Total	1.60	87.00	88.60
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	2.40	36482.09	36484.49
राजस्व	Revenue	2.40	35506.47	35508.87
पूंजी	Capital	...	975.62	975.62
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3201-डाक सेवाएं	3201-Postal Services	1.60 (का)	...	1.60
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5201-डाक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	5201-Capital Outlay on Postal Services	...	87.00 (खब)	87.00
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	1.60	87.00	88.60

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) माननीय उच्च न्यायालय कोलकाता द्वारा दिए गए एक डिक्री के खिलाफ भुगतान के लिए (₹1.60 करोड़) का अतिरिक्त प्रावधान।
उपरोक्त व्यय के लिए नकद परिव्यय होगा;
- (ख) आईटी आधुनिकीकरण परियोजना 2.0 का कार्यान्वयन (₹87 करोड़)। इस अनुपूरक के अनुमोदन से इसी प्रयोजन के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत ₹87 करोड़ की अग्रिम की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
उपरोक्त व्यय के लिए नकद परिव्यय होगा;

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

- (a) additional provision of (₹ 1.60 Crore) for payment against a decree awarded by Hon'ble High Court Kolkata.
The above expenditure will entail a cash outgo;
- (b) implementation of IT Modernization Project 2.0 (₹ 87 Crore). With the approval of this supplementary, the advance of ₹ 87 crore sanctioned for the same purpose from Contingency Fund of India will be recouped.
The above expenditure will entail a cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 13

दूरसंचार विभाग

DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 13 देखिये)

(See page 13 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	32436.38	32436.38
पूंजी	Capital	...	63111.42	63111.42
जोड़	Total	...	95547.80	95547.80
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	13668.84	13668.84
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	13668.85	13668.85
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	109216.65	109216.65
राजस्व	Revenue	...	46105.22	46105.22
पूंजी	Capital	...	63111.43	63111.43
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3275-अन्य संचार सेवाएं	3275-Other Communication Services	...	13668.84	(का) 13668.84
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5275-अन्य संचार सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	5275-Capital Outlay on Other Communication Services	...	0.01	(खब) 0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	13668.85	13668.85

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) (i) ग्रामीण वायर लाइन संचालन के लिए बीएसएनएल (18,127 करोड़) को व्यवहार्यता अंतराल निधियन प्रदान करना (ii) चैंपियन सेक्टर योजना (49.36 करोड़) और (iii) यूएसओएफ अनुसंधान और विकास फॉर्म (130 करोड़)।

अनुदान के पूंजीगत एवं राजस्व अनुभाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए इस अनुपूरक के अनुमोदन से ₹13668.84 करोड़ का तकनीकी अनुपूरक, बीएसएनएल को व्यवहार्यता अंतराल निधियन प्रदान करने के लिए 5000 करोड़ रु. की अग्रिम राशि और भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत चैंपियन सेक्टर योजना के लिए 49.36 करोड़ रु. की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(ख) (i) बीएसएनएल को 900 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम (30,156 करोड़) का आवंटन (ii) बीएसएनएल में कैपेक्स के लिए इक्विटी निवेश (3,013 करोड़ रु.) (iii) एमटीएनएल का पुनर्गठन (1,600 करोड़ रु.) और (iv) 9% गैर-संचयी वरीयता शेयर का पुनर्निर्गम (7500 करोड़ रु.)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grants are required for:

(a) (i) providing Viability Gap Funding to BSNL (₹ 18,127 crore) for rural wire line operations (ii) Champion Sector Scheme (₹ 49.36 crore) and (iii) Research and development from USOF (₹ 130 crore).

Taking into account the savings available in the Capital and Revenue Section of the Grant, technical supplementary of ₹ 13668.84 crore is sought. With the approval of this Supplementary, the advances of ₹ 5000 crore for providing Viability GAP funding to BSNL and ₹ 49.36 crore for Champion Sector Scheme sanctioned from Contingency Fund of India will be recouped.

(b) (i) allocation of 900 MHz Spectrum (₹ 30,156 crore) to BSNL (ii) equity infusion in BSNL for CAPEX (₹ 3,013 crore) (iii) restructuring of MTNL (₹ 1,600 crore) and (iv) re-issue of 9% non-cumulative preference shares (₹ 7500 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 15

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 15 देखिये)

(See page 15 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारत Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	213929.91	213929.91
पूंजी	Capital	...	12029.67	12029.67
जोड़	Total	...	225959.58	225959.58
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	80348.28	80348.28
पूंजी	Capital	...	0.03	0.03
जोड़	Total	...	80348.31	80348.31
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	306307.89	306307.89
राजस्व	Revenue	...	294278.19	294278.19
पूंजी	Capital	...	12029.70	12029.70
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारत Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2408-खाद्य भंडारण और भाण्डागारण	2408-Food Storage and Warehousing	...	80348.25 (का)	80348.25
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (खब)	0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	0.01 (गक)	0.01
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	0.01 (घद)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	80348.28	80348.28
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4408-खाद्य भंडारण और भाण्डागारण पर पूंजी परिव्यय	4408-Capital Outlay on Food Storage and Warehousing	...	0.01 (डे)	0.01
4552-पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	4552-Capital Outlay on North Eastern Areas	...	0.01 (घफ)	0.01
6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिए ऋण	6860-Loans for Consumer Industries	...	0.01 (छग)	0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	0.03	0.03
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	80348.31	80348.31

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के तहत भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को खाद्य सब्सिडी और (क) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत अतिरिक्त आवंटन के लिए जिसे दिसंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया है (60110.32 रुपये) करोड़ (ख) अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) (5708.42 करोड़ रुपये) और (ग) जनजातीय क्षेत्र उप योजना (टीएसपी) (2957.37 करोड़ रुपये) के लिए, (ii) खाद्य सब्सिडी (क) के तहत खाद्यान्न की विकेंद्रीकृत खरीद एनएफएसए (9955.29 करोड़ रुपये), (ख) एससीएसपी (1117.43 करोड़ रुपये) और (ग) टीएसपी (648.58 करोड़ रुपये), (iii) अंतर-राज्य आंदोलन के लिए राज्य एजेंसियों को सहायता के तहत अनुदान सामान्य बिना विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एनएफएसए योजना के तहत खाद्यान्न और एफपीएस डीलरों का मार्जिन (0.50 करोड़ रुपये)(iv) 2018-19 सीजन के लिए चीनी मिलों की सहायता के लिए योजना के तहत 'सब्सिडी' (1.50 करोड़ रुपये), (v) आंतरिक परिवहन, माल भाड़ा, हैंडलिंग और निर्यात पर अन्य शुल्कों के खर्च को चुकाने के लिए योजना के तहत 'सब्सिडी' के लिए (0.25 करोड़ रुपये), (vi) 2019-20 सीजन के लिए चीनी मिलों की सहायता के लिए योजना के तहत 'सब्सिडी' के लिए (14.50 करोड़ रुपये), (vii) 40 एलएमटी के बफर स्टॉक के निर्माण और रखरखाव के लिए योजना के तहत 'सब्सिडी' के लिए चीनी की (0.42 करोड़ रुपये), (viii) चीनी मिलों को विपणन लागत पर खर्च के लिए सहायता प्रदान करने के लिए योजना के तहत 'सब्सिडी' के लिए जिसमें हैंडलिंग, उन्नयन और अन्य प्रसंस्करण लागत और अंतरराष्ट्रीय और आंतरिक परिवहन की लागत और चीनी के निर्यात पर माल भाड़ा शामिल है। (20.50 करोड़ रुपये), (ix) चीनी के बफर स्टॉक के निर्माण और रखरखाव की योजना के तहत

The supplementary Grants are required for:

- (a) (i) food subsidy to Food Corporation of India (FCI) under National Food Security Act (NFSA), 2013 and for additional allocation under (a) Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKAY) which has been extended upto Dec., 2022 (₹ 60110.32 crore), (b) for Scheduled Caste Sub Plan (SCSP) (₹ 5708.42 crore) and (c) for Tribal Area Sub Plan (TASP) (₹ 2957.37 crore), (ii) food subsidy for (a) Decentralized Procurement of Foodgrains under NFSA (₹ 9955.29 crore), (b) SCSP (₹ 1117.43 crore) and (c) TASP (₹ 648.58 crore), (iii) Grants-in-aid General under Assistance to State Agencies for intra-state movement of foodgrains and FPS dealers' margin under NFSA scheme for UTs without legislature (₹ 0.50 crore), (iv) for 'Subsidies' under Scheme for Assistance to Sugar Mills for 2018-19 Season (₹ 1.50 crore), (v) for 'Subsidies' under Scheme for defraying expenditure towards internal transport, freight, handling and other charges on export (₹ 0.25 crore), (vi) for 'Subsidies' under Scheme for Assistance to Sugar Mills for 2019-20 Season (₹ 14.50 crore), (vii) for 'Subsidies' under Scheme for Creation and Maintenance of Buffer Stock of 40 LMT of Sugar (₹ 0.42 crore), (viii) for 'Subsidies' under Scheme for providing assistance to Sugar Mills for expenses on marketing costs including handling, upgrading and other processing costs and costs of international and internal transport and freight charges on export of sugar (₹ 20.50 crore), (ix) for 'Subsidies' under Scheme for

	<p>'सब्सिडी' के लिए (3 करोड़ रुपये) और (x) वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के तहत सामान्य अनुदान (1.03 करोड़ रुपये)) इसमें सीएफआई से 2 करोड़ रुपये की अग्रिम की वसूली भी शामिल है।</p>		Creation and Maintenance of Buffer Stock of Sugar (₹ 3 crore) and (x) Grants-in-aid General under Warehousing Development and Regulatory Authority (₹ 1.03 crore). This also includes recoupment of advance of ₹ 2 crore sanctioned from CFI.
	<p>अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, यह 80348.25 करोड़ रुपये का शुद्ध नकद व्यय होगा।</p>		Taking into account the savings available within the same section of the Grant, this will entail a net cash outgo ₹ 80348.25 crores.
(ख)	राज्य एजेंसियों को सहायता अनुदान के तहत खाद्यान्नों के अंतर-राज्य संचलन के लिए और उत्तर-पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एनएफएसए के तहत एफपीएस डीलर मार्जिन (600 करोड़ रुपये) सीएफआई से स्वीकृत 500 करोड़ रुपये की अग्रिम की वसूली।	(b)	Grants-in-aid General under Assistance to State Agencies for intra-state movement of foodgrains and FPS dealers' margin under NFSA for NER (₹ 600 crore) for recoupment of advance of ₹ 500 crore sanctioned from Consolidated Fund of India (CFI).
	<p>अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।</p>		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)	(i) सहायता अनुदान सामान्य (5079.95 करोड़ रुपये), (ii) एससीएसपी के लिए (490.67 करोड़ रुपये) और (iii) टीएसपी के लिए (255.80 करोड़ रुपये) खाद्यान्न और एफपीएस के अंतर-राज्य संचलन के लिए राज्य एजेंसियों को सहायता के तहत राज्य सरकारों के लिए एनएफएसए के तहत डीलरों का मार्जिन और सीएफआई से 4148 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि की वसूली के लिए।	(c)	(i) Grants-in-aid General (₹ 5079.95 crore), (ii) for SCSP (₹ 490.67 crore) and (iii) for TASP (₹ 255.80 crore) under Assistance to State Agencies for intra-state movement of foodgrains and FPS dealers' margin under NFSA for State Governments and for recoupment of advance of ₹ 4148 crore sanctioned from CFI.
	<p>अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।</p>		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(घ)	(i) सहायता अनुदान सामान्य (139.08 करोड़ रुपये) (ii) एससीएसपी के लिए (5.00 करोड़ रुपये) और (iii) टीएसपी के लिए (1 करोड़ रुपये) खाद्यान्न और एफपीएस के अंतर-राज्य संचलन के लिए राज्य एजेंसियों को सहायता के तहत विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एनएफएसए के तहत डीलरों का मार्जिन और सीएफआई से 250 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि की वसूली के लिए।	(d)	(i) Grants-in-aid General (₹ 139.08 crore), (ii) for SCSP (₹ 5.00 crore) and (iii) for TASP (₹ 1 crore) under Assistance to State Agencies for intra-state movement of foodgrains and FPS dealers' margin under NFSA for UTs with legislature and for recoupment of advance of ₹ 250 crore sanctioned from CFI.
	<p>अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।</p>		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ङ)	भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान के लिए 'मशीनरी और उपकरण' (2.84 करोड़ रुपये)।	(e)	'Machinery and Equipment' for Indian Grain Storage Management & Research Institute (₹ 2.84 crore).
	<p>अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।</p>		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(च)	एफसीआई द्वारा 'खाद्य भंडारण गोदामों के निर्माण' के तहत निवेश (5 करोड़ रुपये)।	(f)	Investment under 'Construction of Food Storage godowns by FCI' (₹ 5 crore).
	<p>अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।</p>		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(छ)	खोई आधारित सह-उत्पादन विद्युत परियोजना के लिए चीनी कारखानों के अंतर्गत ऋण और अग्रिम (39.66 करोड़ रु.)	(g)	Loans and Advances under 'Sugar Factories for bagasse based cogeneration power project' (₹ 39.66 crore)
	<p>अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।</p>		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 16

सहकारिता मंत्रालय

MINISTRY OF COOPERATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 16 देखिये)

(See page 16 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	889.00	889.00
पूंजी	Capital	...	11.00	11.00
जोड़	Total	...	900.00	900.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	...	154.00	154.00
जोड़	Total	...	154.00	154.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	1054.00	1054.00
राजस्व	Revenue	...	889.00	889.00
पूंजी	Capital	...	165.00	165.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	...	154.00	154.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

कार्यालय स्थान के लिए मुख्य कार्य पर भूमि खरीद के तहत (154 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।
अनुदान के राजस्व खंड (44.22 करोड़ रुपये) में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में नकद निवल व्यय (109.78 करोड़ रुपये) होगा।

The supplementary Grant is required for:

additional expenditure on 'Major Works' for Acquisition of Office Space under purchase of Land (₹ 154 crore).
Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant (₹ 44.22 crore), the above expenditure will entail a net cash outgo (₹ 109.78 crore).

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 17

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 17 देखिये)

(See page 17 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	712.52	712.52
पूंजी	Capital	...	40.50	40.50
जोड़	Total	...	753.02	753.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	753.03	753.03
राजस्व	Revenue	...	712.53	712.53
पूंजी	Capital	...	40.50	40.50
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	3475-Other General Economic Services	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

राष्ट्रीय वित्तीय सूचना प्राधिकरण को अनुदान ग्राही संगठन बनाने हेतु (i) सहायता अनुदान वेतन (5.41 करोड़ रुपये) और (ii) सहायता अनुदान सामान्य (8.36 करोड़ रुपये)।
अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grant is required for:

(i) Grants-in-aid Salaries (₹ 5.41 crore) and (ii) Grants-in-aid General (₹ 8.36 crore) for making National Financial Reporting Authority as a Grantee organization.
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 18

संस्कृति मंत्रालय

MINISTRY OF CULTURE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 18 देखिये)

(See page 18 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2920.89	2920.89
पूंजी	Capital	...	88.16	88.16
जोड़	Total	...	3009.05	3009.05
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	354.02	354.02
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	354.03	354.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	3363.08	3363.08
राजस्व	Revenue	...	3274.91	3274.91
पूंजी	Capital	...	88.17	88.17
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2205-कला और संस्कृति	2205-Art and Culture	...	333.77 (का)	333.77
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	20.25 (खब)	20.25
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	354.02	354.02
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परित्यय	4202-Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture	...	0.01 (गक)	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	354.03	354.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) सामान्य सहायता अनुदान (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (0.50 करोड़ रुपये) (ख) शताब्दी और वर्षगांठ, समारोह और योजनाएं (215 करोड़ रुपये) (ग) कला संस्कृति विकास योजना (105.86 करोड़ रुपये) (घ) संग्रहालय का विकास (121.50 करोड़ रुपये) (ड.) बौद्ध तिब्बती संस्थान और स्मारक (10 करोड़ रुपये) (च) संग्रहालयों को सहायता (20 करोड़ रुपये) (छ) अकादमियों को सहायता (47.03 करोड़ रुपये) (ज) पुस्तकालयों को सहायता (15 करोड़ रुपये) (ii) पूंजीगत आसतियों के सृजन हेतु अनुदान (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (2 करोड़ रुपये) (ख) संग्रहालयों का विकास (51.76 करोड़ रुपये) (ग) बौद्ध तिब्बती संस्थान और स्मारक (36 करोड़ रुपये) (घ) संग्रहालयों को सहायता (61.29 करोड़ रुपये) (ड.) अकादमियों को सहायता (31.38 करोड़ रुपये) (च) पुस्तकालयों को सहायता (0.35 करोड़ रुपये)।

इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, इसमें 333.77 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा, जिसमें से 100 करोड़ रुपये भारत की आकस्मिकता निधि की प्रतिपूर्ति के कारण हैं।

- (ख) सामान्य सहायता अनुदान (क) शताब्दी और वर्षगांठ, समारोह और योजनाएं (0.50 करोड़ रुपये) (ख) संग्रहालय का विकास (13.50 करोड़ रुपये) (ग) पुस्तकालयों और अभिलेखागार का विकास (3 करोड़ रुपये) (ii) पूंजीगत आसतियों के सृजन हेतु अनुदान (क) शताब्दी और वर्षगांठ, समारोह और योजनाएं (1.50 करोड़ रुपये) (ख) योजना के पूर्वोत्तर क्षेत्र घटक के लिए संग्रहालय का विकास (22.55 करोड़ रुपये)।

इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, इसमें 20.25 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा।

- (ग) भारत की आकस्मिकता निधि की भरपाई के लिए एनजीएमए द्वारा स्मारक की स्थापना के लिए अतिरिक्त व्यय (20 करोड़ रु.) को पूरा करना।

अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) (i) Grant-in-Aid General (a) Archaeological Survey of India (₹ 0.50 crore) (b) Centenaries and Anniversaries, Celebrations and Schemes (₹ 215 crore) (c) Kala Sanskriti Vikas Yojana (₹ 105.86 crore) (d) Development of Museum (₹ 121.50 crore) (e) Buddhist Tibetan Institutions and Memorials (₹ 10 crore) (f) Support to Museums (₹ 20 crore) (g) Support to Akademies (₹ 47.03 crore) (h) Support to Libraries (₹ 15 crore) (ii) Grants for Creation of Capital Assets (a) Archaeological Survey of India (₹ 2 crore) (b) Development of Museums (₹ 51.76 crore) (c) Buddhist Tibetan Institutions and Memorials (₹ 36 crore) (d) Support to Museums (₹ 61.29 crore) (e) Support to Akademies (₹ 31.38 crore) (f) Support to Libraries (0.35 crore).

Taking into account the savings available in the same section. This entail cash outgo of ₹ 333.77 crore, of which ₹ 100 crore is on the account of recoupment of contingency Fund of India.

- (b) Grant-in-Aid General (a) Centenaries and Anniversaries, Celebrations and Schemes (₹ 0.50 crore) (b) Development of Museum (₹ 13.50 crore) (c) Development of Libraries and Archives (₹ 3 crore) (ii) Grant for Creation of Capital Assets (a) Centenaries and Anniversaries, Celebrations and Schemes (₹ 1.50 crore) (b) Development of Museum (₹ 22.55 crore) towards NER component of the scheme.

Taking into account the savings available available in the same section. This entail cash outgo of ₹ 20.25 crore.

- (c) Meeting additional expenditure towards installation of statue by National Gallery of Modern Art (₹ 20 crore) to recoup Contingency Fund of India.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 19

रक्षा मंत्रालय (सिविल)

MINISTRY OF DEFENCE (CIVIL)

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 19-20 देखिये)

(See page 19-20 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.72	32049.29	32050.01
पूंजी	Capital	35.00	11589.99	11624.99
जोड़	Total	35.72	43639.28	43675.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	0.50	2750.00	2750.50
पूंजी	Capital	...	500.01	500.01
जोड़	Total	0.50	3250.01	3250.51
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	36.22	46889.29	46925.51
राजस्व	Revenue	1.22	34799.29	34800.51
पूंजी	Capital	35.00	12090.00	12125.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052-Secretariat-General Services	0.50 (का)	250.00 (खb)	250.50
2037-सीमा शुल्क	2037-Customs	...	500.00 (गc)	500.00
2075-विविध सामान्य सेवाएं	2075-Miscellaneous General Services	...	2000.00 (घd)	2000.00
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	0.50	2750.00	2750.50
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4047-अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4047-Capital Outlay on Other Fiscal Services	...	0.01 (डेe)	0.01
4552-पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	4552-Capital Outlay on North Eastern Areas	...	50.00 (चf)	50.00
5054-सड़क और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	5054-Capital Outlay on Roads and Bridges	...	450.00 (छg)	450.00
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	500.01	500.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	0.50	3250.01	3250.51

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supplementary Grants/Appropriations are required for:	
(क)	प्रभारित व्यय के लिए 0.50 करोड़ रुपये।	(a)	₹ 0.50 crore towards charged expenditure.
(ख)	उपरोक्त व्यय में नकद परिव्यय शामिल होगा; सीमा सड़क विकास बोर्ड (50 करोड़ रुपये) और रक्षा संपदा संगठन (200 करोड़ रुपये, मुख्य रूप से 165 करोड़ रुपये सामान्य अनुदान और पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान के रूप में 35 करोड़ रुपये) के स्थापना संबंधी व्यय के लिए 250 करोड़ रुपये।	(b)	The above expenditure will entail cash outgo; ₹ 250 crore for establishment related expenditure of Border Road Development Board (₹ 50 crore) and Defence Estates Organisation (₹ 200 crore, mainly ₹ 165 crore as Grants-in-aid General and ₹ 35 crore as Grants for creation of capital assets).
(ग)	उपरोक्त व्यय में नकद परिव्यय शामिल होगा; तटरक्षक संगठन के पुर्जों की खरीद के लिए पीओएल (350 करोड़ रुपये) और छोटे कार्यों (150 करोड़ रुपये) पर खर्च के लिए 500 करोड़ रुपये।	(c)	The above expenditure will entail cash outgo; ₹ 500 crore for expenditure on POL (₹ 350 crore) and minor works (₹ 150 crore) towards procurement of spares of Coast Guard Organisation.
(घ)	उपरोक्त व्यय में नकद परिव्यय शामिल होगा; कैटीन स्टोर्स विभाग की आपूर्ति और सामग्री के तहत आवश्यकता के लिए 2,000 करोड़ रुपये।	(d)	The above expenditure will entail cash outgo; ₹ 2,000 crore towards the requirement under supplies and materials of Canteen Stores Department.
(ङ)	अतिरिक्त प्राप्तियों को ध्यान में रखते हुए 2,000 करोड़ रुपये, इसमें नकद परिव्यय नहीं होगा।		Taking into account additional receipts ₹ 2,000 crore, this will not entail cash outgo.
(च)	भूमि अधिग्रहण के लिए (₹. 129 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	(e)	meeting additional expenditure of (₹ 129 crore) for land acquisition.
(छ)	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ज)	पूर्वोत्तर क्षेत्र में रणनीतिक और सीमावर्ती सड़कों के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपये।	(f)	₹ 50 crore for construction of strategic and border roads in NE region.
(झ)	उपरोक्त व्यय में नकद परिव्यय शामिल होगा; सामरिक और सीमावर्ती सड़कों के निर्माण के लिए 450 करोड़ रुपये।	(g)	The above expenditure will entail cash outgo; ₹ 450 crore for construction of strategic and border roads.
(ञ)	उपरोक्त व्यय में नकद परिव्यय शामिल होगा;		The above expenditure will entail cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 20

रक्षा सेवा (राजस्व)

DEFENCE SERVICES (REVENUE)

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 21 देखिये)

(See page 21 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	98.04	239645.67	239743.71
पूंजी	Capital
जोड़	Total	98.04	239645.67	239743.71
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	0.70	19999.30	20000.00
पूंजी	Capital
जोड़	Total	0.70	19999.30	20000.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	98.74	259644.97	259743.71
राजस्व	Revenue	98.74	259644.97	259743.71
पूंजी	Capital

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:

		<i>भारित</i> <i>Charged</i>		<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>		<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
2076-रक्षा सेवाएं-थल सेना	2076-Defence Services - Army	0.20	(का)	5612.00	(खब)	5612.20
2077-रक्षा सेवाएं-नौ सेना	2077-Defence Services - Navy	...		3136.00	(गक)	3136.00
2078-रक्षा सेवाएं-वायु सेना	2078-Defence Services - Air Force	0.50	(घद)	11251.30	(डे)	11251.80
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	0.70		19999.30		20000.00

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) सेना के राष्ट्रीय कैडेट कोर के विरुद्ध अदालती आदेशों से उत्पन्न 0.20 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। रक्षा सेवाओं के पूंजीगत अनुदान में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, इसमें नकद व्यय नहीं होगा।
- (ख) परिवहन के 5,612 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (500 करोड़ रुपये), भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (1,000 करोड़ रुपये), स्टोर (2,900 करोड़ रुपये), कार्य (700 करोड़ रुपये), राष्ट्रीय कैडेट कोर (12 करोड़ रुपये) और सेना का अन्य व्यय (500 करोड़ रु.)। ईंधन तेल स्नेहक के अग्रिम के लिए 300 करोड़ और भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत ईसीएचएस के लिए 1,000 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति की मांग की गई है।
- (ग) रक्षा सेवाओं के पूंजीगत अनुदान में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, इसमें नकद व्यय नहीं होगा। परिवहन के 3,136 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (150 करोड़ रुपये), मरम्मत और दुरुस्त करने के लिए (400 करोड़ रुपये), स्टोर (1,700 करोड़ रुपये), कार्य (200 करोड़ रुपये), संयुक्त स्टाफ (386 करोड़ रुपये) और नौसेना के अन्य व्ययों को पूरा करने के लिए (300 करोड़ रुपये)। भारत के आकस्मिकता कोष से स्वीकृत ईंधन तेल स्नेहक के लिए 200 करोड़ रुपये के अग्रिम की प्रतिपूर्ति की मांग की गई है। रक्षा सेवाओं के पूंजीगत अनुदान में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, इसमें नकद व्यय नहीं होगा।
- (घ) वायु सेना के विरुद्ध न्यायालय के आदेशों से उत्पन्न 0.50 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। रक्षा सेवाओं के पूंजीगत अनुदान में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, इसमें नकद व्यय नहीं होगा।
- (ङ) परिवहन के 11,251.30 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (9.03 करोड़ रुपये), स्टोर (10,644.06 करोड़ रुपये), कार्य (386 करोड़ रुपये) और वायु सेना के अन्य व्यय (212.21 करोड़ रुपये)। भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत ईंधन तेल स्नेहक के लिए (1,500 करोड़ रुपये) के अग्रिम की प्रतिपूर्ति की मांग की गई है। रक्षा सेवाओं के पूंजीगत अनुदान में उपलब्ध बचत 3620.91 करोड़ रुपये को ध्यान में रखते हुए, इससे 7,630.39 करोड़ रुपये का निवल नकद व्यय होगा।

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

- (a) meeting additional expenditure of ₹ 0.20 crore arising out of court orders against National Cadet Corps of Army. Taking into account the savings available in the Capital Grant of Defence Services, this will not entail cash outgo.
- (b) meeting additional expenditure of ₹ 5,612 crore for transportation (₹ 500 crore), Ex-servicemen Contributory Health Scheme (₹ 1,000 crore), stores (₹ 2,900 crore), works (₹ 700 crore), National Cadet Corps (₹ 12 crore) and Other expenditure (₹ 500 crore) of Army. Advances of ₹ 300 crore for fuel oil lubricants and ₹ 1,000 crore for ECHS sanctioned from Contingency Fund of India are sought to be recouped. Taking into account the savings available in Capital Grant of Defence Services, this will not entail cash outgo.
- (c) meeting additional expenditure of ₹ 3,136 crore for transportation (₹ 150 crore), repairs and refits (₹ 400 crore), stores (₹ 1,700 crore), works (₹ 200 crore), Joint Staff (₹ 386 crore) and other expenditure (₹ 300 crore) of Navy. Advance of ₹ 200 crore for fuel oil lubricants sanctioned from Contingency Fund of India is sought to be recouped. Taking into account the savings available in Capital Grant of Defence Services, this will not entail cash outgo.
- (d) meeting additional expenditure of ₹ 0.50 crore arising out of Court Orders against Air Force. Taking into account the savings available in Capital Grant of Defence Services, this will not entail Cash outgo.
- (e) meeting additional expenditure of ₹ 11,251.30 crore for transportation (₹ 9.03 crore), stores (₹ 10,644.06 crore), works (₹ 386 crore) and other expenditure (₹ 212.21 crore) of Air Force. Advance of (₹ 1,500 crore) for fuel oil lubricants sanctioned from Contingency Fund of India is sought to be recouped. Taking into account the savings available in capital grant of Defence Services ₹ 3620.91 crore, this will entail net cash outgo ₹ 7,630.39 crore.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 21

रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

CAPITAL OUTLAY ON DEFENCE SERVICES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 22 देखिये)

(See page 22 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	89.27	152280.34	152369.61
जोड़	Total	89.27	152280.34	152369.61
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	89.27	152280.35	152369.62
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	89.27	152280.35	152369.62
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4076-रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4076-Capital Outlay on Defence Services	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

निम्न के तहत (i) नौसेना के लिए निर्माण कार्य (800 करोड़ रुपये) (ii) विमान और एयरो-इंजन (252.22 करोड़ रुपये), भारी और मध्यम वाहन (183.75 करोड़ रुपये) और वायु सेना के लिए विशेष परियोजना (एसईएसएफ) के तहत (0.01 करोड़ रुपये) 1,235.98 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure of ₹ 1,235.98 crore under (i) construction works (₹ 800 crore) for Navy (ii) aircraft & aero-engines (₹ 252.22 crore), heavy & medium vehicles (₹ 183.75 crore) and special project (SESF) (₹ 0.01 crore) for Air Force. Taking into account the savings available in same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 23

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 24 देखिये)

(See page 24 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:		
राजस्व	Revenue	2140.04	2140.04
पूंजी	Capital	670.96	670.96
जोड़	Total	2811.00	2811.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:		
राजस्व	Revenue	0.02	0.02
पूंजी	Capital	80.00	80.00
जोड़	Total	80.02	80.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	2891.02	2891.02
राजस्व	Revenue	2140.06	2140.06
पूंजी	Capital	750.96	750.96
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head			
	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION		
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD		
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052-Secretariat-General Services	0.01	(क) 0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	0.01	(ख) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	0.02	0.02
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION		
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD		
4552-पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	4552-Capital Outlay on North Eastern Areas	80.00	(ग) 80.00
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	80.02	80.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) विज्ञापन और प्रचार के लिए 10 करोड़ रुपये के प्रावधान को बढ़ाकर। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, इसके लिए अतिरिक्त नकद व्यय की आवश्यकता नहीं होगी।
- (ख) (i) उत्तर पूर्वी परिषद की योजनाओं के तहत प्रावधान में वृद्धि - 57.45 करोड़ रुपये के लिए विशेष विकास पैकेज जिसमें सहायता अनुदान सामान्य (5.62 करोड़ रुपये) और पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान (अनुसूचित जाति उप घटक सहित 51.83 करोड़ रुपये) शामिल हैं। (5 करोड़ रुपये) और आदिवासी क्षेत्र उप घटक (30 करोड़ रुपये); (ii) बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद के लिए पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान के रूप में 95.03 करोड़ रुपये का विशेष विकास पैकेज (23.58 करोड़ रुपये) (आदिवासी क्षेत्र उप योजना के लिए 17 करोड़ और 6.58 करोड़ रुपये) कार्बी आंगलोंग स्वायत्त प्रादेशिक परिषद् (38.45 करोड़ रुपये) (12 करोड़ रुपये सहित 26.45 करोड़ रुपये) आदिवासी क्षेत्र उप योजना के लिए और दीमा हसाओ प्रादेशिक परिषद (33 करोड़ रुपये जिसमें आदिवासी क्षेत्र उप योजना के लिए 18 करोड़ रुपये शामिल हैं); और (iii) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधान मंत्री विकास पहल (पीएम-डेवाइन) 20 करोड़ रुपये के लिए अनुदान-सहायता-सामान्य (आदिवासी क्षेत्र उप योजना (5 करोड़ रुपये) सहित), और अनुसूचित जाति उप योजना (5 करोड़ रुपये)) और पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान के रूप में 30 करोड़ रुपये (आदिवासी क्षेत्र उप योजना (10 करोड़ रुपये) और अनुसूचित जाति उप योजना (5 करोड़ रुपये) सहित)। अनुदान के एक ही खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, इसके लिए अतिरिक्त नकद व्यय की आवश्यकता नहीं होगी।
- (ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधान मंत्री की विकास पहल (PM-DevINE) के लिए 350 करोड़ रुपये की राशि के प्रमुख कार्यों के लिए धन की वृद्धि, जिसमें अनुसूचित जाति उप-योजना के लिए 100 करोड़ रुपये और अनुसूचित जनजाति उप-योजना के लिए 110 करोड़ रुपये शामिल हैं। 80 करोड़ रुपये की राशि अनुदान के राजस्व खंड से तकनीकी अभ्यर्पण द्वारा पूरी की जानी है। अनुदान के राजस्व खंड के तहत उपलब्ध 80 करोड़ रुपये की बचत के समर्पण का उपयोग करने और अनुदान के समान खंड में उपलब्ध 270 करोड़ रुपये का उपयोग करने के बाद, यह अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grants are required for:

- (a) augmenting the provision by ₹ 10 crore towards advertisement and publicity. Taking into account savings available in same section of the grant, this will not entail cash outgo.
- (b) augmenting the provision under (i) Schemes of North Eastern Council- Special Development Package for ₹ 57.45 crore comprising of grants-in-aid general (₹ 5.62 crore) and grants for creation of capital assets amounting to ₹ 51.83 crore (of which general component (₹ 16.83 crore, scheduled caste sub component (₹ 5 crore) and tribal area sub component (₹ 30 crore)); (ii) Special Development Package amounting to ₹ 95.03 crore as grants for creation of capital assets for Bodoland Territorial Council amounting to ₹ 23.58 crore [(of which general (₹ 17 crore and ₹ 6.58 crore for tribal area sub plan)], Karbi Anglong Autonomous Territorial Council amounting to ₹ 38.45 crore [of which, (general ₹ 12 crore and ₹ 26.45 crore for tribal area sub plan)] and Dima Hasao Territorial Council amounting to ₹ 33 crore [of which, general ₹ 15 crore and ₹ 18 crore for tribal area sub plan]]; and (iii) Prime Minister's Development Initiative for North East Region (PM-DevINE) for ₹ 20 crore as grants-in-aid-general [of which, general (₹ 10 crore), tribal area sub plan (₹ 5 crore) and scheduled caste sub plan (₹ 5 crore)] and ₹ 30 crore as grants for creation of capital assets [(of which, general ₹ 15 crore, tribal area sub plan (₹ 10 crore) and scheduled caste sub plan (₹ 5 crore)]. Taking into account savings available in same section of the grant, this will not entail cash outgo.
- (c) augmenting of funds towards major works amounting to ₹ 350 crore for Prime Minister's Development initiative for North East region (PM-DevINE), of which ₹ 100 crore for scheduled caste sub-plan and ₹ 110 crore for scheduled tribe sub-plan. The amount of ₹ 80 crore to be met by technical surrender from revenue section of the grant. After utilizing surrender of savings of ₹ 80 crore available under revenue section of the grant, and availing ₹ 270 crore available in the same section of the grant, this will not entail cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 24

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

MINISTRY OF EARTH SCIENCES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 25 देखिये)

(See page 25 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2207.94	2207.94
पूंजी	Capital	...	450.00	450.00
जोड़	Total	...	2657.94	2657.94
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	2657.96	2657.96
राजस्व	Revenue	...	2207.96	2207.96
पूंजी	Capital	...	450.00	450.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3403-समुद्र विज्ञान अनुसंधान	3403-Oceanographic Research	...	0.01 (का)	0.01
3455-मौसम विज्ञान	3455-Meteorology	...	0.01 (खब)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) डीए और ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र (एनसीपीओआर) के स्वायत्त निकायों को सहायता अनुदान वेतन (4.30 करोड़ रुपये) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना
अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ख) डीए के भुगतान के लिए स्वायत्त निकायों राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र (एनसीईएसएस) को सहायता अनुदान वेतन (1.01 करोड़ रुपये) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।
अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) meeting additional expenditure towards Grants-in-aid Salaries (₹ 4.30 crore) to Autonomous Bodies National Centre for Polar and Ocean Research (NCPOR) towards payment of DA and Gratuity. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) meeting additional expenditure towards Grants-in-aid Salaries (₹ 1.01 crore) to Autonomous Bodies National Centre for Earth Science Studies (NCESS) towards payment of DA. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 25

विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग

DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION AND LITERACY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 26 देखिये)

(See page 26 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	111549.37	111549.37
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	111549.37	111549.37
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	111549.39	111549.39
राजस्व	Revenue	...	111549.39	111549.39
पूंजी	Capital
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2202-सामान्य शिक्षा	2202-General Education	...	0.01	(का) 0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01	(खब) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (1) (i) केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) (26.50 करोड़ रुपये), (ii) नवोदय विद्यालय संगठन (एनवीएस) (225.15 करोड़ रुपये) (iii) समग्र शिक्षा (12.64 करोड़ रुपये) की योजना में सामान्य सहायता अनुदान, (2) (i) केवीएस (0.50 करोड़ रुपये), (ii) एनवीएस (17.08 करोड़ रुपये), (iii) समग्र शिक्षा (50 करोड़ रुपये) की योजना में पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान।, (3) (i) केवीएस (35 करोड़ रुपये), (ii) एनवीएस (522.57 करोड़ रुपये) वेतन सहायता अनुदान और (4) समग्र शिक्षा योजना में व्यावसायिक सेवाएं (384.76 करोड़ रुपये)।
अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ख) (1) (i) पीएम-पोषण (80 करोड़ रुपये) और (ii) एनवीएस (5 करोड़ रुपये) की योजना में सामान्य अनुदान। (2) एनवीएस की योजना में पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान (0.50 करोड़ रुपये)। (3) एनवीएस की योजना में सहायता वेतन अनुदान (35 करोड़ रुपये)।
अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) (1) Grants-in-Aid General in the Scheme of (i) Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS) (₹ 26.50 crore), (ii) Navodaya Vidyalaya Sangathan (NVS) (₹ 225.15 crore) (iii) Samagra Shiksha (₹ 12.64 crore), (2) Grants for Creation of Capital Assets in the Scheme of (i) KVS (₹ 0.50 crore), (ii) NVS (₹ 17.08 crore), (iii) Samagra Shiksha (₹ 50 crore), (3) Grants in Aid Salaries in the Scheme of (i) KVS (₹ 35 crore), (ii) NVS (₹ 522.57 crore) and (4) Professional Services in the Scheme of Samagra Shiksha (₹ 384.76 crore)
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) (1) Grants-in-Aid General in the Scheme of (i) PM-POSHAN (₹ 80 crore) and (ii) NVS (₹ 5 crore). (2) Grants for Creation of Capital Assets in the Scheme of NVS (₹ 0.50 crore). (3) Grants in Aid Salaries in the Scheme of NVS (₹ 35 crore)
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 26

उच्चतर शिक्षा विभाग

DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 27 देखिये)

(See page 27 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	55060.34	55060.34
पूंजी	Capital	...	18.01	18.01
जोड़	Total	...	55078.35	55078.35
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.03	0.03
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.03	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	55078.38	55078.38
राजस्व	Revenue	...	55060.37	55060.37
पूंजी	Capital	...	18.01	18.01
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2202-सामान्य शिक्षा	2202-General Education	...	0.01 (का)	0.01
2203-तकनीकी शिक्षा	2203-Technical Education	...	0.01 (खब)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (गक)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.03	0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) (1) योजनाओं के तहत सामान्य अनुदान (i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को सहायता [230 करोड़ रुपये], (ii) केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान [₹. 925 करोड़], (iii) केंद्रीय विश्वविद्यालय-एचईएफए ऋण के तहत ब्याज के भुगतान के लिए निधि [₹. 10 करोड़], (iv) केंद्रीय विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश [₹. 1.50 करोड़], (v) आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जनजातीय विश्वविद्यालय [₹. 0.50 करोड़], (vi) भारतीय भाषाओं के प्रचार के लिए अनुदान [₹. 4 करोड़], और (vii) भारतीय ज्ञान प्रणाली [₹. 6 करोड़] (2) योजनाओं के तहत पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान (i) केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान [₹. 65 करोड़], (ii) आईसीटी के माध्यम से शिक्षा में राष्ट्रीय मिशन [₹. 27.24 करोड़], और (iii) भारतीय ज्ञान प्रणाली [₹. 4 करोड़] (3) केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान योजना के तहत सहायता अनुदान वेतन [590 करोड़ रुपये] और (4) यूनेस्को को योगदान [5.8 करोड़ रुपये]

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(ख) (1) योजनाओं के तहत सामान्य सहायता अनुदान (i) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) को सहायता [323 करोड़ रुपये], (ii) भारतीय प्रबंधन संस्थानों को सहायता [10 करोड़ रुपये], (iii) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एनआईटी) और आईआईएएसटी को सहायता [170 करोड़ रुपये], (iv) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) को समर्थन [35.34 करोड़ रुपये], (v) भारतीय संस्थान को समर्थन विज्ञान (आईआईएससी) [53.54 करोड़ रुपये], (vi) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (इलाहाबाद, ग्वालियर, जबलपुर और कांचीपुरम) को सहायता [3 करोड़ रुपये], (vii) राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान मुंबई [₹. 11.05 करोड़], (viii) राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीआर) [₹. 2 करोड़], (ix) शिक्षता प्रशिक्षण बोर्ड, बॉम्बे, कलकत्ता, कानपुर और चेन्नई [₹. 1.2 करोड़], (x) एसएलआईटी, एनईआरआईएसटी, एनआईएफएफटी रांची, सीआईटी कोकराझार सहित अन्य संस्थानों को सहायता [₹. 22.49 करोड़], (xi) इम्प्रिंट रिसर्च इनिशिएटिव का कार्यान्वयन [₹. 9 करोड़], (xii) पीएम रिसर्च फेलोशिप [₹. 100 करोड़], (xiii) विज्ञान में परिवर्तनकारी और उन्नत अनुसंधान के लिए योजना (एसटीआरएस) [₹. 15 करोड़], और (xiv) तकनीकी शिक्षा में बहुआयामी शिक्षा और अनुसंधान सुधार-ईएपी (एमईआरआईटीई) [₹. 8 करोड़] (2) योजनाओं के तहत वेतन सहायता- अनुदान (i) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) को सहायता [75 करोड़ रुपये],

The supplementary Grants are required for:

(a) (1) Grants-in-Aid General under the schemes (i) Support to University Grants Commission (UGC) [₹ 230 Crore], (ii) Grants to Central Universities [₹ 925 Crore], (iii) Central Universities- Funds for Payment of Interest under HEFA Loan [₹ 10 Crore], (iv) Central University, Andhra Pradesh [₹ 1.50 Crore], (v) Andhra Pradesh & Telangana Tribal Universities [₹ 0.50 Crore], (vi) Grants for promotion of Indian languages [₹ 4 Crore], and (vii) Indian Knowledge System [₹ 6 Crore] (2) Grants for Creation of Capital Assets under the schemes (i) Grants to Central Universities [₹ 65 Crore], (ii) National Mission in Education through ICT [₹ 27.24 Crore], and (iii) Indian Knowledge System [₹ 4 Crore] (3) Grants-in-Aid Salaries under the scheme Grants to Central Universities [₹ 590 Crore] and (4) Contribution to UNESCO [₹ 5.8 Crore]

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) (1) Grants-in-Aid General under the schemes (i) Support to Indian Institutes of Technology (IITs) [₹ 323 Crore], (ii) Support to Indian Institutes of Management [₹ 10 Crore], (iii) Support to National Institutes of Technology (NITs) and IIST [₹ 170 Crore], (iv) Support to Indian Institute (s) of Science Education & Research (IISER) [₹ 35.34 Crore], (v) Support to Indian Institute of Science (IISc) [₹ 53.54 Crore], (vi) Support to Indian Institute(s) of Information Technology (Allahabad, Gwalior, Jabalpur and Kanchipuram) [₹ 3 Crore], (vii) National Institute of Industrial Engineering Mumbai [₹ 11.05 Crore], (viii) National Institutes of Technical Teachers Training & Research (NITTTRs) [₹ 2 Crore], (ix) Board of Apprenticeship Training, Bombay, Calcutta, Kanpur and Chennai [₹ 1.2 Crore], (x) Assistance to other institutes including SLIET, NERIST, NIFT Ranchi, CIT Kokrajhar [₹ 22.49 Crore], (xi) Implementation of the IMPRINT Research Initiative [₹ 9 Crore], (xii) PM Research Fellowship [₹ 100 Crore], (xiii) Scheme for Transformational and Advanced Research in Sciences (STARS) [₹ 15 Crore], and (xiv) Multidisciplinary Education and Research Improvement in Technical Education-EAP

(ii) विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान (आईआईएसईआर) के भारतीय संस्थानों को सहायता) [3 करोड़ रुपये], (iii) भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) [52 करोड़ रुपये], (iv) राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीटीआर) [6.08 करोड़ रुपये], और (v) बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, बॉम्बे, कलकत्ता, कानपुर और चेन्नई [3.23 करोड़ रुपये] (3) तकनीकी शिक्षा में बहुआयामी शिक्षा और अनुसंधान सुधार योजना के तहत व्यावसायिक सेवाएं-ईएपी (मेराइट) [5 करोड़ रुपये] और (4)) योजनाओं के तहत पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान (i) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) को सहायता [300 करोड़ रुपये], (ii) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), हैदराबाद (ईएपी) [150 करोड़ रुपये], (iii) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एनआईटी) और आईआईएसटी को सहायता [80 करोड़ रुपये], (iv) विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान के भारतीय संस्थानों को समर्थन (आईआईएसईआर) [रु.15 करोड़], (v) शिक्षता प्रशिक्षण बोर्ड, बॉम्बे, कलकत्ता, कानपुर और चेन्नई [रु.0.3 करोड़], और (vi) इम्प्रिंट रिसर्च इनिशिएटिव का कार्यान्वयन [रु.6 करोड़]

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

- (ग) (1) योजनाओं के तहत सामान्य अनुदान (i) केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान- [75 करोड़ रुपये], और (ii) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) को सहायता [2 करोड़ रुपये] (2) अनुदान केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान के तहत पूंजी निर्माण के लिए- [35 करोड़ रुपये] और (3) केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान के तहत सहायता अनुदान- [80 करोड़ रुपये]
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(MERITE) [₹ 8 Crore] (2) Grants-in-Aid Salaries under the schemes (i) Support to Indian Institutes of Technology (IITs) [₹ 75 Crore], (ii) Support to Indian Institute (s) of Science Education & Research (IISER) [₹ 3 Crore], (iii) Support to Indian Institute of Science (IISc) [₹ 52 Crore], (iv) National Institutes of Technical Teachers Training & Research (NITTTRs) [₹ 6.08 Crore], and (v) Board of Apprenticeship Training, Bombay, Calcutta, Kanpur and Chennai [₹ 3.23 Crore] (3) Professional Services under the scheme Multidisciplinary Education and Research Improvement in Technical Education-EAP (MERITE) [₹ 5 Crore] and (4) Grants for Creation of Capital Assets under the schemes (i) Support to Indian Institutes of Technology (IITs) [₹ 300 Crore], (ii) Indian Institute of Technology (IIT), Hyderabad (EAP) [₹ 150 Crore], (iii) Support to National Institutes of Technology (NITs) and IIST [₹ 80 Crore], (iv) Support to Indian Institute (s) of Science Education & Research (IISER) [₹ 15 Crore], (v) Board of Apprenticeship Training, Bombay, Calcutta, Kanpur and Chennai [₹ 0.3 Crore], and (vi) Implementation of the IMPRINT Research Initiative[₹ 6 Crore]

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (1) Grants-in-Aid General under the schemes (i) Grants to Central Universities- [₹ 75 Crore], and (ii) Support to Indian Institutes of Technology (IITs) [₹ 2 Crore] (2) Grants for Creation of Capital under Grants to Central Universities- [₹ 35 Crore] and (3) Grants-in-Aid Salaries under Grants to Central Universities- [₹ 80 Crore]
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(c)

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 27

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 28 देखिये)

(See page 28 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

	भारत Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:			
राजस्व	...	13911.99	13911.99
पूंजी	...	388.01	388.01
जोड़	...	14300.00	14300.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:			
राजस्व	...	320.01	320.01
पूंजी
जोड़	...	320.01	320.01
जोड़ (मूल और पूरक)			
राजस्व	...	14620.01	14620.01
पूंजी	...	14232.00	14232.00
	...	388.01	388.01
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head			
	भारत Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग			
मुख्य शीर्ष			
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	0.01 (का)	0.01
2852-उद्योग	...	320.00 (खब)	320.00
जोड़ (राजस्व भाग)	...	320.01	320.01
REVENUE SECTION			
MAJOR HEAD			
2552-North Eastern Areas	...	0.01 (का)	0.01
2852-Industries	...	320.00 (खब)	320.00
Total (Revenue Section)	...	320.01	320.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) निम्नलिखित 'अन्य शुल्क' के संबंध में अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु (i) इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण (एमएसआईपीएस, ईडीएफ और विनिर्माण क्लस्टर) का संवर्धन (77.35 करोड़ रुपये) (ii) 'भारत में अर्धचालक और डिस्प्ले पारिस्थितिकी तंत्र का विकास' (20 करोड़ रुपये) और (iii) पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास हेतु 'डिजिटल भुगतान का संवर्धन' (200 करोड़ रुपये)
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ख) निम्नलिखितों के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु (i) बड़े पैमाने के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई के संबंध में 'व्यावसायिक सेवाएं' (2 करोड़ रुपये) (ii) प्रमाणन प्राधिकरणों के नियंत्रक (सीसीए) के संबंध में सामान्य सहायता अनुदान (1 करोड़ रुपये) (iii) भारत में अर्धचालक और डिस्प्ले पारिस्थितिकी तंत्र का विकास, जिसमें सामान्य सहायता अनुदान (22.80 करोड़ रुपये), पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (0.20 करोड़ रुपये), अन्य शुल्क (132 करोड़ रुपये), अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (15 करोड़ रु.), जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (10 करोड़ रु.) जिसमें से भारत की आकस्मिक निधि से अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए 13 करोड़ रुपये आहरित की गई (iv) सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों को बढ़ावा देने के तहत सामान्य सहायता अनुदान (14.25 करोड़ रुपये) (v) डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के तहत अन्य शुल्क (1457 करोड़ रुपये), अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना (164 करोड़ रुपये) और जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (131 करोड़ रुपये) (vi) "इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग का संवर्धन (एमएसआईपीएस, ईडीएफ एंड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर) के संबंध में अन्य शुल्क (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के लिए 79.70 करोड़ रुपये और जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के लिए 67.84 करोड़ रुपये) और (vii) सेमी कंडक्टर लेबोरेटरी, जो डीओएस से इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को एबी अंतरण है के लिए सामान्य सहायता अनुदान (169.35 करोड़ रुपये), पूंजीगत आस्तिक के सृजन के लिए अनुदान (85.16 करोड़ रुपये) और वेतन सहायता अनुदान (65.49 करोड़ रुपये)।
- मांग संख्या-95 अंतरिक्ष विभाग में उपलब्ध 320 करोड़ रुपये की अभ्यर्पित बचत को ध्यान में रखते हुए और अनुदान के इसी भाग में बचतों का उपयोग करने के बाद, उपरोक्त व्यय के लिए कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grants are required for:

- (a) meeting additional expenditure towards 'Other Charges' in respect of (i) Promotion of Electronics and IT Hardware Manufacturing (MSIPS, EDF & Manufacturing clusters) (₹ 77.35 crore) (ii) 'Development Semiconductor and Display Ecosystem in India' (₹ 20 crore) and (iii) 'Promotion of Digital Payments' (₹ 200 crore) for development of North Eastern Region.
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) meeting additional expenditure towards (i) 'Professional Services' in respect of PLI for Large Scale Electronics and IT Hardware (₹ 2 crore) (ii) Grants-in-aid General in respect of Controller of Certifying Authorities (CCA) (₹ 1 crore) (iii) Development of Semiconductor and Display Ecosystem in India, of which Grants in Aid General (₹ 22.80 crore), Grants for Creation of Capital Assets (₹ 0.20 crore), Other Charges (₹ 132 crore), Special Component Plan for Scheduled Castes (₹ 15 crore), Tribal Area Sub-Plan (₹ 10 crore), out of which ₹ 13 crore for recoupment of advance drawn from the Contingency Fund of India. (iv) Grants-in-Aid General (₹ 14.25 crore) under Promotion of IT and ITes Industries (v) Other Charges (₹ 1457 crore), Special Component Plan for Scheduled Castes (₹ 164 crore) and Tribal Area Sub-Plan (₹ 131 crore) under Promotion of Digital Payments (vi) Other Charges in respect of "Promotion of Electronics and IT Hardware Manufacturing (MSIPS, EDF & Manufacturing Clusters) (₹ 79.70 crore for Special Component Plan for Scheduled Castes and ₹ 67.84 crore for Tribal Area Sub-Plan) and (vii) Grants-in-aid General (₹ 169.35 crore), Grants for Creation of Capital Assets (₹ 85.16 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹ 65.49 crore) for Semi Conductor Laboratory, an AB transfer from DoS to MeITy.
- Taking into account the surrender of savings of ₹ 320 crore available in the Demand No. 95 - Department of Space, and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 28

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 29 देखिये)

(See page 29 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	3170.00	3170.00
पूंजी	Capital	...	115.00	115.00
जोड़	Total	...	3285.00	3285.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.03	0.03
पूंजी	Capital	...	0.02	0.02
जोड़	Total	...	0.05	0.05
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	3285.05	3285.05
राजस्व	Revenue	...	3170.03	3170.03
पूंजी	Capital	...	115.02	115.02
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2406-वानिकी और वन्य जीवन	2406-Forestry and Wild Life	...	0.01 (का)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (खब)	0.01
3435-पारिस्थितिकी और पर्यावरण	3435-Ecology and Environment	...	0.01 (गक)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.03	0.03
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4406-वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजी परिव्यय	4406-Capital Outlay on Forestry and Wild Life	...	0.01 (घद)	0.01
5425-अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय	5425-Capital Outlay on Other Scientific and Environmental Research	...	0.01 (ङे)	0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	0.02	0.02
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	0.05	0.05

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

- (क) (i) सामान्य सहायता अनुदान (11.14 करोड़ रुपये), पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (5.50 करोड़ रुपये) और भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद के लिए वेतन सहायता अनुदान (₹. 1 करोड़) (ii) भारतीय वन्यजीव संस्थान के लिए वेतन सहायता अनुदान (1 करोड़ रुपये) के व्यय को पूरा करने के लिए अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है
- (ख) प्रदूषण नियंत्रण के तहत सहायता अनुदान के व्यय को पूरा करने हेतु (8 करोड़ रुपये) अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है
- (ग) प्रदूषण नियंत्रण के तहत (i) सामान्य सहायता अनुदान (125.10 करोड़ रुपये) और सहायता अनुदान (एससीएसपी के लिए 20 करोड़ रुपये और टीएसपी के लिए 10 करोड़ रुपये) (ii) राष्ट्रीय हरित अधिकरण के लिए सामान्य सहायता अनुदान (0.20 करोड़ रुपये) (iii) पूंजीगत आस्ति के सृजन के लिए अनुदान (1 करोड़ रुपये) और जीपी पंत हिमालयन पर्यावरण और विकास संस्थान के लिए वेतन सहायता अनुदान (1 करोड़ रुपये)। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है
- (घ) भारतीय वन सर्वेक्षण के प्रमुख कार्यों के व्यय को पूरा करने हेतु (1 करोड़ रुपये)। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है
- (ङ) (i) भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (1 करोड़ रुपये) और (ii) भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (1 करोड़ रुपये) के लिए प्रमुख कार्यों के लिए व्यय को पूरा करना। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है

The supplementary Grants are required for:

- (a) meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid-General (₹ 11.14 crore), Grants for creation of Capital Assets (₹ 5.50 crore) and Grants-in-aid-Salaries (₹ 1 crore) for Indian Council of Forestry Research and Education and (ii) Grants-in-aid-Salaries (₹ 1 crore) for Wildlife Institute of India. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) meeting expenditure towards Grants-in-aid-General (₹ 8 crore) under Control of Pollution. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General (₹ 125.10 crore) and Grants-in-aid General (₹ 20 crore for SCSP and 10 crore for TSP) under Control of Pollution (ii) Grants-in-aid General (₹ 0.20 crore) for National Green Tribunal (iii) Grants for Creation of Capital Assets (₹ 1 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹ 1 crore) for GP Pant Himalayan Institute of Environment and Development. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (d) meeting expenditure towards Major Works (₹ 1 crore) for Forest Survey of India. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (e) meeting expenditure towards Major Works for (i) Botanical Survey of India (₹ 1 crore) and (ii) Zoological Survey of India (₹ 1 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 29

विदेश मंत्रालय

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 30 देखिये)

(See page 30 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.03	15838.74	15838.77
पूंजी	Capital	...	1416.23	1416.23
जोड़	Total	0.03	17254.97	17255.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.03	0.03
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.04	0.04
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.03	17255.01	17255.04
राजस्व	Revenue	0.03	15838.77	15838.80
पूंजी	Capital	...	1416.24	1416.24
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052-Secretariat-General Services	...	0.01 (का)	0.01
2061-विदेशी मामले	2061-External Affairs	...	0.01 (खब)	0.01
3605-अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग	3605-Technical and Economic Co-operation with Other Countries	...	0.01 (गक)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.03	0.03
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
7605-विदेशी सरकारों को अग्रिम	7605-Advances to Foreign Governments	...	0.01 (घद)	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	0.04	0.04

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supplementary Grants are required for:		
(क)	जी-20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत के आकस्मिक निधि से अग्रिम की प्रतिपूर्ति (100 करोड़ रुपये)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।	(a)	recoupment of Advance from Contingency Fund of India for G-20 Summit (₹ 100 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.	
(ख)	(i) ऑपरेशन गंगा के लिए भारत के आकस्मिक निधि से अग्रिम की प्रतिपूर्ति (155 करोड़ रुपये) (ii) आईसीसीआर के संबंध में जी-20 संगोष्ठी/बैठकों से संबंधित सांस्कृतिक समारोह के आयोजन के लिए सामान्य सहायता अनुदान (14 करोड़ रुपये) और वेतन सहायता अनुदान (6 करोड़ रुपये) (iii) नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के लिए दक्षिणी एशियाई विश्वविद्यालय और अंशदान (250 करोड़ रुपये) के निर्माण कार्यकलापों के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (9 करोड़) (iv) विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत त्रिपक्षीय विकास सहयोग के लिए अन्य प्रशासनिक व्यय (1 करोड़ रुपये)।	(b)	(i) recoupment of Advance from Contingency Fund of India for Operation Ganga (₹ 155 crore) (ii) Grants-in-aid General (₹ 14 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹ 6 crore) for organizing cultural events relating to G-20 seminars/meetings in respect of ICCR (iii) Grants for Creation of Capital Assets (₹ 9 crore) for construction activities of South Asian University and Contribution (₹ 250 crore) for Nalanda International University (iv) Other Administrative Expenses for Trilateral Development Co-operation under Special Programme (₹ 1 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.	
(ग)	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। भूटान को सहायता के अंतर्गत मंगेच्छू हाईड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना का बकाया भुगतान (6.28 करोड़ रुपये)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।	(c)	remaining payment of Manceghu Hydroelectric Project under Aid to Bhutan (₹ 6.28 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.	
(घ)	भूटान सरकार को ऋण के अंतर्गत मंगेच्छू हाईड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना (14.65 करोड़ रुपये) और अन्य परियोजनाओं (150 करोड़ रुपये) के लिए ऋण और अग्रिम। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।	(d)	Loans and Advances to Manceghu Hydroelectric Project (₹ 14.65 crore) and Other Projects (₹ 150 crore) under Loans to Govt. of Bhutan. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.	

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 30

आर्थिक कार्य विभाग

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 31 देखिये)

(See page 31 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	6736.88	6736.88
पूंजी	Capital	...	13189.92	13189.92
जोड़	Total	...	19926.80	19926.80
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	575.43	575.43
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	575.44	575.44
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	20502.24	20502.24
राजस्व	Revenue	...	7312.31	7312.31
पूंजी	Capital	...	13189.93	13189.93
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052-Secretariat-General Services	...	23.62	(क) 23.62
2416-कृषि वित्तीय संस्थान	2416-Agricultural Financial Institutions	...	14.40	(ख) 14.40
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	3475-Other General Economic Services	...	510.61	(ग) 510.61
3605-अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग	3605-Technical and Economic Co-operation with Other Countries	...	26.80	(घ) 26.80
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	575.43	575.43
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5466-अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में निवेश	5466-Investments in International Financial Institutions	...	0.01	(ङ) 0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	575.44	575.44

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) आर्थिक कार्य विभाग सचिवालय की स्थापना से संबंधित व्यय (27.60 करोड़ रुपये)। अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए और अनुदान के इसी भाग के बचत का उपयोग करने के पश्चात उक्त व्यय में कोई नकद व्यय नहीं होगा।
- (ख) अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी) में अंशदान (14.40 करोड़ रुपये)। अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध अभ्यर्पित बचत राशि को ध्यान में रखते हुए तकनीकी पूरक मांगा जाता है। उक्त व्यय में कोई नकद व्यय नहीं होगा।
- (ग) अवसंरचना विकास- व्यवहार्यता अंतर-निधियन (671.80 करोड़ रुपये), स्वर्ण आरक्षित निधि (सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड स्कीम 2015) (62 करोड़ रुपये) के लिए सहायता। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए शेष राशि के लिए पूरक मांगा जाता है। पूंजी भाग में उपलब्ध बचत पर विचार करते हुए इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।
- (घ) भारतीय विकास और आर्थिक सहायता स्कीम (आईडीईएस) (रणनीतिक विदेशी परियोजना के लिए रियायती वित्तपोषण) के अंतर्गत ऋण सीमा हेतु व्याज समीकरण सहायता (20 करोड़ रुपये), एससीओ बैठक के लिए व्यय (4.26 करोड़ रुपये) और वैश्विक पर्यावरण सुविधा के लिए अंशदान (9.50 करोड़ रुपये)। अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए और अनुदान के इसी भाग के बचत का उपयोग करने के पश्चात उक्त व्यय में कोई नकद व्यय नहीं होगा।
- (ङ) अंतर्राष्ट्रीय पुनःनिर्माण और विकास बैंक में सदस्यता हेतु सामान्य पूंजी वृद्धि (जीसीआई) के लिए भुगतान (20.55 करोड़ रुपये) और चुनिंदा पूंजी वृद्धि (एससीआई) के लिए भुगतान (7.13 करोड़ रुपये)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) establishment related expenditure of Department of Economic Affairs Secretariat (₹ 27.60 crore) . Taking into account the savings available in the Capital Section of the Grant, and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail cash outgo.
- (b) contributions to International Fund for Agricultural Development (IFAD) (₹14.40 crore). Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, a technical supplementary is sought. The above expenditure will not entail cash outgo.
- (c) assistance for Infrastructure Development – Viability Gap Funding (₹671.80 crore), Gold Reserve Fund (Sovereign Gold Bond Scheme 2015) (₹62 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, supplementary for the balance amount is sought. This will not entail cash outgo considering the savings available in the capital section.
- (d) interest Equalization Support for Lines of Credit under Indian Development and Economic Assistance Scheme (IDEAS) (Concessional Financing for Strategic Overseas Projects) (₹20 crore), Expenditure for SCO meetings (₹ 4.26 crore) and Contribution for Global Environment Facility (₹9.50 crore). Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail cash outgo.
- (e) payment for General Capital Increase (GCI)(₹20.55 crore) and payment for Selective Capital Increase (SCI) (₹7.13 crore) towards Subscription to the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 32

वित्तीय सेवा विभाग

DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 34 देखिये)

(See page 34 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1102.71	1102.71
पूंजी	Capital	...	6072.06	6072.06
जोड़	Total	...	7174.77	7174.77
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	0.65	261.48	262.13
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	0.65	261.49	262.14
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.65	7436.26	7436.91
राजस्व	Revenue	0.65	1364.19	1364.84
पूंजी	Capital	...	6072.07	6072.07

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052-Secretariat-General Services	0.65 (का)	...	0.65
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2070-Other Administrative Services	...	10.77 (खब)	10.77
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare	...	96.94 (गक)	96.94
2885-उद्योग और खनिजों पर अन्य परिव्यय	2885-Other Outlays on Industries and Minerals	...	153.77 (घद)	153.77
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	0.65	261.48	262.13
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4885-उद्योगों और खनिजों पर अन्य पूंजी परिव्यय	4885-Other Capital Outlay on Industries and Minerals	...	0.01 (डे)	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	0.65	261.49	262.14

यह पूरक अनुदाने/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क)	भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) के नैमित्तिक श्रमिक कर्मचारियों को देय राशि और बकाया मजदूरी का भुगतान करना। स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में नकद परिव्यय शामिल नहीं होगा;	(a)	making payment of dues & arrears of wages to casual labour employees of the Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR) in compliance of order of Supreme Court of India. Taking into account the savings available in the Voted Section, the above expenditure will not entail cash outgo;
(ख)	ऋण वसूली न्यायाधिकरणों के स्थापना संबंधी अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	(b)	meeting additional establishment related expenditure of Debts Recovery Tribunals. Taking into account the savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail cash outgo;
(ग)	अनुदान के पूंजीगत भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में नकद परिव्यय शामिल नहीं होगा; (i) वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना के तहत सब्सिडी की प्रतिपूर्ति (16.98 करोड़ रुपये), (ii) अटल पेंशन योजना के तहत संवर्धन अभियान गतिविधियां (2.99 करोड़ रुपये), (iii) अटल पेंशन योजना के तहत अंतराल निधि (522 करोड़ रुपये), (iv) स्वावलंबन योजना के लिए सरकारी सह-योगदान (1.31 करोड़ रुपये)।	(c)	(i) reimbursement of subsidy under Pension Plan for Senior Citizens under Varishtha Pension Bima Yojana (₹ 16.98 crore), (ii) promotional campaign activities under Atal Pension Yojana (₹ 2.99 crore), (iii) gap fund under Atal Pension Yojana (₹ 522 crore), (iv) Government co-contributions for Swavalamban scheme (₹ 1.31 crore). Taking into account utilisation of savings within the same section of the Grant and savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail cash outgo.
(घ)	अनुदान के इसी भाग में बचत के उपयोग और अनुदान के पूंजीगत भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में नकद परिव्यय शामिल नहीं होगा। तनावग्रस्त आसुति स्थिरीकरण निधि को जारी की गई प्रतिभूतियों का शोधन (254.99 करोड़ रुपये)।	(d)	redemption of securities issued to Stressed Assets Stabilisation Fund. (₹ 254.99 crore). Taking into account utilisation of savings within the same section of the Grant and savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail cash outgo.
(ङ)	अनुदान के इसी भाग में बचत के उपयोग और अनुदान के पूंजीगत खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में नकद परिव्यय शामिल नहीं होगा। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (400 करोड़ रुपये) की शेयर पूंजी के लिए अंशदान। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है	(e)	subscription to the share capital of Industrial Finance Corporation of India (₹ 400 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 33

लोक उद्यम विभाग

DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 36 देखिये)

(See page 36 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारत Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	30.00	30.00
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	30.00	30.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	3.00	3.00
पूंजी	Capital	...	150.00	150.00
जोड़	Total	...	153.00	153.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	183.00	183.00
राजस्व	Revenue	...	33.00	33.00
पूंजी	Capital	...	150.00	150.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारत Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services	...	3.00 (का)	3.00
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4875-अन्य उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	4875-Capital Outlay on Other Industries	...	150.00 (खब)	150.00
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	153.00	153.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) राष्ट्रीय भूमि मुद्राकरण निगम को विशिष्ट उद्देश्य माध्यम (3.00 करोड़ रुपये) के रूप में शामिल करने की दिशा में अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।
- उपरोक्त व्यय के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए नकद व्यय की आवश्यकता होगी।
- (ख) राष्ट्रीय भूमि मुद्राकरण निगम को वाणिज्य योगदान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (150.00 करोड़ रुपये)।
- उपरोक्त व्यय के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए नकद व्यय की आवश्यकता होगी।

The supplementary Grants are required for:

- (a) meeting additional expenditure towards the incorporation of National Land Monetization Corporation as a Special Purpose Vehicle (₹ 3.00 crore).
- The above expenditure will entail a cash outgo for recoupment of advance from Contingency Fund of India.
- (b) meeting additional expenditure towards equity contribution to National Land Monetization Corporation (₹ 150.00 crore).
- The above expenditure will entail a cash outgo for recoupment of advance from Contingency Fund of India.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 35

राजस्व विभाग

DEPARTMENT OF REVENUE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 38 देखिये)

(See page 38 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	227548.22	227548.22
पूंजी	Capital	...	4.30	4.30
जोड़	Total	...	227552.52	227552.52
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	19698.49	19698.49
पूंजी	Capital	...	30.00	30.00
जोड़	Total	...	19728.49	19728.49
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	247281.01	247281.01
राजस्व	Revenue	...	247246.71	247246.71
पूंजी	Capital	...	34.30	34.30

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>		<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2047-अन्य राजकोषीय सेवाएं	2047-Other Fiscal Services	...	0.01	(का)	0.01
2875-अन्य उद्योग	2875-Other Industries	...	37.11	(खब)	37.11
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	14075.71	(गक)	14075.71
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	5585.66	(घद)	5585.66
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	19698.49		19698.49
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	...	30.00	(डे)	30.00
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	19728.49		19728.49

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2070-Other Administrative Services	...	(-)0.95		(-)0.95
2875-अन्य उद्योग	2875-Other Industries	...	(-)37.11		(-)37.11
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	(-)6993.33		(-)6993.33
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	(-)2668.67		(-)2668.67
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	(-)9700.06		(-)9700.06

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त और नीति संस्थान (एनआईपीएफपी 0.08 करोड़ रुपये) की वेतन सहायता अनुदान के अतिरिक्त व्यय और प्रवर्तन निदेशालय के अतिरिक्त व्यय (41.33 करोड़ रुपये) को पूरा करना। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ख) उच्च अल्कलॉइड उत्पादन के लिए अतिरिक्त आवश्यकता (40.89 करोड़ रुपये) को पूरा करने के लिए। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध अतिरिक्त वसूलियों और बचत को ध्यान में रखते हुए, इसमें नकद व्यय शामिल नहीं होगा;
- (ग) जीएसटी मुआवजा कोष में अतिरिक्त अंतरण (7083 करोड़ रुपये) और राज्यों को जारी राशि (6993.33 करोड़ रुपये)।

The supplementary Grants are required for:

- (a) meeting additional release of Grants-in-Aid Salaries to National Institute of Public Finance and Policy (NIPFP ₹ 0.08 crore) and additional expenditure of Enforcement Directorate (₹ 41.33 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) for meeting additional requirement (₹ 40.89 crore) for higher alkaloid production. Taking into accounts the additional recoveries and saving available in the same section of the grant, this will not entail cash outgo;
- (c) additional transfer to GST Compensation Fund (₹ 7083 crore) and releases to States (₹ 6993.33 crore).

	अनुदान और अतिरिक्त प्राप्तियाँ (47 करोड़ रुपये) और अतिरिक्त वसूली (6994.28 करोड़ रुपये) के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, इसमें 7034.43 करोड़ रुपये का नकद व्यय शामिल होगा।			Taking into account the savings available within the same section of the grant and additional receipts (₹ 47 crore) and additional recovery (₹ 6994.28 crore), this will entail cash outgo of ₹ 7034.43 crore.
(घ)	जीएसटी मुआवजा कोष में अतिरिक्त अंतरण (2917.99 करोड़ रुपये) और संघ राज्य क्षेत्रों को जारी (2668.67 करोड़ रुपये)। अतिरिक्त वसूलियों को ध्यान में रखते हुए, इसमें 2916.99 करोड़ रुपये का नकद व्यय शामिल होगा।	(d)		additional transfer to GST Compensation Fund (₹ 2917.99 crore) and releases to UTs (₹ 2668.67 crore). Taking into account the additional recoveries, this will entail cash outgo of ₹ 2916.99 crore.
(ङ)	प्रवर्तन निदेशालय के लिए भूमि और तैयार कार्यालय आवास की खरीद। उपरोक्त व्यय में नकद व्यय शामिल होगा।	(e)		purchase of land and ready built office accommodation for Enforcement Directorate. The above expenditure will entail a cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 36

प्रत्यक्ष कर

DIRECT TAXES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 40 देखिये)

(See page 40 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	8866.80	8866.80
पूंजी	Capital	...	442.00	442.00
जोड़	Total	...	9308.80	9308.80
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	...	229.72	229.72
जोड़	Total	...	229.72	229.72
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	9538.52	9538.52
राजस्व	Revenue	...	8866.80	8866.80
पूंजी	Capital	...	671.72	671.72
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	...	69.72	(का) 69.72
4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय	4216-Capital Outlay on Housing	...	160.00	(खb) 160.00
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	229.72	229.72

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supplementary Grants are required for:	
(क)	कार्यालय भवनों का अधिग्रहण, मरम्मत और नवीनीकरण और निर्माण (69.72 करोड़ रुपये)	(a)	acquisition, repair & renovation and construction of office buildings (₹ 69.72 crore)
	उपरोक्त व्यय में नकद व्यय शामिल होगा;		The above expenditure will entail a cash outgo;
(ख)	भूमि का अधिग्रहण और आवासीय भवनों का निर्माण।	(b)	acquisition of land and construction of residential buildings.
	अनुदान के राजस्व अनुभाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, 52.63 करोड़ रुपये के नकद व्यय की आवश्यकता होगी।		Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, this will entail cash outgo of ₹ 52.63 crore.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 37

अप्रत्यक्ष कर

INDIRECT TAXES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 41 देखिये)

(See page 41 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	39739.17	39739.17
पूंजी	Capital	...	1400.00	1400.00
जोड़	Total	...	41139.17	41139.17
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	41139.18	41139.18
राजस्व	Revenue	...	39739.18	39739.18
पूंजी	Capital	...	1400.00	1400.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2037-सीमा शुल्क	2037-Customs	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

राज्य और केंद्रीय करों तथा शुल्कों पर छूट (आरओएससीटीएल योजना) बकाया के एकमुश्त भुगतान के रूप में 208.92 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आवश्यकता।

अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grant is required for:

additional requirement of ₹ 208.92 crore under Rebate on State and Central Taxes and Levies (RoSCTL scheme) as One Time Payment of Arrears .

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 43

मत्स्यपालन विभाग

DEPARTMENT OF FISHERIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 47 देखिये)

(See page 47 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2093.90	2093.90
पूंजी	Capital	...	24.57	24.57
जोड़	Total	...	2118.47	2118.47
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	2118.49	2118.49
राजस्व	Revenue	...	2093.92	2093.92
पूंजी	Capital	...	24.57	24.57
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2405-मत्स्य पालन	2405-Fisheries	...	0.01 (का)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (खब)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02
यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supplementary Grants are required for:		
(क)	मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर अवसंरचना विकास निधि के तहत (i) सहायता अनुदान सामान्य (7 करोड़ रुपये) (ii) अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) (2 करोड़ रुपये) और (iii) जनजाति क्षेत्र उप-योजना (टीएसपी) (1 करोड़ रुपये) हेतु। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(a)	(i) Grants-in-aid General (₹ 7 crore), (ii) for Scheduled Caste Sub Plan (SCSP) (₹ 2 crore) and (iii) for Tribal Area Sub Plan (TASP) (₹ 1 crore) under Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.	
(ख)	मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर अवसंरचना विकास निधि, के तहत (i) 1 करोड़ रु. की राशि का सामान्य सहायता अनुदान, (ii) एससीएसपी के लिए 0.20 करोड़ रु. और (iii) टीएसपी के लिए 0.20 करोड़ रुपये। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(b)	(i) Grants-in-aid General (₹ 1 crore), (ii) for SCSP (₹ 0.20 crore) and (iii) for TASP (₹ 0.20 crore) under Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.	

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 44

पशुपालन और डेयरी कार्य विभाग

DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 48 देखिये)

(See page 48 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	4232.80	4232.80
पूंजी	Capital	...	56.04	56.04
जोड़	Total	...	4288.84	4288.84
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	4288.85	4288.85
राजस्व	Revenue	...	4232.81	4232.81
पूंजी	Capital	...	56.04	56.04
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2403-पशु पालन	2403-Animal Husbandry	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(i) सामान्य सहायता अनुदान (₹. 2.78 करोड़), (ii) वेतन सहायता अनुदान (₹. 2.20 करोड़) (iii) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद के अंतर्गत पूंजीगत आस्ति (5 करोड़ ₹.) के सृजन के लिए अनुदान (iv) पशुधन गणना और एकीकृत नमूना सर्वेक्षण के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (5 करोड़ रुपये)

अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grant is required for:

(i) Grants-in-aid General (₹ 2.78 crore), (ii) for Grants-in-aid-Salary (₹ 2.20 crore), (iii) for Grants for Creation of Capital Assets (₹ 5 crore) under Veterinary Council of India and (iv) Grants-in-aid General under Livestock Census and Integrated Sample Survey (₹ 5 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 45

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 49 देखिये)

(See page 49 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2941.99	2941.99
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	2941.99	2941.99
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	2942.01	2942.01
राजस्व	Revenue	...	2942.01	2942.01
पूंजी	Capital
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2408-खाद्य भंडारण और भाण्डागारण	2408-Food Storage and Warehousing	...	0.01	(का) 0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01	(खb) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर के लिए आधारभूत संरचना के तहत जनजातीय क्षेत्र उप योजना (टीएसपी) के लिए सामान्य सहायता अनुदान (6.00 करोड़ रुपये)।
(ii) अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) के लिए विशेष घटक योजना (0.73 करोड़ रुपये) और टीएसपी (2.85 करोड़ रुपये) के लिए बैकवर्ड और फॉरवर्ड श्रृंखला के निर्माण के लिए योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान।
- अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ख) कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर के लिए अवसंरचना हेतु योजना के तहत 'पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर)' के लिए सामान्य सहायता अनुदान (6.90 करोड़ रुपये)
- अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) (i) Grants-in-aid General for Tribal Area Sub Plan (TASP) under Infrastructure for Agro Processing Cluster (₹ 6.00 crore),
(ii) Grants-in-aid General for Special Component Plan for Scheduled Caste Sub Plan (SCSP) (₹ 0.73 crore) and (iii) for TASP (₹ 2.85 crore) under Scheme for Creation of Backward and Forward Linkages.
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Grants-in-aid General for 'North Eastern Region (NER)' under Scheme for Infrastructure for Agro Processing Cluster (₹ 6.90 crore)
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 46
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 50 देखिये)

(See page 50 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:		
राजस्व	Revenue	107825.41	107825.41
पूंजी	Capital	5632.57	5632.57
जोड़	Total	113457.98	113457.98
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:		
राजस्व	Revenue	0.06	0.06
पूंजी	Capital	0.02	0.02
जोड़	Total	0.08	0.08
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	113458.06	113458.06
राजस्व	Revenue	107825.47	107825.47
पूंजी	Capital	5632.59	5632.59

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION		
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD		
2071-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	2071-Pensions and other Retirement Benefits	0.01 (का)	0.01
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health	0.01 (खब)	0.01
2211-परिवार कल्याण	2211-Family Welfare	0.01 (गक)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	0.01 (घद)	0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	0.01 (डे)	0.01
3606-सहायता सामग्री और उपस्कर	3606-Aid Materials and Equipment	0.01 (चफ)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	0.06	0.06
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION		
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD		
4210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय	4210-Capital Outlay on Medical and Public Health	0.01 (छग)	0.01
4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय	4216-Capital Outlay on Housing	0.01 (जह)	0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	0.02	0.02
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	0.08	0.08

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग	REVENUE SECTION		
3606-सहायता सामग्री और उपस्कर	3606-Aid Materials and Equipment	(-)1098.47	(-)1098.47

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ (पीओआरबी) (1995 करोड़ रुपये) अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए 1744 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को नियमित करने के लिए सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।
- (ख) 1) विभिन्न योजनाओं/संस्थाओं के तहत 706.03 करोड़ रुपये का सामान्य सहायता अनुदान। (2) विभिन्न योजनाओं/संस्थाओं के तहत 577.74 करोड़ रुपये की पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान (3) विभिन्न योजनाओं/संस्थानों के तहत 1173.70 करोड़ रुपये का सहायता वेतन अनुदान। (4) राष्ट्रीय एड्स और एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम-कंडोम की आपूर्ति योजना के तहत आपूर्ति और सामग्री (47.70 करोड़ रुपये)।

The supplementary Grants are required for:

- (a) Pension & Other Retirement Benefits (PORB) (₹ 1995 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought to regularize excess expenditure of ₹ 1744 crore.
- (b) 1) Grants in Aid General of ₹ 706.03 crore under the various Schemes/Institutions (2) Grants for Creation of Capital Assets of ₹ 577.74 crore under the various Schemes/Institutions (3) Grants in Aid Salaries of ₹ 1173.70 crore under the various Schemes/Institutions and (4) Supplies and Materials under the scheme National AIDS and STD control programme-Supply of Condoms (₹ 47.70 crore).

	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। इसमें भारत की आकस्मिकता निधि की प्रतिपूर्ति के लिए 46.94 करोड़ रुपये की राशि भी शामिल है।				Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. This also includes an amount of ₹ 46.94 crore towards recoupment to Contingency Fund of India.
(ग)	1) विभिन्न योजनाओं/संस्थाओं के तहत 10.64 करोड़ रुपये का सामान्य सहायता अनुदान। (2) विभिन्न योजनाओं/संस्थानों के तहत 0.10 करोड़ रुपये की पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान। (3) विभिन्न योजनाओं/संस्थानों के तहत 2.72 करोड़ रुपये का सहायता वेतन अनुदान। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(c)			1) Grants in Aid General of ₹ 10.64 crore under the various Schemes/Institutions (2) Grants for Creation of Capital Assets of ₹ 0.10 crore under the various Schemes/Institutions and (3) Grants in Aid Salaries of ₹ 2.72 crore under the various Schemes/Institutions Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(घ)	1) (i) विभिन्न योजनाओं/संस्थानों और (ii) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 167.54 करोड़ रुपये का सामान्य सहायता अनुदान (25.87 करोड़)। (2) विभिन्न योजनाओं/संस्थाओं के अंतर्गत 309.38 करोड़ रुपये की पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (3) विभिन्न योजनाओं/संस्थाओं के तहत 51.11 करोड़ रुपये का सहायता वेतन अनुदान (4) राष्ट्रीय एड्स और एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम के तहत आपूर्ति और सामग्री-कंडोम की आपूर्ति (5.50 करोड़ रुपये)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। इसमें भारत की आकस्मिकता निधि की प्रतिपूर्ति के लिए 13.55 करोड़ रुपये की राशि भी शामिल है।	(d)			1) Grants in Aid General of ₹ 167.54 crore under (i) various Schemes/Institutions and (ii) National Health Mission ₹ 25.87 crore) (2) Grants for Creation of Capital Assets of ₹ 309.38 crore under the various Schemes/Institutions (3) Grants in Aid Salaries of ₹ 51.11 crore under the various Schemes/Institutions and (4) Supplies and Materials under the scheme National AIDS and STD control programme-Supply of Condoms (₹ 5.50 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. This also includes an amount of ₹ 13.55 crore towards recoupment to Contingency Fund of India.
(ङ)	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन-आरसीएच और स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और शहरी स्वास्थ्य मिशन (ईएपी) के लिए फ्लेक्सिबल पूल योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (1056.15 करोड़ रुपये)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। इसमें भारत की आकस्मिकता निधि की प्रतिपूर्ति के लिए 12.14 करोड़ रुपये की राशि भी शामिल है।	(e)			Grants in aid General under the scheme National Health Mission - Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission (EAP) (₹ 1056.15 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. This also includes an amount of ₹ 12.14 crore towards recoupment to Contingency Fund of India.
(च)	राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के सुदृढीकरण और पोलियो उन्मूलन के लिए सामग्री सहायता के लिए अन्य संविदात्मक सेवाएं (1098.47 करोड़ रुपये)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(f)			Other Contractual Services for Material Assistance for Strengthening of National Immunisation Programme and Polio Eradication (₹ 1098.47 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(छ)	(1) योजना के तहत मशीनरी और उपकरण (i) केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (7 करोड़ रुपये), (ii) केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना (0.23 करोड़ रुपये), (iii) केंद्रीय मनचिकित्सा संस्थान, रांची (5 करोड़ रु.) (iv) लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल और नई दिल्ली (40 करोड़ रुपये), (v) प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (104.58 करोड़ रुपये) (2) योजना के तहत मोटर वाहन (i) सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली (0.15 करोड़ रुपये), और (ii) केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कसौली (0.03 करोड़ रुपये) और (3) योजना के तहत प्रमुख कार्य (i) डॉ. आरएमएल पीजीआईएमईआर, नई दिल्ली (60 करोड़ रुपये), (ii) आरएके कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नई दिल्ली (18.43 करोड़ रु.), (iii) रक्त आधान सेवाएं - केंद्र क्षेत्र परियोजना, मेट्रो ब्लड बैंक (25 करोड़ रु.) और (iv) केंद्रीय मनचिकित्सा संस्थान, रांची (2 करोड़ रु.)	(g)			(1) Machinery & Equipment under the scheme (i) Central Drugs Standard Control Organization (₹ 7 crore), (ii) Central Government Health Scheme (₹ 0.23 crore), (iii) Central Institute of Psychiatry, Ranchi (₹ 5 crore)(iv) Lady Hardinge Medical College & Smt. Sucheta Kripalani Hospital & New Delhi (₹ 40 crore), and (v)Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (₹ 104.58 crore) (2) Motor Vehicle under the scheme (i) Safdarjung Hospital, New Delhi (₹ 0.15 crore), and (ii) Central Research Institute Kasauli (₹ 0.03 crore) and (3) Major Works under the scheme (i) Dr. RML PGIMER, New Delhi (₹ 60 crore), (ii) RAK College of Nursing, New Delhi (₹ 18.43 crore), (iii) Blood Transfusion Services - Center Sector Project, Metro Blood Bank (₹ 25 crore) and (iv) Central Institute of Psychiatry, Ranchi (₹ 2 crore)
(ज)	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। केंद्रीय मनचिकित्सा संस्थान, रांची योजना के अंतर्गत प्रमुख कार्य (1 करोड़ रु.) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(h)			Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. Major Works under the scheme Central Institute of Psychiatry, Ranchi (₹ 1 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 47

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग

DEPARTMENT OF HEALTH RESEARCH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 52 देखिये)

(See page 52 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	3200.65	3200.65
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	3200.65	3200.65
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	3200.67	3200.67
राजस्व	Revenue	...	3200.67	3200.67
पूंजी	Capital
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health	...	0.01 (का)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (खb)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की योजना के तहत अनुदान सहायता वेतन (10 करोड़ रुपये)
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ख) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की योजना के तहत अनुदान सहायता वेतन (1 करोड़ रुपये)
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) Grant-in-Aid Salaries under the scheme of Indian Council for Medical Research (₹ 10 crore)
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Grant-in-Aid Salaries under the scheme of Indian Council for Medical Research (₹ 1 crore)
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 48

भारी उद्योग विभाग

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 53 देखिये)

(See page 53 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	3213.79	3213.79
पूंजी	Capital	...	92.21	92.21
जोड़	Total	...	3306.00	3306.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.03	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	3306.03	3306.03
राजस्व	Revenue	...	3213.81	3213.81
पूंजी	Capital	...	92.22	92.22
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services	...	0.01	(का) 0.01
2852-उद्योग	2852-Industries	...	0.01	(खb) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिए ऋण	6860-Loans for Consumer Industries	...	0.01	(गc) 0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	0.03	0.03
यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supplementary Grants are required for:		
(क)	सचिवालय के अंतर्गत विभिन्न स्थापना व्यय (2.80 करोड़ रुपये)।	(a)	Various Establishment Expenditure (₹ 2.80 crore) under Secretariat.	
	अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.	
(ख)	(i) 'भारत में हाइब्रिड एंड विद्युत चलित वाहनों (एफएएमई-इंडिया) का शीघ्र अनुकूलन और विनिर्माण योजना -' योजना के अंतर्गत विभिन्न स्थापना व्यय (23.28 करोड़ रुपये) और सब्सिडी (1900.00 करोड़ रुपये), (ii) ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स योजना के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के अंतर्गत विभिन्न स्थापना व्यय (7.74 करोड़ रुपये) और (iii) 'ऑटोमोबाइल और संबद्ध उद्योगों के लिए विकास परिषद' योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (1.00 करोड़ रुपये)।	(b)	(i) Various Establishment Expenditure (₹ 23.28 crore) and Subsidies (₹ 1900.00 crore) under the scheme 'Scheme for Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicle in India - (FAME-India)', (ii) Various Establishment Expenditure (₹ 7.74 crore) under the scheme 'Production Linked Incentive (PLI) Scheme for Automobiles and Auto Components' and (iii) Grants-in-aid General (₹ 1.00 crore) under the scheme 'Development Council for Automobile and Allied Industries'.	
	अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.	
(ग)	भारत की आकस्मिकता निधि की प्रतिपूर्ति के लिए 'केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को सहायता' योजना के तहत ऋण और अग्रिम (43.97 करोड़ रुपये)।	(c)	Loans and Advances (₹ 43.97 crore) under the scheme 'Support to Central Public Sector Enterprises' for recoupment of Contingency Fund of India.	
	अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.	

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 49

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 54 देखिये)

(See page 54 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
------------------	------------------	---------------

I. मूल अनुदान:

I. ORIGINAL GRANT:

राजस्व	Revenue	0.03	7384.59	7384.62
पूंजी	Capital	...	236.38	236.38
जोड़	Total	0.03	7620.97	7621.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:				
राजस्व	Revenue	...	0.04	0.04
पूंजी	Capital	...	0.02	0.02
जोड़	Total	...	0.06	0.06
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.03	7621.03	7621.06
राजस्व	Revenue	0.03	7384.63	7384.66
पूंजी	Capital	...	236.40	236.40

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
------------------	------------------	---------------

राजस्व भाग

REVENUE SECTION

मुख्य शीर्ष

MAJOR HEAD

2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052-Secretariat-General Services	...	0.01	(क) 0.01
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2070-Other Administrative Services	...	0.01	(ख) 0.01
2245-प्राकृतिक आपदा राहत	2245-Relief on account of Natural Calamities	...	0.01	(ग) 0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	0.01	(घ) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.04	0.04

पूंजी भाग

CAPITAL SECTION

मुख्य शीर्ष

MAJOR HEAD

4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	4070-Capital Outlay on Other Administrative Services	...	0.01	(ङ) 0.01
4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	4250-Capital Outlay on other Social Services	...	0.01	(च) 0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	0.02	0.02
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	0.06	0.06

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary Grants are required for:

(क)	शत्रु संपत्ति का अभिरक्षक - कार्यालय व्यय के तहत सर्वेक्षण (0.25 करोड़ रुपये)। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(a)	Custodian of Enemy Property – Survey under Office Expenses (₹ 0.25 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	(i) संघ शासित क्षेत्र (यूटी) के लिए वित्त आयोग - वेतन (0.66 करोड़ रुपये), डीटीई (0.14 करोड़ रुपये), व्यावसायिक सेवाएं (0.14 करोड़ रुपये), एकमुश्त प्रावधान (0.30 करोड़ रुपये), (ii) व्यावसायिक सेवा के तहत राजभाषा (₹. 0.02 करोड़) और (iii) पुलिस पदक - अन्य शुल्क - (6.00 करोड़ ₹.)। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(b)	(i) Finance Commission for Union Territories(UTs) – Salaries (₹ 0.66 crore), D.T.E (₹ 0.14 crore), Professional Services (₹ 0.14 crore), Lump sum provision (₹ 0.30 crore), (ii) Official Language under Professional Service (₹ 0.02 crore) and (iii) Police Medal – Other Charges- (₹ 6.00 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)	(i) राष्ट्रीय आपदा मोचन बल - सामान्य प्रशासन - रसद की लागत (6.00 करोड़ रुपये), कपड़े और टेंट (8.65 करोड़ रुपये), (ii) राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष - राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष मशीनरी और उपकरण का रखरखाव - अल्प कार्य (0.70 करोड़ रुपये) और (iii) "राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना (एनसीआरएमपी)" योजना के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना से केंद्र प्रायोजित योजना के लिए स्थानांतरण श्रेणी (30.00 करोड़ रुपये)। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(c)	(i) National Disaster Response Force – General Administration – Cost of Ration (₹ 6.00 crore), Clothing and Tentage (₹ 8.65 crore), (ii) National Disaster Response Reserve - Maintenance of National Disaster Response Reserve Machinery and Equipment – Minor Works (₹ 0.70 crore) and (iii) shifting category for scheme "National Cyclone Risk Mitigation Project (NCRMP)" from Central Sector Scheme to Centrally Sponsored Scheme (₹ 30.00 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(घ)	"राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना (एनसीआरएमपी)" योजना के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना से केंद्र प्रायोजित योजना के लिए स्थानांतरण श्रेणी (270.00 करोड़ रुपये)। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(d)	shifting category for scheme "National Cyclone Risk Mitigation Project (NCRMP)" from Central Sector Scheme to Centrally Sponsored Scheme (₹ 270.00 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(ड)	(i) राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय के लिए मोटर वाहनों के तहत मोटर वाहनों की खरीद (8.67 करोड़ रुपये) और (ii) मशीनरी और उपकरण के तहत लंबित दावों का निपटान (1.16 करोड़ रुपये)। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(e)	(i) procurement of Motor Vehicles for National Fire Service College under Motor Vehicles (₹ 8.67 crore) & (ii) clearing pending claims under Machinery & Equipment (₹ 1.16 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(च)	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान - प्रमुख कार्यों के तहत कार्यालय भवन (6.10 करोड़ रुपये)। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(f)	National Institute of Disaster Management - Office Building under Major Works (₹ 6.10 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 50

मंत्रिमंडल

CABINET

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 56 देखिये)

(See page 56 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1202.22	1202.22
पूंजी	Capital	...	508.82	508.82
जोड़	Total	...	1711.04	1711.04
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	1711.05	1711.05
राजस्व	Revenue	...	1202.23	1202.23
पूंजी	Capital	...	508.82	508.82
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2013-मंत्रिपरिषद	2013-Council of Ministers	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(i) सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय - तालमेल परियोजना (26.73 करोड़ रुपये) (ii) अन्य प्रशुल्क के अंतर्गत वीवीआईपी के लिए विशेष अतिरिक्त सत्र हवाई यात्रा संचालन (263.30 करोड़ रुपये) (iii) - "अन्य प्रशुल्क" के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा- राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के लिए (9.50 करोड़ रुपये)। इसमें भारत के आकस्मिकता निधि से 15.16 करोड़ रुपये की अग्रिम वसूली शामिल है। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

(i) O/o Principal Scientific Adviser - Synergy Project under Grants-in-Aid(GiA)- General (₹ 26.73 crore), (ii) Special Extra Session Flight Operations for VVIP under Other Charges (₹ 263.30 crore) and (iii) National Security Council Secretariat -National Security under Other Charges (₹ 9.50 crore). This includes recoupment of advance of ₹ 15.16 crore drawn from Contingency Fund of India. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 51

पुलिस
POLICE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 57 देखिये)

(See page 57 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	7.78	108498.01	108505.79
पूंजी	Capital	6.57	10521.98	10528.55
जोड़	Total	14.35	119019.99	119034.34
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुदान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	2982.36	2982.36
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	2982.37	2982.37
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	14.35	122002.36	122016.71
राजस्व	Revenue	7.78	111480.37	111488.15
पूंजी	Capital	6.57	10521.99	10528.56
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2055-पुलिस	2055-Police	...	2982.34	(का) 2982.34
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	0.01	(खब) 0.01
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	0.01	(गक) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	2982.36	2982.36
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4055-पुलिस पर पूंजी परिव्यय	4055-Capital Outlay on Police	...	0.01	(घद) 0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	2982.37	2982.37

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) (i) विज्ञापन और प्रचार (₹ 1.12 करोड़), शस्त्र और गोला-बारूद- (₹ 1.45 करोड़); कपड़े और टेंट - (₹ 95.61 करोड़ रुपये); राशन की लागत-(₹ 670.80 करोड़ रुपये); डीटीई-(₹ 762.36 करोड़ रुपये); एफटीई (₹ 5.13 करोड़ रुपये); पूंजीगत संपत्ति के सृजन के लिए अनुदान - (₹ 22.03 करोड़ रुपये); सहायता अनुदान (जीआईए)- सामान्य (₹ 833.16 करोड़ रुपये), जीआईए- वेतन- (₹ 0.41 करोड़ रुपये), चिकित्सा उपचार- (₹ 148.50 करोड़ रुपये); लघु कार्य-(₹ 44.55 करोड़ रुपये), कार्यालय व्यय-(₹ 414.31 करोड़ रुपये); अन्य प्रशासनिक व्यय (ओएई) (₹ 21.31 करोड़ रुपये), अन्य शुल्क (₹ 109.81 करोड़ रुपये), पीओएल- (₹ 129.02 करोड़ रुपये), व्यावसायिक सेवाएं- (₹ 787.62 करोड़ रुपये), प्रकाशन- (₹ 2.52 करोड़ रुपये), किराया, दर और कर - (₹ 3.46 करोड़ रुपये), पुरस्कार - (₹ 1.03 करोड़ रुपये), ; वेतन (₹ 2833.97 करोड़ ₹.), गुप्त सेवा व्यय (₹ 9.50 करोड़ ₹.); आपूर्ति और सामग्री (₹ 0.30 करोड़ ₹.), भत्ते (₹ 1.71 करोड़ ₹.), (ii) विलेज वाइब्रेंट कार्यक्रम (वीवीपी) पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान के तहत (₹ 5.00 करोड़ ₹.), ओएई (₹ 0.01 करोड़ ₹.), व्यावसायिक सेवाएं (₹ 0.02 करोड़ ₹.) (iii) सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी)/स्वच्छता लघु कार्य के तहत (₹ 1.00 करोड़ ₹.), अन्य शुल्क (₹ 2.00 करोड़ ₹.) और कार्यालय व्यय- (₹ 2 करोड़ ₹.)। इसमें भारत की आकस्मिकता निधि से 24.61 करोड़ रुपये के अग्रिम की प्रतिपूर्ति शामिल है।

अनुदान के पूंजी खंड में उपलब्ध 1600 करोड़ रुपये की बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, और अनुदान के इसी खंड में बचत का उपयोग करने के बाद, उपरोक्त व्यय में 1382.34 करोड़ रुपये का शुद्ध नकद व्यय होगा।

(ख) (i) पूंजीगत संपत्ति के सृजन के तहत विलेज वाइब्रेंट प्रोग्राम (वीवीपी) के लिए अनुदान के तहत (₹ 29.97 करोड़ ₹.) और (ii) जीआईए-सामान्य के तहत (₹ 64.75 करोड़ ₹.) सुरक्षा संबंधी व्यय (एनई)। इसमें भारत की आकस्मिकता निधि से 29.97 करोड़ रुपये के अग्रिम की प्रतिपूर्ति शामिल है।

The supplementary Grants are required for:

(a) (i) Advertising & Publicity(₹ 1.12 crore), Arms & Ammunition-(₹ 1.45 crore); Clothing & Tentage-(₹ 95.61 crore); Cost of Ration-(₹ 670.80 crore); DTE-(₹ 762.36 crore); FTE(₹ 5.13 crore); Grants for creation of capital assets-(₹ 22.03 crore); Grants in Aid (GiA)-General(₹ 833.16 crore), GiA-Salaries-(₹ 0.41 crore), Medical Treatment(₹ 148.50 crore); Minor Works(₹ 44.55 crore), Office Expenses-(₹ 414.31 crore); Other Administrative Expenses (OAE)(₹ 21.31 crore), Other Charges-(₹ 109.81 crore), P.O.L-(₹ 129.02 crore), Professional Services-(₹ 787.62 crore), Publications-(₹ 2.52 crore), Rent, Rate & Taxes-(₹ 3.46 crore), Rewards-(₹ 1.03 crore), Salaries (₹ 2833.97 crore), Secret Service Expenditure(₹ 9.50 crore); Supplies & Material(₹ 0.30 crore), Wages(₹ 1.71 crore), (ii) Village Vibrant Programme (VVP) under Grants for Creation of Capital Assets(₹ 5.00 crore), OAE (₹ 0.01 crore), Professional Services (₹ 0.02 crore) (iii) Sashstra Seema Bal(SSB)/Swatchta under Minor works(₹ 1.00 crore), Other Charges (₹ 2.00 crore) and Office Expenses-(₹ 2 crore). This includes recoupment of advance of ₹ 24.61 crore drawn from Contingency Fund of India.

Taking into account the surrender of savings of amount ₹ 1600 crore available in the Capital Section of the Grant, and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will entail a net cash outgo of ₹ 1382.34 crores.

(b) (i) Village Vibrant Programme(VVP) under Grants for creation of Capital Assets (₹ 29.97 crore) and (ii) Security Related Expenditure(NE) under GiA-General (₹ 64.75 crore). This includes recoupment of advance of ₹ 29.97 crore drawn from Contingency Fund of India.

	अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।				Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)	(i) पूंजीगत संपत्ति के सृजन के लिए अनुदान (24.68 करोड़ रुपये) के तहत पुलिस बलों का आधुनिकीकरण और (ii) अनुदान सहायता सामान्य के तहत जम्मू-कश्मीर-राहत और पुनर्वास के लिए (268.05 करोड़ रुपये)। इसमें भारत की आकस्मिकता निधि से 24.68 करोड़ रुपये के अग्रिम की वसूली शामिल है।	(c)			(i) Modernisation of Police Forces under Grants for Creation of Capital Assets(₹ 24.68 crore) and (ii) Jammu & Kashmir-Relief & Rehabilitation under GIA-General(₹ 268.05 crore). This includes recoupment of advance of ₹ 24.68 crore drawn from Contingency Fund of India.
	अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।				Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(घ)	(i) मशीनरी और उपकरणों के तहत दिल्ली पुलिस (4.99 करोड़ रुपये), (ii) प्रमुख कार्यों के तहत असम राइफल्स, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी), दिल्ली पुलिस; सीमा प्रबंधन, विलेज वाइब्रेंट कार्यक्रम (वीवीपी) और राष्ट्रीय असूचना ग्रिड (एनएटीजीआरआईडी) के लिए (1387.91 करोड़ रुपये) (iii) प्रमुख कार्यों के तहत विलेज वाइब्रेंट कार्यक्रम (वीवीपी) के लिए (15.00 करोड़ रुपये) (iv) असम राइफल्स, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), उत्तर पूर्वी पुलिस अकादमी (एनईपीए), दिल्ली पुलिस, आसू धुआँ इकाई (टीएसयू), राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी), मोटर वाहनों के तहत फॉरेंसिक साइंस निदेशालय (डीएफएस-एमवी) (127.68 करोड़ रुपये)। इसमें भारत की आकस्मिकता निधि से 338.00 करोड़ रुपये के अग्रिम की प्रतिपूर्ति शामिल है।	(d)			(i) Delhi Police under Machinery & Equipments(₹ 4.99 crore), (ii) Assam Rifles, Border Security Force(BSF), Indo-Tibetan Border Police(ITBP), Special Protection Group(SPG), Delhi Police; Border Management, Village Vibrant Programme(VVP) and National Intelligence Grid(NATGRID) under Major Works (₹ 1387.91 crore) (iii) Village Vibrant Programme(VVP) under Major Works (₹ 15.00 crore) (iv) Assam Rifles, Border Security Force(BSF), Central Reserve Police Force(CRPF), Indo-Tibetan Border Police(ITBP), North Eastern Police Academy(NEPA), Delhi Police, Tear Smoke Unit(TSU), National Crime Record Bureau(NCRB), Directorate of Forensic Science(DFS-MV) under Motor Vehicles(₹ 127.68 crore). This includes recoupment of advance of ₹ 338.00 crore drawn from Contingency Fund of India.
	अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।				Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

**मांग संख्या DEMAND NO 52
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS**

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 58 देखिये)

(See page 58 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.01	5176.42	5176.43
पूंजी	Capital	...	587.22	587.22
जोड़	Total	0.01	5763.64	5763.65
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.03	0.03
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.03	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.01	5763.67	5763.68
राजस्व	Revenue	0.01	5176.45	5176.46
पूंजी	Capital	...	587.22	587.22
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2215-जलापूर्ति और स्वच्छता	2215-Water Supply and Sanitation	...	0.01	(का) 0.01
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2515-Other Rural Development Programmes	...	0.01	(खb) 0.01
3054-सड़क और पुल	3054-Roads and Bridges	...	0.01	(गc) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.03	0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) पंचायत समितियों को अनुदान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (0.15 करोड़ रुपये)।
अनुदान के एक ही खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ख) पंचायत समितियों को अनुदान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (13.18 करोड़ रुपये)।
अनुदान के एक ही खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ग) पंचायत समितियों को अनुदान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (6.45 करोड़ रुपये)।
अनुदान के एक ही खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) meeting additional expenditure towards grants to Panchayat Samities (₹ 0.15 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) meeting additional expenditure towards grants to Panchayat Samities (₹ 13.18 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) meeting additional expenditure towards grants to Panchayat Samities (₹ 6.45 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 53

चंडीगढ़

CHANDIGARH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 62 देखिये)

(See page 62 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	36.41	4807.05	4843.46
पूंजी	Capital	1.00	538.33	539.33
जोड़	Total	37.41	5345.38	5382.79
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	1.49	461.72	463.21
पूंजी	Capital	...	0.07	0.07
जोड़	Total	1.49	461.79	463.28
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	38.90	5807.17	5846.07
राजस्व	Revenue	37.90	5268.77	5306.67
पूंजी	Capital	1.00	538.40	539.40

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2014-न्याय प्रशासन	2014-Administration of Justice	1.49	(का) 132.00	(खब) 133.49
2055-पुलिस	2055-Police	...	100.00	(गक) 100.00
2059-लोक निर्माण कार्य	2059-Public Works	...	19.63	(घद) 19.63
2202-सामान्य शिक्षा	2202-General Education	...	92.21	(डेे) 92.21
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health	...	37.86	(चफ) 37.86
2215-जलापूर्ति और स्वच्छता	2215-Water Supply and Sanitation	...	5.88	(छग) 5.88
2217-शहरी विकास	2217-Urban Development	...	0.01	(जह) 0.01
2408-खाद्य भंडारण और भाण्डागारण	2408-Food Storage and Warehousing	...	0.01	(झा) 0.01
2801-विद्युत	2801-Power	...	40.00	(डा) 40.00
3055-सड़क परिवहन	3055-Road Transport	...	34.12	(ठक) 34.12
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	1.49	461.72	463.21
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4055-पुलिस पर पूंजी परिव्यय	4055-Capital Outlay on Police	...	0.01	(डा) 0.01
4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	4202-Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture	...	0.01	(ढम) 0.01
4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय	4216-Capital Outlay on Housing	...	0.01	(णन) 0.01
4217-शहरी विकास पर पूंजी परिव्यय	4217-Capital Outlay on Urban Development	...	0.01	(तो) 0.01
4235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजी परिव्यय	4235-Capital Outlay on Social Security and Welfare	...	0.01	(थप) 0.01
5055-सड़क परिवहन पर पूंजी परिव्यय	5055-Capital Outlay on Road Transport	...	0.01	(दक) 0.01
5425-अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय	5425-Capital Outlay on Other Scientific and Environmental Research	...	0.01	(धर) 0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	0.07	0.07
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	1.49	461.79	463.28

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और बकाया के भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय (1.49 करोड़ रुपये) को पूरा करना।
- (ख) उपरोक्त व्यय के लिए निवल नकद व्यय होगा; माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय के कर्मचारियों के वेतन और बकाया के भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय (132.00 करोड़ रुपये) को पूरा करना।
- (ग) उपरोक्त व्यय के लिए नकद व्यय होगा; पुलिस विभाग के कर्मचारियों के वेतन एवं बकाया राशि के भुगतान हेतु अतिरिक्त व्यय (100.00 करोड़ रुपये) को पूरा करना।
- (घ) उपरोक्त व्यय के लिए नकद व्यय होगा; इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारियों के वेतन और बकाया के भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय (19.63 करोड़ रुपये) को पूरा करना।

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

- (a) meeting additional expenditure for payment of salaries and arrears of judges of Hon'ble Punjab and Haryana High Court (₹ 1.49 crore).
- (b) The above expenditure will entail a net cash outgo; meeting additional expenditure for payment of salaries and arrears of employees of Hon'ble Punjab and Haryana High Court and District Court (₹ 132.00 crore).
- (c) The above expenditure will entail a cash outgo; meeting additional expenditure for payment of salaries and arrears of employees of police department (₹ 100.00 crore).
- (d) The above expenditure will entail a cash outgo; meeting additional expenditure for payment of salaries and arrears of employees of engineering department (₹ 19.63 crore).

(ड)	उपरोक्त व्यय के लिए नकद व्यय होगा; वेतन और बकाया के भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय (वेतन 77.00 करोड़ रुपये और जीआईए-वेतन 15.21 करोड़ रुपये) को पूरा करना। अनुदान के पूंजी खंड में उपलब्ध 44.00 करोड़ रु. की बचत को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय के लिए 48.21 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा।	(e)	The above expenditure will entail a cash outgo; meeting additional expenditure for payment of salaries and arrears (Salaries ₹ 77.00 crore and GiA-Salary ₹ 15.21 crore). Taking into account savings of ₹ 44.00 crore available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 48.21 crore.
(च)	स्वास्थ्य विभाग (22.86 करोड़ रु.) और सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (15.00 करोड़ रु.) के कर्मचारियों के वेतन और बकाया के भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। अनुदान के पूंजीगत खंड में उपलब्ध 22.86 करोड़ रुपये की बचत को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय पर 15.00 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा	(f)	meeting additional expenditure for payment of salaries and arrears of employees of Health Department (₹ 22.86 crore) and Government Medical College and Hospital (₹ 15.00 crore). Taking into account savings of ₹ 22.86 crore available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 15.00 crore
(छ)	इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारियों के वेतन और बकाया के भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय (5.88 करोड़ रुपये) को पूरा करना। उपरोक्त व्यय के लिए नकद व्यय होगा;	(g)	meeting additional expenditure for payment of salaries and arrears of employees of engineering department (₹ 5.88 crore). The above expenditure will entail a cash outgo;
(ज)	नगर निगम, चंडीगढ़ को सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए अतिरिक्त व्यय (13.18 करोड़ रुपये) को पूरा करना। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है	(h)	meeting additional expenditure for providing grants-in-aid to the Municipal Corporation, Chandigarh (₹ 13.18 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(झ)	चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ़ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, चंडीगढ़ के कर्मचारियों के बकाया भुगतान के लिए अतिरिक्त खर्च को पूरा करने के लिए (0.95 करोड़ रुपये)। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है	(i)	meeting additional expenditure for payment of arrears to staff of Chandigarh Institute of Hotel Management & Catering Technology, Chandigarh (₹ 0.95 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ट)	विद्युत विभाग के कर्मचारियों के वेतन एवं बकाया के भुगतान के लिए (40.00 करोड़ रुपये) तथा नगर निगम, चंडीगढ़ को संपत्ति कर के भुगतान के लिए (5.62 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। अनुदान के उसी खंड में उपलब्ध 5.62 करोड़ रुपये की बचत को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में 40.00 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा।	(j)	meeting additional expenditure for payment of salaries and arrears to employees of Electricity Department (₹ 40.00 crore) and for payment of property Tax to the Municipal Corporation, Chandigarh (₹ 5.62 crore). Taking into account savings of ₹ 5.62 crore available in the same Section of the Grant, the above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 40.00 crore.
(ठ)	परिवहन विभाग के कर्मचारियों के वेतन एवं बकाया राशि के भुगतान (34.12 करोड़ रुपये) और पी.ओ.एल. के भुगतान के लिए (18.00 करोड़ रु.) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। अनुदान के उसी खंड में उपलब्ध 18.00 करोड़ रुपये की बचत को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में 34.12 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा।	(k)	meeting additional expenditure for payment of salaries and arrears to employees of Transport Department (₹ 34.12 crore) and for payment of P.O.L. (₹ 18.00 crore). Taking into account savings of ₹ 18.00 crore available in the same Section of the Grant, the above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 34.12 crore.
(ड)	चंडीगढ़ के पुलिस थानों में स्थापित सीसीटीवी कैमरों के भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय (21.42 करोड़ रुपये) को पूरा करना। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है	(l)	meeting additional expenditure for payment of installed CCTV Cameras in Police Stations of Chandigarh (₹ 21.42 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ढ)	कार्यशाला के निर्माण के लिए अतिरिक्त व्यय (6.84 करोड़ रुपये) को पूरा करना। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है	(m)	meeting additional expenditure for construction of workshop (₹ 6.84 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ण)	ईडब्ल्यूएस घरों, धनास के पास पार्कों के विकास के लिए अतिरिक्त व्यय (0.06 करोड़ रुपये) को पूरा करना। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है	(n)	meeting additional expenditure for development of parks near EWS Houses, Dhanas (₹ 0.06 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(त)	नए सचिवालय भवन और पांच सामुदायिक केंद्रों को पूरा करने के लिए (20.83 करोड़ रु.) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है	(o)	meeting additional expenditure for completion of new Secretariat Building and five Community Centers (₹ 20.83 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(थ)	आशादीप, ग्रुप होम में अतिरिक्त ब्लॉक के निर्माण हेतु अतिरिक्त व्यय (6.99 करोड़ रुपये) को पूरा करना। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है	(p)	meeting additional expenditure for construction of additional block in Ashadeep, Group Home (₹ 6.99 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(द)	रायपुर कला में कार्यशाला के निर्माण कार्य हेतु अतिरिक्त व्यय (10.45 करोड़ रुपये) को पूरा करना। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है	(q)	meeting additional expenditure for construction work of Workshop in Raipur Kalan (₹ 10.45 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ध)	वर्षा जल संचयन प्रणाली के निर्माण के लिए अतिरिक्त व्यय (0.20 करोड़ रुपये) को पूरा करना। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है	(r)	meeting additional expenditure for construction of rain water harvesting system (₹ 0.20 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 54

दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव

DADRA AND NAGAR HAVELI AND DAMAN AND DIU

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 65 देखिये)

(See page 65 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2906.00	2906.00
पूंजी	Capital	...	875.10	875.10
जोड़	Total	...	3781.10	3781.10
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	46.96	46.96
पूंजी	Capital	...	54.06	54.06
जोड़	Total	...	101.02	101.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	3882.12	3882.12
राजस्व	Revenue	...	2952.96	2952.96
पूंजी	Capital	...	929.16	929.16

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>		<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2202-सामान्य शिक्षा	2202-General Education	...	0.01	(का)	0.01
2203-तकनीकी शिक्षा	2203-Technical Education	...	0.01	(खb)	0.01
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health	...	0.01	(गc)	0.01
2217-शहरी विकास	2217-Urban Development	...	46.90	(घd)	46.90
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2515-Other Rural Development Programmes	...	0.01	(डेe)	0.01
2852-उद्योग	2852-Industries	...	0.01	(चf)	0.01
3053-नागर विमानन	3053-Civil Aviation	...	0.01	(छg)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	46.96		46.96
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4055-पुलिस पर पूंजी परिव्यय	4055-Capital Outlay on Police	...	5.00	(जh)	5.00
4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	...	18.00	(झi)	18.00
4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	4202-Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture	...	0.01	(टj)	0.01
4210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय	4210-Capital Outlay on Medical and Public Health	...	7.00	(ठk)	7.00
4405-मत्स्य पालन पर पूंजी परिव्यय	4405-Capital Outlay on Fisheries	...	0.01	(डl)	0.01
4406-वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजी परिव्यय	4406-Capital Outlay on Forestry and Wild Life	...	0.01	(ढm)	0.01
4705-कमान क्षेत्र विकास पर पूंजी परिव्यय	4705-Capital Outlay on Command Area Development	...	0.01	(णn)	0.01
4810-नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा पर पूंजी परिव्यय	4810-Capital Outlay on New and Renewable Energy	...	0.01	(तo)	0.01
5054-सड़क और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	5054-Capital Outlay on Roads and Bridges	...	0.01	(थp)	0.01
5452-पर्यटन पर पूंजी परिव्यय	5452-Capital Outlay on Tourism	...	24.00	(दq)	24.00
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	54.06		54.06
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	101.02		101.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (8.30 करोड़ रुपये), गुजरात राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (4.60 करोड़ रुपये) और शिक्षा संस्थानों (4.00 करोड़ रुपये) को सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।

अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, टोकन पूरक की मांग की जाती है।

(ख) स्मार्ट कक्षाओं की स्थापना हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति (9.45 करोड़ रुपये)।

अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, टोकन पूरक की मांग की जाती है।

(ग) चिकित्सालयों के लिए विभिन्न मेडिकल उपकरणों और दवाइयों की खरीद हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु (12.00 करोड़ रुपये)।

The supplementary Grants are required for:

(a) meeting additional expenditure for grants-in-aid to National Institute of Fashion Technology (₹ 8.30 crore), Gujarat National Law University (₹ 4.60 crore) and to Education Institutions (₹ 4.00 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting additional expenditure for establishment of smart classes (₹ 9.45 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting additional expenditure for purchase of various medical instruments and medicines for hospitals (₹ 12.00 crore).

	अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, टोकन पूरक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(घ)	विभिन्न संस्थानों अर्थात् दीव स्मार्ट सिटी लिमिटेड, सिलवासा महानगरपालिका आदि को सहायता अनुदान हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु (200.00 करोड़ रुपये)। अनुदान के समान खंड में उपलब्ध 153.10 करोड़ रुपये के बचतों को ध्यान में रखा गया, अतः उपर्युक्त व्यय में 46.90 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा।	(d)	meeting additional expenditure for grants-in-aid to various institutions i.e. Diu Smart City Limited, Silvassa Municipal Council etc. (₹ 200.00 crore). Taking into account savings of ₹ 153.10 crore available in the same Section of the Grant. Hence, the above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 46.90 crore.
(ङ)	संघ राज्य क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास संबंधी कार्यों के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु (20.00 करोड़ रुपये)। अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, टोकन पूरक की मांग की जाती है।	(e)	meeting additional expenditure for developmental works in the rural areas of the UT (₹ 20.00 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(च)	निवेश संवर्धन स्कीम और औद्योगिक क्षेत्रों में ढांचागत विकास हेतु स्कीम के क्रियान्वयन हेतु सब्सिडी के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (22.00 करोड़ रुपये)। अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, टोकन पूरक की मांग की जाती है।	(f)	meeting additional expenditure for subsidies for implementation of Investment Promotion Scheme and scheme for infrastructure development in industrial areas (₹ 22.00 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(छ)	पवनहंस हेलीकोप्टर सेवा, डोनियर एयरक्राफ्ट सेवा आदि के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (16.00 करोड़ रुपये)। अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, टोकन पूरक की मांग की जाती है।	(g)	meeting additional expenditure for Pawanhans Helicopter Services, Donier Aircraft Services etc. (₹ 16.00 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ज)	पुलिस वाहन, पुलिस हेतु नए एचएफ/वीएचएफ संचार उपकरण की खरीद हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (5.00 करोड़ रुपये)। उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय होगा।	(h)	meeting additional expenditure for purchase of Police Vehicle, new HF/VHF communication equipment for Police (₹ 5.00 crore). The above expenditure will entail a cash outgo;
(झ)	विभिन्न सरकारी भवनों के नवीनीकरण, पुनरुद्धार और निर्माण के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (30.00 करोड़ रुपये)। अनुदान के समान खंड में उपलब्ध 12.00 करोड़ रुपये की शेष राशि के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त व्यय में 18.00 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा।	(i)	meeting additional expenditure for renovation, restoration and construction of various government buildings (₹ 30.00 crore). Taking into account the surrender of savings of ₹ 12.00 crore available in the same Section of the Grant, the above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 18.00 crore.
(ट)	शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न विकास संबंधी कार्यों के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (6.00 करोड़ रुपये)। अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, टोकन पूरक की मांग की जाती है।	(j)	meeting additional expenditure for various developmental works related to education department (₹ 6.00 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ठ)	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य विभाग से संबंधित विभिन्न विकास संबंधी कार्यों के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (10.00 करोड़ रुपये)। अनुदान के समान खंड में उपलब्ध 3.00 करोड़ रुपये की बचतों को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त व्यय में 7.00 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा।	(k)	meeting additional expenditure for various developmental works related to medical & public health department (₹ 10.00 crore). Taking into account savings of ₹ 3.00 crore available in the same Section of the Grant, the above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 7.00 crore.
(ड)	समुद्र नारायण जेट्टी का पैदल पथ सेतु तक विस्तार और बोट पार्किंग के निर्माण हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (2.05 करोड़ रुपये)। अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, टोकन पूरक की मांग की जाती है।	(l)	meeting additional expenditure for extension of Samudra Narayan Jetty upto Pedestrian Bridge and Development of Boat Parking (₹ 2.05 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ढ)	वाणिजी और वन्यजीव हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (6.00 करोड़ रुपये)। अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, टोकन पूरक की मांग की जाती है।	(m)	meeting additional expenditure for forestry and wildlife (₹ 6.00 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ण)	पाती डिस्ट्रिब्यूटरी कैनाल के नवीनीकरण और पुनरुद्धार हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (1.50 करोड़ रुपये)। अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, टोकन पूरक की मांग की जाती है।	(n)	meeting additional expenditure for renovation and restoration of Pati Distributory Canal (₹ 1.50 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(त)	सौर विद्युत संयंत्र की क्षमता विस्तार हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (5.00 करोड़ रुपये)। अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, टोकन पूरक की मांग की जाती है।	(o)	meeting additional expenditure for enhancement of capacity of solar power plant (₹ 5.00 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(थ)	सड़कों और सेतुओं से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु (50.00 करोड़ रुपये)। अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, टोकन पूरक की मांग की जाती है।	(p)	meeting additional expenditure for various projects related to roads & bridges (₹ 50.00 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(द)	पर्यटन विभाग के अधीन विभिन्न विकास संबंधी कार्यों के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (30.00 करोड़ रुपये)। अनुदान के समान खंड में उपलब्ध 6.00 करोड़ रुपये की बचतों को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त व्यय में 24.00 करोड़ रुपये का व्यय होगा।	(q)	meeting additional expenditure for various development works under Tourism Department (₹ 30.00 crore). Taking into account savings of ₹ 6.00 crore available in the same Section of the Grant. Hence, the above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 24.00 crore.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 55

लद्दाख LADAKH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 68 देखिये)

(See page 68 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:			
राजस्व	...	2553.29	2553.29
पूंजी	...	3404.71	3404.71
जोड़	...	5958.00	5958.00
I. ORIGINAL GRANT:			
Revenue	...	2553.29	2553.29
Capital	...	3404.71	3404.71
Total	...	5958.00	5958.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:			
राजस्व	...	0.04	0.04
पूंजी	...	0.14	0.14
जोड़	...	0.18	0.18
Total (Original plus Supplementary)	...	5958.18	5958.18
Revenue	...	2553.33	2553.33
Capital	...	3404.85	3404.85

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग			
मुख्य शीर्ष			
2202-सामान्य शिक्षा	...	0.01 (का)	0.01
2217-शहरी विकास	...	0.01 (खb)	0.01
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	...	0.01 (गc)	0.01
2245-प्राकृतिक आपदा राहत	...	0.01 (घd)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	...	0.04	0.04
पूंजी भाग			
मुख्य शीर्ष			
4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	...	0.01 (डe)	0.01
4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.01 (चf)	0.01
4210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय	...	0.01 (छg)	0.01
4401-फसल कार्य पर पूंजी परिव्यय	...	0.01 (जh)	0.01
4403-पशुपालन पर पूंजी परिव्यय	...	0.01 (झi)	0.01
4405-मत्स्य पालन पर पूंजी परिव्यय	...	0.01 (टj)	0.01
4408-खाद्य भंडारण और भाण्डागारण पर पूंजी परिव्यय	...	0.01 (ठk)	0.01
4425-सहकारिता पर पूंजी परिव्यय	...	0.01 (डl)	0.01
4435-अन्य कृषि कार्यक्रमों पर पूंजी परिव्यय	...	0.01 (ढm)	0.01
4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजी परिव्यय	...	0.01 (णn)	0.01
4702-लघु सिंचाई पर पूंजी परिव्यय	...	0.01 (तo)	0.01
4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय	...	0.01 (थp)	0.01
4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय	...	0.01 (दq)	0.01
5054-सड़क और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.01 (धr)	0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	...	0.14	0.14
जोड़ (पूरक)	...	0.18	0.18
REVENUE SECTION			
MAJOR HEAD			
2202-General Education	...	0.01 (का)	0.01
2217-Urban Development	...	0.01 (खb)	0.01
2235-Social Security and Welfare	...	0.01 (गc)	0.01
2245-Relief on account of Natural Calamities	...	0.01 (घd)	0.01
Total (Revenue Section)	...	0.04	0.04
CAPITAL SECTION			
MAJOR HEAD			
4070-Capital Outlay on Other Administrative Services	...	0.01 (डe)	0.01
4202-Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture	...	0.01 (चf)	0.01
4210-Capital Outlay on Medical and Public Health	...	0.01 (छg)	0.01
4401-Capital Outlay on Crop Husbandry	...	0.01 (जh)	0.01
4403-Capital Outlay on Animal Husbandry	...	0.01 (झi)	0.01
4405-Capital Outlay on Fisheries	...	0.01 (टj)	0.01
4408-Capital Outlay on Food Storage and Warehousing	...	0.01 (ठk)	0.01
4425-Capital Outlay on Co-operation	...	0.01 (डl)	0.01
4435-Capital Outlay on Other Agricultural Programmes	...	0.01 (ढm)	0.01
4575-Capital Outlay on Other Special Areas Programmes	...	0.01 (णn)	0.01
4702-Capital Outlay on Minor Irrigation	...	0.01 (तo)	0.01
4711-Capital Outlay on Flood Control Projects	...	0.01 (थp)	0.01
4801-Capital Outlay on Power Projects	...	0.01 (दq)	0.01
5054-Capital Outlay on Roads and Bridges	...	0.01 (धr)	0.01
Total (Capital Section)	...	0.14	0.14
Total (Supplementary)	...	0.18	0.18

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) लद्दाख विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (6.00 करोड़ रुपये)।
अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए भारत की आकस्मिक निधि से अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ख) शहरी स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (4.73 करोड़ रुपये)।
अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, टोकन पूरक की मांग की जाती है।
- (ग) भूतपूर्व सैनिक और विधवाओं के लिए कल्याणकारी योजना हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (0.05 करोड़ रुपये)।

The supplementary Grants are required for:

- (a) meeting additional expenditure for grant-in-aid to University of Ladakh (₹ 6.00 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant for recoupment of advance from the Contingency Fund of India, a token supplementary is sought.
- (b) meeting additional expenditure for grant-in-aid to Urban Local Bodies (₹ 4.73 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) meeting additional expenditure for welfare scheme for ex-serviceman and widows (₹ 0.05 crore).

	अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, टोकन पूरक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(घ)	प्राकृतिक आपदाओं के चलते अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (10.00 करोड़ रुपये)।	(d)	meeting additional expenditure on account of Natural Calamities (₹ 10.00 crore).
	अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, टोकन पूरक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ङ)	कार्यालय भवन के निर्माण और स्टाफ रूम को अद्यतन करने के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (2.33 करोड़ रुपये)।	(e)	meeting additional expenditure for construction of office building and upgradation of staff rooms (₹ 2.33 crore).
	अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, टोकन पूरक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(च)	शिक्षा, खेल और संस्कृति के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (3.75 करोड़ रुपये)।	(f)	meeting additional expenditure towards Educational & Cultural activities (₹ 3.75 crore).
	अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, टोकन पूरक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(छ)	मेडिकल सब सेंटर बिल्डिंग के निर्माण के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (1.60 करोड़ रुपये)।	(g)	meeting additional expenditure for construction of medical sub centre building (₹ 1.60 crore).
	अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, टोकन पूरक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ज)	मॉडल बगीचा सह नर्सरी खुरबथंग में निर्माण कार्यों के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (1.25 करोड़ रुपये)।	(h)	meeting additional expenditure for construction at model orchard cum Nursery Khurbthang (₹ 1.25 crore).
	अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, टोकन पूरक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(झ)	पशुपालन से संबंधित निर्माण कार्यों के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (2.13 करोड़ रुपये)।	(i)	meeting additional expenditure for construction work related to animal husbandry (₹ 2.13 crore).
	अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, टोकन पूरक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ट)	कृषि अवसंरचना के उन्नयन हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (0.30 करोड़ रुपये)।	(j)	meeting additional expenditure for upgradation of farm infrastructure (₹ 0.30 crore).
	अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, टोकन पूरक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ठ)	कार्यालय परिसर के निर्माण हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (1.40 करोड़ रुपये)।	(k)	meeting additional expenditure for construction of office complex (₹ 1.40 crore).
	अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, टोकन पूरक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ड)	कार्यालय परिसर और बहु-उद्देशीय गैराज शेड के निर्माण के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (0.54 करोड़ रुपये)।	(l)	meeting additional expenditure for Construction of office complex and multipurpose garage shed (₹ 0.54 crore)
	अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, टोकन पूरक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ढ)	फल और सब्जी बाजार के निर्माण हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (0.89 करोड़ रुपये)।	(m)	meeting additional expenditure for construction of fruit and vegetable market (₹ 0.89 crore).
	अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, टोकन पूरक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ण)	2020-21 (एलएचडीसी) के चल रहे कार्यों और भवन निर्माण के नए कार्यों एवं फार्मों की अवसंरचना के उन्नयन संबंधी कार्यों को पूरा करने हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (22.59 करोड़ रुपये)।	(n)	meeting additional expenditure for completion of ongoing works of 2020-21 (LAHDC) and new works of construction of building and upgradation of farms infrastructure (₹ 22.59 crore).
	अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, टोकन पूरक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(त)	जारा सिंचाई नहर आदि के निर्माण हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (0.90 करोड़ रुपये)।	(o)	meeting additional expenditure for construction of Zara irrigation canal etc. (₹ 0.90 crore).
	अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, टोकन पूरक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(थ)	बाढ़ से सुरक्षा संबंधी कार्यों और नाला आदि को श्रंखलाबद्ध करने हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (4.90 करोड़ रुपये)।	(p)	meeting additional expenditure for Channelization of flood protection works and channelization of nallah etc. (₹ 4.90 crore).
	अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, टोकन पूरक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(द)	विद्युत क्षेत्रों में निर्माण कार्यों हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (7.00 करोड़ रुपये)।	(q)	meeting additional expenditure for construction works in Power Sector (₹ 7.00 crore).
	अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, टोकन पूरक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ध)	सड़कों और सेतुओं से संबंधित निर्माण कार्यों के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (50.50 करोड़ रुपये)।	(r)	meeting additional expenditure for construction works under Roads and Bridges (₹ 50.50 crore).
	अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, टोकन पूरक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की प्रक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 56

लक्षद्वीप

LAKSHADWEEP

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 71 देखिये)

(See page 71 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1199.60	1199.60
पूंजी	Capital	...	221.90	221.90
जोड़	Total	...	1421.50	1421.50
इस समय आवश्यक रकम का प्रक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और प्रक)	Total (Original plus Supplementary)	...	1421.51	1421.51
राजस्व	Revenue	...	1199.60	1199.60
पूंजी	Capital	...	221.91	221.91
II. इस प्रक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4055-पुलिस पर पूंजी परिव्यय	4055-Capital Outlay on Police	...	0.01	0.01

यह प्रक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

भारतीय रिजर्व बटालियन के स्पेक्ट्रम लाइसेंस शुल्क के नवीनीकरण के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (0.03 करोड़ रुपये)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक प्रक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure for renewal of spectrum license charges of Indian Reserve Battalion (₹ 0.03 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 58

जम्मू और कश्मीर को अंतरण

TRANSFERS TO JAMMU AND KASHMIR

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 75 देखिये)

(See page 75 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	35581.44	35581.44
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	35581.44	35581.44
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	8956.69	8956.69
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	8956.69	8956.69
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	44538.13	44538.13
राजस्व	Revenue	...	44538.13	44538.13
पूंजी	Capital
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	8956.69	8956.69

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

संघ राज्य क्षेत्र के राजस्व/संसाधन अंतराल को पूरा करने के लिए (8106.69 करोड़ रुपये) और झेलम तवी बाढ़ रिकवरी परियोजना (जेटीएफआरपी) के लिए 850 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
उक्त व्यय में 8956.69 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant is required for:

meeting revenue/resource gap of the UT (₹ 8106.69 crore) and ₹ 850 crore is provisioned against Jhelum Tawi Flood Recovery Project (JTFRP).
The above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 8956.69 crore.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 59

पुडुचेरी को अंतरण

TRANSFERS TO PUDUCHERRY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 76 देखिये)

(See page 76 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1729.78	1729.78
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	1729.79	1729.79
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	1400.00	1400.00
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	1400.00	1400.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	3129.79	3129.79
राजस्व	Revenue	...	3129.78	3129.78
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	1400.00	1400.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

संघ राज्य क्षेत्र के राजस्व/संसाधन अंतर को पूरा करने के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता।
उपरोक्त व्यय के लिए निवल नकद परिव्यय होगा;

The supplementary Grant is required for:

additional Central Assistance to meet the revenue/ resource gap of the UT.
The above expenditure will entail a net cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 60 आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 77 देखिये)

(See page 77 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	108.70	49268.75	49377.45
पूंजी	Capital	38.02	27303.00	27341.02
जोड़	Total	146.72	76571.75	76718.47
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	8.66	2283.95	2292.61
पूंजी	Capital	1.91	0.03	1.94
जोड़	Total	10.57	2283.98	2294.55
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	157.29	78855.73	79013.02
राजस्व	Revenue	117.36	51552.70	51670.06
पूंजी	Capital	39.93	27303.03	27342.96
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2059-लोक निर्माण कार्य	2059-Public Works	...	0.01 (का)	0.01
2216-आवास	2216-Housing	8.66 (खब)	0.01 (गc)	8.67
2217-शहरी विकास	2217-Urban Development	...	350.90 (घd)	350.90
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	3475-Other General Economic Services	...	283.93 (डेe)	283.93
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	1649.10 (चा)	1649.10
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	8.66	2283.95	2292.61
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	...	0.01 (छg)	0.01
4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय	4216-Capital Outlay on Housing	1.91 (जह)	0.01 (झा)	1.92
4217-शहरी विकास पर पूंजी परिव्यय	4217-Capital Outlay on Urban Development	...	0.01 (ट)	0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	1.91	0.03	1.94
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	10.57	2283.98	2294.55

यह पूरक अनुदाने/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

(क)	अन्य प्रशासनिक व्यय के तहत रामा रोड, कीर्ति नगर, नई दिल्ली के प्रभावित भू-स्वामियों को मुआवजे की राशि के रूप में भूमि एवं विकास कार्यालय द्वारा भुगतान (3.39 करोड़ रुपये)। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(a)	payment by Land and Development Office as compensation amount to affected land owners of Rama Road, Kirti Nagar, New Delhi under Other Administrative Expenses (₹ 3.39 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	लघु-निर्माण (सी) के तहत राष्ट्रपति संपदा के लिए व्यय (8.66 करोड़ रुपये)। अनुदान के राजस्व (स्वीकृत) खंड में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, उपर्युक्त व्यय के लिए कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।	(b)	expenditure towards Presidents' Estate under Minor Works(C) (₹ 8.66 crore). Taking into account the surrender of savings available in the Revenue(Voted) Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
(ग)	प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई (यू)) योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/निम्न आय वर्ग (एलआईजी) के लाभार्थियों को सब्सिडी शीर्ष-क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के तहत लंबित देनदारियों के लिए निधि जारी करना (11,221.73 करोड़ रुपये)। अनुदान के एक ही खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(c)	releasing of funds towards pending liabilities under Subsidy head-Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS) for Economically Weaker Section (EWS)/ Lower Income Group(LIG) beneficiaries of Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban (PMAY(U)) scheme (₹ 11,221.73 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(घ)	(i) एमआरटीएस और मेट्रो परियोजनाओं के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना चरण-1ए के लिए पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के तहत अनुदान (46.74 करोड़ रुपये), (ii) संपत्ति कर के बकाया के भुगतान और दिल्ली शहरी कला आयोग (डीयूएससी) (0.49 करोड़ रुपये) परिसर के नवीनीकरण के लिए सामान्य सहायता अनुदान- (0.47 करोड़ रुपये) और (iii) स्मार्ट सिटी मिशन परियोजना को पूरा करने के लिए अन्य प्रशासनिक व्यय (15.00 करोड़ रुपये)	(d)	(i) meeting the requirement for Kochi Metro Rail Project Phase-1A in Financial Year 2022-23 under MRTS & Metro Projects under Grants for Creation of Capital Assets (₹ 46.74 crore), (ii) payment of outstanding arrears of property tax (₹ 0.47 crore) and for renovation of Delhi Urban Art Commission (DUAC)(₹ 0.49 crore) premises under Grants-in-Aid(GiA)- General, (iii) completion of

	रुपये), बिना विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए सामान्य सहायता अनुदान (5.00 करोड़ रुपये) और पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान (330.90 करोड़ रुपये)		
	अनुदान के पूंजीगत खंड में उपलब्ध 350.90 करोड़ रुपये की बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, और अनुदान के उसी खंड में बचत का उपयोग करने के बाद, उपर्युक्त व्यय के लिए कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।		
(ड)	प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्म निर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के लिए जीआईए-सामान्य के तहत क्रेडिट गारंटी योगदान से संबंधी व्यय के साथ-साथ कॉर्पस फंड की स्थापना के लिए (283.93 करोड़ रुपये)। इसमें भारत की आकस्मिकता निधि से निकाले गए 80 करोड़ रुपये के अग्रिम की प्रतिपूर्ति शामिल है। अनुदान के पूंजीगत खंड में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, उपर्युक्त व्यय के लिए कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।	(e)	project under Smart Cities Mission under Other Administrative Expenses (₹ 15.00 crore), GiA-General for Union Territories (UTs) without legislatures (₹ 5.00 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 330.90 crore). Taking into account the surrender of savings of ₹ 350.90 crores available in the Capital Section of the Grant, and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo. establishment related expenditure as well as Corpus Fund for Credit Guarantee Contribution under GiA-General for Pradhan Mantri Street Vendor's Atma Nirbhar Nidhi (PM SVANidhi) scheme (₹ 283.93 crore). This includes recoupment of advance of ₹ 80 crore drawn from Contingency Fund of India. Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
(घ)	राज्यों के लिए सामान्य अनुदान के तहत स्मार्ट सिटी मिशन के तहत परियोजनाओं को पूरा करने के लिए (100 करोड़ रुपये) और राज्यों के लिए पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान (1549.10 करोड़ रुपये)। अनुदान के पूंजीगत खंड में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, उपर्युक्त व्यय के लिए कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।	(f)	completion of projects under Smart Cities Mission under Grants-in-Aid General for States- (₹ 100 crore) and Grants for creation of Capital Assets for States (₹ 1549.10 crore). Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
(छ)	प्रमुख कार्यों के तहत नए संसद भवन के निर्माण की चल रही परियोजनाएं और मंत्रालय से संबंधित अन्य परियोजना अर्थात् लेखापरीक्षा, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड/केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीडीटी/सीबीईसी आदि के लिए (70 करोड़ रुपये)। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(g)	ongoing projects of construction of new Parliament Building and other Ministry related project i.e. Audit, Central Board of Direct Taxes/Central Board Excise & Customs (CBDT/CBEC) etc. under Major Works(₹ 70 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ज)	प्रमुख कार्यों के तहत राष्ट्रपति संपदा (प्रभारित) (1.91 करोड़ रुपये)। अनुदान के पूंजीगत खंड (स्वीकृत) में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, उपर्युक्त व्यय के लिए कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा;	(h)	Presidents' Estate under Major Works(Charged) (₹ 1.91 crore). Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section(Voted) of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
(झ)	(i) प्रमुख कार्यों के तहत दिल्ली और पूरे देश में सामान्य पूल आवासीय आवास (जीपीआरए) भवन के संबंध में चल रहे कार्य (150 करोड़ रुपये) और (ii) बीकेएस मार्ग पर लोकसभा आवास इकाइयों की परियोजनाएं, लेखापरीक्षा के तहत परियोजना, प्रमुख कार्यों के तहत सीबीईसी/सीबीडीटी (50 करोड़ रुपये)। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(i)	(i) Ongoing Work in respect of General Pool Residential Accommodation (GPRA) Building in Delhi and all over the country under Major Works(₹ 150 crore) and (ii) projects of Lok Sabha Housing Units at BKS Marg, project under Audit, CBEC/CBDT under Major Works (₹ 50 crore) . Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ट)	(i) निवेश के तहत एमआरटीएस और मेट्रो परियोजनाओं के तहत वित्त वर्ष 2022-23 में कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना चरण- II (431.79 करोड़ रुपये) (ii) निवेश के तहत हेमिस्फियर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड (एचपीआईएल) की इक्विटी में वृद्धि (10 करोड़ रुपये) । अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(j)	(i) Kochi Metro Rail Project Phase-II in FY 2022-23 under MRTS & Metro Projects (₹ 431.79 crore) under Investment (ii) augmentation to Equity of Hemisphere Properties India Limited (HPIL) (₹ 10 crore) under Investment. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 61

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 79 देखिये)

(See page 79 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	3955.12	3955.12
पूंजी	Capital	...	25.65	25.65
जोड़	Total	...	3980.77	3980.77
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	201.23	201.23
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	201.23	201.23
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	4182.00	4182.00
राजस्व	Revenue	...	4156.35	4156.35
पूंजी	Capital	...	25.65	25.65
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2251-सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	2251-Secretariat-Social Services	...	0.01 (का)	0.01
2220-सूचना और प्रचार	2220-Information and Publicity	...	10.34 (खb)	10.34
2221-प्रसारण	2221-Broadcasting	...	190.88 (गc)	190.88
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	201.23	201.23

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) सूचना एवं प्रसारण (आई एंड बी) के रिक्रिएशन क्लब की गतिविधियों को 'सामान्य अनुदान' सहायता (जीआईए) (0.04 करोड़ रुपये) के तहत पूरा करना। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ख) (i) राज्य विशिष्ट अभियान और 'न्यू इंडिया समाचार' का मुद्रण और वितरण और साथ ही, एनिमेटेड वीडियो श्रृंखला के आयोजन के लिए, विज्ञापन और प्रचार के तहत विकास संचार और सूचना प्रसार (डीसीआईडी) के तहत सरकार की पहल पर अभियान हेतु (10.35 करोड़ रुपये), (ii) सहायता अनुदान(जीआईए)-सामान्य के तहत राष्ट्रीय फिल्म डवलपमेंट कोर्पोरेशन (एनएफडीसी) (10.00 करोड़ रुपये), पूंजीगत संपत्ति के सृजन के लिए अनुदान (0.01 करोड़ रुपये), जीआईए-वेतन (0.01 करोड़ रुपये) और जीआईए-सामान्य [स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी)] (0.01 करोड़ रुपये) (iii) फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एफटीआईआई) के लिए पूंजीगत संपत्ति के सृजन के लिए अनुदान के तहत दो इनडोर स्टूडियो के निर्माण के लिए (11.69 करोड़ रुपये) और वेतन सहायता अनुदान (1.45 करोड़ रुपये), (iv) जीआईए-जनरल के तहत महामारी के बाद की स्थिति में सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट (एसआरएफटीआई) में अकादमिक गतिविधियों के बैकलॉग को पूरा करना और समाशोधन करना (1.00 करोड़ रुपये) और (v) सामान्य सहायता अनुदान के तहत डवलपमेंट कम्यूनिकेशन और डिसेमिनेशन ऑफ फिल्मिक कन्टेन्ट (डीसीडीएफसी) के कार्यान्वयन के लिए एनएफडीसी को (55.00 करोड़ रुपये) और पूंजीगत सम्पत्ति के सृजन के लिए (0.01 करोड़ रुपये)।
- अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए 10.34 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा।
- (ग) ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एवं नेटवर्क डवलपमेंट (बीआईएनडी) योजना के अंतर्गत (i) जीआईए-वेतन (209.22 करोड़ रुपये) के तहत प्रसार भारती के लिए वेतन संबंधी व्यय को पूरा करना और (ii) जीआईए-जनरल के तहत जी-20 के आयोजनों से संबंधित व्यय (73.12 करोड़ रुपये) को पूरा करना। अनुदान के इसी खंड उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए 190.88 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा।

The supplementary Grants are required for:

- (a) activities of Information & Broadcasting(I&B) Recreation Club under 'Grants-in-Aid (GiA)-General' (₹ 0.04 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) (i) state specific campaigns and printing & distribution of 'New India Samachar' and also, for organising animated video series, campaign on Government initiative under Development Communication & Information Dissemination (DCID) under Advertising & Publicity (₹ 10.35 crore), (ii) National Film Development Corporation (NFDC) under Grant-in-aid(GiA)-General (₹ 10.00 crore), Grants for Creation of Capital Assets (₹ 0.01 crore), GiA-Salary(₹ 0.01 crore) and GiA-General [Swachchata Action Plan(SAP)] (₹ 0.01 crore), (iii) construction of two indoor studios for Film and Television Institute of India (FTII) under Grants for Creation of Capital Assets (₹ 11.69 crore) and Grants-in-Aid Salaries (₹ 1.45 crore), (iv) offsetting and clearing backlog of academic activities in Satyajit Ray Film and Television Institute (SRFTI) in the post pandemic situation under GiA-General (₹ 1.00 crore) and (v) NFDC for implementing Development Communication & Dissemination of Filmic Content(DCDFC) scheme under GiA-General(₹ 55.00 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 0.01 crore). Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 10.34 crore.
- (c) (i) meeting expenditure for Prasar Bharati under GiA-Salaries (₹ 209.22 crore) and (ii) expenditure related to G-20 events under GiA-General (₹ 73.12 crore) in scheme Broadcasting Infrastructure & Network Development (BIND). Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 190.88 crore.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 62

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प विभाग

DEPARTMENT OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 80 देखिये)

(See page 80 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	18608.17	18608.17
पूंजी	Capital	...	438.83	438.83
जोड़	Total	...	19047.00	19047.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.04	0.04
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.04	0.04
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	19047.04	19047.04
राजस्व	Revenue	...	18608.21	18608.21
पूंजी	Capital	...	438.83	438.83
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services	...	0.01	(का) 0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01	(खब) 0.01
2701-वृहत और मध्यम सिंचाई	2701-Major and Medium Irrigation	...	0.01	(गद) 0.01
3435-पारिस्थितिकी और पर्यावरण	3435-Ecology and Environment	...	0.01	(घद) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.04	0.04

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) स्थापना व्यय (₹. 1.26 करोड़) के तहत विभिन्न वस्तु शीर्षों के तहत राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (एनडीएसए) के लिए व्यय को पूरा करना।
- अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ख) (i) पूर्वोत्तर क्षेत्रीय जल और भूमि प्रबंधन संस्थान (एनईआरआईडब्ल्यूएलएम) के तहत सामान्य सहायता अनुदान (0.30 करोड़ रुपये) और पूंजीगत संपत्ति के सृजन के लिए अनुदान (7.07 करोड़ रुपये)। (ii) ब्रह्मपुत्र बोर्ड के तहत अनुदान सहायता वेतन (5.00 करोड़ रुपये)।
- अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ग) (i) राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान के तहत वेतन सहायता अनुदान (0.8 करोड़ रुपये)। (ii) राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (एनडब्ल्यूडीए) के तहत सामान्य सहायता अनुदान (11 करोड़ रुपये)।
- अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (घ) जीएफआर 2017 के परिशिष्ट 10 के तहत व्यय के अतिरिक्त व्यय को नियमित करने के लिए राष्ट्रीय गंगा योजना नॉन-ईएपी के तहत सहायता अनुदान - सामान्य (50 करोड़ रुपये) और पूंजीगत संपत्ति के सृजन के लिए अनुदान (1350 करोड़ रुपये)।
- अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) meeting expenditure for National Dam Safety Authority (NDSA) under the various object heads under the Establishment Expenditure (₹ 1.26 crore).
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) (i) Grants-in-aid General (₹ 0.30 crore) and Grants for creation of Capital Assets (₹ 7.07 crore) under North Eastern Regional Institute of Water and Land Management (NERIWALM). (ii) Grants-in-aid Salary (₹ 5.00 crore) under Brahmaputra Board.
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) (i) Grants-in-aid Salary (₹ 0.8 crore) under National Institute of Hydrology. (ii) Grants-in-aid General (₹ 11 crore) under National Water Development Agency (NWDA).
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (d) Grants-in-aid General (₹ 50 crore) and Grants for creation of Capital Assets (₹ 1350 crore) under National Ganga Plan Non-EAP for regularizing the excess expenditure incurred under Appendix 10 of GFR 2017.
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 63

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

DEPARTMENT OF DRINKING WATER AND SANITATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 81 देखिये)

(See page 81 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	134413.12	134413.12
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	134413.12	134413.12
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	134413.14	134413.14
राजस्व	Revenue	...	134413.14	134413.14
पूंजी	Capital
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2215-जलापूर्ति और स्वच्छता	2215-Water Supply and Sanitation	...	0.01	(का) 0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01	(खब) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) 'जल जीवन मिशन' के तहत सामान्य सहायता अनुदान (10 करोड़ रुपये) प्रदान करना। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grants are required for:

(a) providing grants-in-aid general (₹ 10 crore) under 'Jal Jeevan Mission'. Taking into account savings available in same section of the grant, a token supplementary is sought.

(ख) 'जल जीवन मिशन' के तहत अनुसूचित जाति योजना घटक के लिए (319.20 करोड़ रुपये) और आदिवासी उपयोजना घटक (1,696.20 करोड़ रुपये) के तहत पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान के रूप में 2,015.40 करोड़ रुपये का प्रावधान है। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(b) provision of ₹ 2,015.40 crore as grants for creation of capital assets towards scheduled caste plan component (₹ 319.20 crore) and tribal sub plan component (₹ 1,696.20 crore) under 'Jal Jeevan Mission'. Taking into account the savings available in same section of the grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 65

विधि और न्याय

LAW AND JUSTICE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 83 देखिये)

(See page 83 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1978.48	1978.48
पूंजी	Capital	...	1615.00	1615.00
जोड़	Total	...	3593.48	3593.48
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	29.65	29.65
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	29.65	29.65
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	3623.13	3623.13
राजस्व	Revenue	...	2008.13	2008.13
पूंजी	Capital	...	1615.00	1615.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2014-न्याय प्रशासन	2014-Administration of Justice	...	29.65	29.65

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (I) एलएडीसीएस के वृद्धिशील विस्तार और अन्य कानूनी गतिविधियों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को अतिरिक्त सहायता अनुदान प्रदान करना (20 करोड़ रुपये)।
- (II) भारत में न्याय तक समग्र पहुंच के लिए अभिनव समाधान प्रारूप योजना (दिशा) (8.15 करोड़ रुपये) के लिए अतिरिक्त सहायता अनुदान प्रदान करना।
- (III) भारतीय मध्यस्थता परिषद को सामान्य-सहायता-अनुदान (0.75 करोड़ रुपये) और वेतन सहायता अनुदान (0.75 करोड़ रुपये) प्रदान करना। अनुदान के पूंजीगत भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय के लिए कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grant is required for:

- (I) providing additional Grants-in-aid to National Legal Services Authority for meeting incremental expansion of LADCS and other legal activities(₹ 20 crore).
- (II) providing additional Grants-in-aid to the scheme of Designing Innovative Solutions for Holistic Access to Justice in India (DISHA) (₹ 8.15 crore).
- (III) providing Grants-in-aid-General (₹ 0.75 crore) and Grants-in-aid-Salary (₹ 0.75 crore) to Arbitration Council of India. Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 66

निर्वाचन आयोग

ELECTION COMMISSION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 84 देखिये)

(See page 84 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	253.00	253.00
पूंजी	Capital	...	7.00	7.00
जोड़	Total	...	260.00	260.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	67.24	67.24
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	67.24	67.24
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	327.24	327.24
राजस्व	Revenue	...	320.24	320.24
पूंजी	Capital	...	7.00	7.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2015-चुनाव	2015-Elections	...	67.24	67.24

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अर्पित है:

सूचना प्रौद्योगिकी (73.35 करोड़ रुपये) के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।
अनुदान के समान खंड में उपलब्ध 6.11 करोड़ रुपये की बचतों को ध्यान में रखते हुए इसके तहत 67.24 करोड़ रुपये का निवल व्यय होगा।

The supplementary Grant is required for:

for meeting additional expenditure under Information Technology (₹ 73.35 crore).
Taking into account the savings of ₹ 6.11 crore available within the same Section of the Grant, this will entail a net cash outgo of ₹ 67.24 crore.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

संख्या NO. 67 (विनियोग)(APPROPRIATION)

भारत का उच्चतम न्यायालय
SUPREME COURT OF INDIA

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 85 देखिये)

(See page 85 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. विनियोग:	I. ORIGINAL APPROPRIATION:			
राजस्व	Revenue	401.46	...	401.46
पूंजी	Capital
जोड़	Total	401.46	...	401.46
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	4.01	...	4.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	4.01	...	4.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	405.47	...	405.47
राजस्व	Revenue	405.47	...	405.47
पूंजी	Capital
II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2014-न्याय प्रशासन	2014-Administration of Justice	4.01	...	4.01

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

सर्वोच्च न्यायालय संग्रहालय के उन्नयन और स्टाफ की आउटसोर्सिंग के लिए
कार्यालय व्यय के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।
उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय शामिल होगा।

The supplementary Grant/Appropriation is required for:

meeting additional expenditure under Office Expenses for
upgradation of Supreme Court Museum and outsourcing of staff.
The above expenditure will entail a cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 68

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 86 देखिये)

(See page 86 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	20916.00	20916.00
पूंजी	Capital	...	506.00	506.00
जोड़	Total	...	21422.00	21422.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	21422.02	21422.02
राजस्व	Revenue	...	20916.02	20916.02
पूंजी	Capital	...	506.00	506.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552-पूर्वांतर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (का)	0.01
2851-ग्राम एवं लघु उद्योग	2851-Village and Small Industries	...	0.01 (खब)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) 'खादी विकास योजना' स्कीम के तहत सहायता अनुदान सामान्य (0.40 करोड़ रुपये)।
अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ख) (i) 'खादी अनुदान' स्कीम के तहत सहायता अनुदान सामान्य (1.00 करोड़ रुपये), (ii) 'महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकीकरण संस्थान' स्कीम के तहत सहायता अनुदान वेतन (0.94 करोड़ रुपये), (iii) 'जूट विकास योजना' स्कीम के तहत सहायता अनुदान सामान्य (0.25 करोड़ रुपये), (iv) 'खादी विकास योजना' स्कीम के तहत सहायता अनुदान सामान्य (3.60 करोड़ रुपये) (v) 'प्रापण और प्रचार समर्थन स्कीम' के तहत सबसिडियाँ (22.31 करोड़ रुपये), (vi) 'टूल रूम और तकनीकी संस्थाओं' स्कीम के तहत सहायता अनुदान वेतन (1.00 करोड़ रुपये), (vii) 'एमएसएमई निष्पादन को बढ़ाने और उसमें तेजी लाने- आरएमपी' स्कीम के तहत सबसिडियाँ (100.00) करोड़ रुपये और सहायता अनुदान सामान्य (98.95 करोड़ रुपये), और (viii) 'अवसंरचना विकास और क्षमता समर्थन- ईएपी घटक' स्कीम के तहत सहायता अनुदान वेतन (5.00 करोड़ रुपये)।

अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) Grants-in-aid General (₹ 0.40 crore) under the scheme 'Khadi Vikas Yojana'.
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) (i) Grants-in-aid General (₹ 1.00 crore) under the scheme 'Khadi Grant', (ii) Grants-in-aid Salaries (₹ 0.94 crore) under the scheme 'Mahatma Gandhi Institute for Rural Industrialisation', (iii) Grants-in-aid General (₹ 0.25 crore) under the scheme 'Coir Vikas Yojana' (iv) Grants-in-aid General (₹ 3.60 crore) under the scheme 'Khadi Vikas Yojana', (v) Subsidies (₹ 22.31 crore) under the scheme 'Procurement and Marketing Support Scheme', (vi) Grants-in-aid Salaries (₹ 1.00 crore) under the scheme 'Tool Rooms & Technical Institutions', (vii) Subsidies (₹ 100.00 crore) and Grants-in-aid General (₹ 98.95 crore) under the scheme 'Raising and Accelerating MSME Performance-RAMP' and (viii) Grants-in-aid Salaries (₹ 5.00 crore) under the scheme 'Infrastructure Development and Capacity Building-EAP Component'.
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 71

नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 89 देखिये)

(See page 89 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	6888.94	6888.94
पूंजी	Capital	...	11.74	11.74
जोड़	Total	...	6900.68	6900.68
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	132.33	132.33
पूंजी	Capital	...	2.00	2.00
जोड़	Total	...	134.33	134.33
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	7035.01	7035.01
राजस्व	Revenue	...	7021.27	7021.27
पूंजी	Capital	...	13.74	13.74
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (का)	0.01
2810-नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा	2810-New and Renewable Energy	...	132.32 (खब)	132.32
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	132.33	132.33
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4810-नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा पर पूंजी परिव्यय	4810-Capital Outlay on New and Renewable Energy	...	2.00 (गक)	2.00
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	134.33	134.33

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 'सौर ऊर्जा (ग्रिड)' के तहत पूंजीगत आस्तियों (13 करोड़ रुपये) के सृजन के लिए अनुदान प्रदान करना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grants are required for:

(a) providing grants for creation of capital assets (₹ 13 crore) under 'Solar Power (Grid)' for North-Eastern Region. Taking into account savings available in same section of the Grant, a Token Supplementary is sought.

(ख) (i) 495.43 करोड़ रुपये की राशि की पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान प्रदान करना [सौर ऊर्जा (ग्रिड) के लिए 398.97 करोड़ रु.; बायो-पावर (ग्रिड) के लिए 2.46 करोड़ रु.; अनुसंधान और विकास के लिए 10 करोड़ रुपये: अनुसूचित जाति उप-योजना-सौर ऊर्जा (ग्रिड) के लिए 34 करोड़ रुपये; और जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-सौर ऊर्जा (ग्रिड) के लिए 50 करोड़ रुपये]। (ii) 100.40 करोड़ रुपये की राशि का सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना [अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) के लिए 100 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय जैव ऊर्जा संस्थान के लिए 0.40 करोड़ रुपये]। (iii) अनुसूचित जाति उपयोजना एवं जनजाति क्षेत्र उपयोजना प्रत्येक के लिए 50 करोड़ रुपये सहित पवन ऊर्जा (ग्रिड) के तहत 368 करोड़ रुपये की सब्सिडी। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध 831.51 करोड़ रुपये की बचत को ध्यान में रखते हुए 132.32 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा।

(b) (i) providing grants for creation of capital assets amounting to ₹ 495.43 crore [₹ 398.97 crore for Solar Power (Grid); ₹ 2.46 crore for Bio-Power (Grid); ₹ 10 crore for Research and Development: ₹ 34 crore for Solar Power (Grid) – Scheduled Caste Sub-plan; and ₹ 50 crore for Solar Power (Grid) – Tribal Area Sub-plan]. (ii) providing grants-in-aid general amounting to ₹ 100.40 crore [₹ 100 crore for International Solar Alliance (ISA) and ₹ 0.40 crore for National Institute of Bio Energy] (iii) subsidy of ₹ 368 crore under Wind Power (Grid) including ₹ 50 crore each for Scheduled Caste Sub-plan and Tribal Area Sub-plan. Taking into account savings of ₹ 831.51 crore available in same section of the Grant this will entail cash outgo of ₹ 132.32 crore.

(ग) "अटल अक्षय ऊर्जा भवन" के निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपये की अतिरिक्तता। अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, इसमें नकद व्यय नहीं होगा।

(c) additionality of ₹ 2 crore for construction of "Atal Akshay Urja Bhawan". Taking into account savings available in revenue section of the Grant, this will not entail cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 72

पंचायती राज मंत्रालय

MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 90 देखिये)

(See page 90 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	868.57	868.57
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	868.57	868.57
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	37.21	37.21
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	37.21	37.21
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	905.78	905.78
राजस्व	Revenue	...	905.78	905.78
पूंजी	Capital
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2515-Other Rural Development Programmes	...	0.01 (का)	0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	37.20 (खब)	37.20
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	37.21	37.21

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) 'अन्य प्रशासनिक व्यय' (0.01 करोड़ रुपये), 'विज्ञापन और प्रचार' (6.41 करोड़ रुपये), 'पेशेवर सेवाएं' (0.08 करोड़ रुपये) और योगदान (0.20 करोड़ रुपये) और "राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान" के तहत 'सामान्य सहायता अनुदान' (6.50 करोड़ रुपये) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।
(ii) 'पंचायतों के प्रोत्साहन' के लिए 'सामान्य सहायता अनुदान' के लिए 0.82 करोड़ रु.। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) (i) meeting additional expenditure for 'Other Administrative Expenses' (₹ 0.01 crore), 'Advertising and Publicity' (₹ 6.41 crore), 'Professional Services' (₹ 0.08 crore), and contribution (₹ 0.20 crore) and 'Grants-in-aid-General' (₹ 6.50 crore) under the "Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan". (ii) ₹ 0.82 crore towards 'Grants-in-aid-General' for "Incentivization of Panchayats". Taking into account savings available in the same section of grant, a Token Supplementary is sought.

- (ख) 'राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान' के तहत 37.20 करोड़ रुपये राज्य सरकारों को अतिरिक्त धनराशि प्रदान करना। इसमें नकद व्यय होगा।

- (b) providing additional funds to State Governments amounting to ₹ 37.20 crore under 'Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan'. This will entail cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 74

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 92 देखिये)

(See page 92 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	24.23	2087.65	2111.88
पूंजी	Capital	12.00	213.30	225.30
जोड़	Total	36.23	2300.95	2337.18
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.03	0.03
पूंजी	Capital	165.46	0.01	165.47
जोड़	Total	165.46	0.04	165.50
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	201.69	2300.99	2502.68
राजस्व	Revenue	24.23	2087.68	2111.91
पूंजी	Capital	177.46	213.31	390.77
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052-Secretariat-General Services	...	0.01	(का) 0.01
2051-लोक सेवा आयोग	2051-Public Service Commission	...	0.01	(खब) 0.01
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2070-Other Administrative Services	...	0.01	(गक) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.03	0.03
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	165.46	(घद) 0.01	(डे) 165.47
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	165.46	0.04	165.50

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) सहायता अनुदान - सामान्य (जीआईए-जनरल) के तहत कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के स्वायत्त निकायों - (क) गृह कल्याण केंद्र (1.25 करोड़ रु.) और (ख) केंद्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक और खेल बोर्ड (0.80 करोड़ रु.) और (ii) व्यावसायिक सेवाओं के तहत प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) (1.00 करोड़ रुपये)।

अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

- (ख) (i) व्यावसायिक सेवाओं के तहत कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) के व्यय (227 करोड़ रुपये) और अन्य शुल्कों (0.01 करोड़ रुपये) को पूरा करना। इसमें भारत की आकस्मिकता निधि से 100.00 करोड़ रुपये के अग्रिम की प्रतिपूर्ति शामिल है।

अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

- (ग) (i) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का कार्यक्रम-सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रचार-प्रसार सहायता अनुदान सामान्य (जीआईए सामान्य) के तहत (1.30 करोड़ रु.), (ii) पेंशनभोगी पोर्टल-सहायता अनुदान-सामान्य के अंतर्गत (0.07 करोड़ रु.), (iii) सुशासन-अनुदान के लिए राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना (7.50 करोड़ रुपये) (iv) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान को अनुदान (10.50 करोड़ रुपये) और (v) प्रशासनिक सेवाओं के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम हेतु विश्व बैंक की सहायता और व्यावसायिक सेवाओं के अंतर्गत क्षमता निर्माण हेतु (3.00 करोड़ रु.)।

अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

- (a) (i) Autonomous Bodies of Deptt. of Personnel and Training(DoPT) - (a) Grih Kalyan Kendra(₹ 1.25 crore) and (b) Central Civil Services Cultural and Sports Board (₹ 0.80 crore) under Grants in aid-General(GIA-General) and (ii) Department of Administrative Reforms and Public Grievances(DARPG) under Professional Services (₹ 1.00 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (b) meeting expenditure of Staff Selection Commission(SSC) under (i) Professional Services (₹ 227 crore) and (ii) Other Charges (₹ 0.01 crore). It includes recoupment of advance of ₹ 100.00 crore drawn from Contingency Fund of India.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (c) (i) Programme of Department of Personnel & Training-Propagation of Right to Information Act under Grant-in-aid General (GiA General) (₹ 1.30 crore), (ii) Pensioners' Portal-under GiA-General (₹ 0.07 crore), (iii) Setting up of National Centre for Good Governance-Grants (₹ 7.50 crore) (iv) Grants to Indian Institute of Public Administration (₹ 10.50 crore) and (v) World Bank Assistance for National Programme for Civil Services and Capacity Building under Professional Services (₹ 3.00 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(घ)	<p>लोकपाल के लिए भूमि का अधिग्रहण और भवन का निर्माण - प्रमुख कार्य (165.46 करोड़ रुपये)। इसमें भारत की आकस्मिकता निधि (सीएफआई) से 95.911 करोड़ रुपये के अग्रिम की प्रतिपूर्ति शामिल है। अनुदान के राजस्व खंड में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय के लिए कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा;</p>	(d)	<p>Acquisition of land & construction of Building for Lokpal - Major Works(₹ 165.46 crore). This includes recoupment of advance of ₹ 95.911 crore drawn from Contingency Fund of India(CFI). Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;</p>
(ङ)	<p>प्रमुख कार्यों के तहत सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम) के एकीकृत सभागार के निर्माण के लिए व्यय (40.00 करोड़ रुपये)।</p> <p>अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।</p>	(e)	<p>Construction of Integrated Auditorium of Institute of Secretariat Training and Management (ISTM) under Major Works (₹ 40.00 crore).</p> <p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p>

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

संख्या NO. 75 (विनियोग)(APPROPRIATION)

केंद्रीय सतर्कता आयोग

CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 93 देखिये)

(See page 93 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. विनियोग:	I. ORIGINAL APPROPRIATION:			
राजस्व	Revenue	41.96	...	41.96
पूंजी	Capital
जोड़	Total	41.96	...	41.96
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	1.50	...	1.50
पूंजी	Capital
जोड़	Total	1.50	...	1.50
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	43.46	...	43.46
राजस्व	Revenue	43.46	...	43.46
पूंजी	Capital
II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2062-सतर्कता	2062-Vigilance	1.50	...	1.50

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

चिकित्सा उपचार (0.15 करोड़ रुपये), घरेलू यात्रा व्यय (0.15 करोड़ रुपये) और कार्यालय व्यय (1.20 करोड़ रुपये) के तहत स्थापना व्यय को पूरा करना।

उपरोक्त व्यय में नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant/Appropriation is required for:

meeting establishment expenditure under Medical Treatment (₹ 0.15 crore), Domestic Travel Expenses (₹ 0.15 crore) and Office Expenses (₹ 1.20 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 76
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 94 देखिये)

(See page 94 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	8339.86	8339.86
पूंजी	Capital	...	600.00	600.00
जोड़	Total	...	8939.86	8939.86
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	25503.68	25503.68
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	25503.68	25503.68
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	34443.54	34443.54
राजस्व	Revenue	...	33843.54	33843.54
पूंजी	Capital	...	600.00	600.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2802-पेट्रोलियम	2802-Petroleum	...	25503.68	25503.68

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(i) तेल विपणन कंपनियों को उनके घरेलू एलपीजी परिचालन में कम वसूली के मुआवजे के रूप में भुगतान के लिए 22,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि प्रदान करना; (ii) नुमालीगढ़ रिफाइनरी विस्तार परियोजना के लिए सामान्य सहायता अनुदान के रूप में 245 करोड़ रुपये; (iii) भारत के लिए व्यापारिक जहाजों हेतु फ्लैग संवर्धन के लिए 215.62 करोड़ रुपये की राशि; और (iv) प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के अंतर्गत गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए 7210 करोड़ रुपये प्रदान करना। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध 4166.94 करोड़ रुपये की बचतों को ध्यान में रखते हुए, और अनुदान के पूंजीगत खंड के अंतर्गत उपलब्ध 560 करोड़ रुपये की बचतों के अभ्यर्पण के उपयोग करने के बाद, इसमें 24,943.68 करोड़ रुपये का अतिरिक्त नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant is required for:

(i) providing additional funds amounting to ₹ 22,000 crore towards payments to Oil Marketing Companies as compensation for under recoveries in their Domestic LPG Operations; (ii) ₹ 245 crore as grants-in-aid-general for Numaligarh Refinery Expansion Project; (iii) funds amounting to ₹ 215.62 crore for promotion of flagging of Merchant Ships for India; and (iv) ₹ 7210 crore for providing LPG connections to Poor Households under Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY). Taking into account the savings of ₹ 4166.94 crore available in same section of the grant, and after utilizing surrender of savings of ₹ 560 crore available under Capital Section of the grant, this will entail additional cash outgo of ₹ 24,943.68 crore.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 77

योजना मंत्रालय

MINISTRY OF PLANNING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 95 देखिये)

(See page 95 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	310.67	310.67
पूंजी	Capital	...	10.75	10.75
जोड़	Total	...	321.42	321.42
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	612.44	612.44
पूंजी	Capital	...	10.00	10.00
जोड़	Total	...	622.44	622.44
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	943.86	943.86
राजस्व	Revenue	...	923.11	923.11
पूंजी	Capital	...	20.75	20.75
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services	...	21.94 (क) (क)	21.94
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	3475-Other General Economic Services	...	590.50 (ख) (ख)	590.50
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	612.44	612.44
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	5475-Capital Outlay on Other General Economic Services	...	10.00 (ग) (ग)	10.00
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	622.44	622.44
यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supplementary Grants are required for:		
(क)	नीति आयोग के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (₹21.94 करोड़)। उपरोक्त व्यय के लिए नकद परिव्यय होगा;	(a)	meeting additional expenditure towards NITI Aayog (₹ 21.94 crore). The above expenditure will entail a cash outgo;	
(ख)	सामान्य सहायता अनुदान (₹90 करोड़) में अटल नवाचार मिशन के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करना; राज्य सहायता मिशन के तहत व्यय पूरा करना (₹0.50 करोड़); सहायता अनुदान सामान्य (₹497.10 करोड़) और अन्य मदों (₹2.90 करोड़) में सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के लिए जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) से आधिकारिक विकास सहायता (ओडीए) के तहत व्यय को पूरा करना, और इसमें से एक एसडीजी के लिए जेआईसीए से ओडीए के कारण आकस्मिकता निधि की प्रतिपूर्ति के लिए नीति आयोग को ₹400 करोड़ का आवंटन।	(b)	meeting additional expenditure under Atal Innovation Mission in Grant-in-Aid General (₹ 90 crore); meeting expenditure under State Support Mission (₹ 0.50 crore); meeting expenditure under Official Development Assistance (ODA) from Japan International Cooperation Agency (JICA) for Sustainable Development Goals (SDGs) in Grants-in-Aid General (₹ 497.10 crore) and other heads (₹ 2.90 crore), and out of this an Allocation of ₹ 400 crore to NITI Aayog towards recoupment of Contingency Fund, on account of ODA from JICA for SDGs.	
(ग)	उपरोक्त व्यय के लिए नकद परिव्यय होगा; अटल इनोवेशन मिशन (₹10 करोड़) के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। उपरोक्त व्यय के लिए नकद परिव्यय होगा;	(c)	The above expenditure will entail a cash outgo; meeting additional expenditure under Atal Innovation Mission (₹ 10 crore). The above expenditure will entail a cash outgo;	

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 78

पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 96 देखिये)

(See page 96 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

	<i>भारित Charged</i>	<i>स्वीकृत Voted</i>	<i>जोड़ Total</i>
I. मूल अनुदान:			
राजस्व	...	1495.19	1495.19
पूंजी	...	749.31	749.31
जोड़	...	2244.50	2244.50
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:			
राजस्व	...	13.09	13.09
पूंजी	...	70.80	70.80
जोड़	...	83.89	83.89
जोड़ (मूल और पूरक)	...	2328.39	2328.39
राजस्व	...	1508.28	1508.28
पूंजी	...	820.11	820.11
I. ORIGINAL GRANT:			
Revenue	...	1495.19	1495.19
Capital	...	749.31	749.31
Total	...	2244.50	2244.50
Supplementary Estimate of the amount now required:			
Revenue	...	13.09	13.09
Capital	...	70.80	70.80
Total	...	83.89	83.89
Total (Original plus Supplementary)	...	2328.39	2328.39
Revenue	...	1508.28	1508.28
Capital	...	820.11	820.11
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head			
	<i>भारित Charged</i>	<i>स्वीकृत Voted</i>	<i>जोड़ Total</i>
राजस्व भाग			
मुख्य शीर्ष			
3051-बंदरगाह और प्रकाश स्तंभ	...	0.01 (का)	0.01
3052-नौवहन	...	13.08 (खb)	13.08
जोड़ (राजस्व भाग)	...	13.09	13.09
पूंजी भाग			
मुख्य शीर्ष			
5051-बंदरगाह और प्रकाश स्तंभों पर पूंजी परिव्यय	...	70.79 (गc)	70.79
5052-नौवहन पर पूंजी परिव्यय	...	0.01 (घd)	0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	...	70.80	70.80
जोड़ (पूरक)	...	83.89	83.89
REVENUE SECTION			
MAJOR HEAD			
3051-Ports and Light Houses	...	0.01	0.01
3052-Shipping	...	13.08	13.08
Total (Revenue Section)	...	13.09	13.09
CAPITAL SECTION			
MAJOR HEAD			
5051-Capital Outlay on Ports and Light Houses	...	70.79	70.79
5052-Capital Outlay on Shipping	...	0.01	0.01
Total (Capital Section)	...	70.80	70.80
Total (Supplementary)	...	83.89	83.89

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supplementary Grants are required for:	
(क)	सागरमाला परियोजनाओं के अंतर्गत पूंजीगत आस्ति के सृजन के लिए अनुदान (17 करोड़ रुपये)। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(a)	Grants for creation of Capital Assets under Sagarmala projects (₹ 17 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	(i) भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय (आईएमयू) की अवसंरचना के विकास के अंतर्गत पूंजीगत आस्ति के सृजन के लिए अनुदान (39 करोड़ रुपये)। (ii) भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय (आईएमयू) के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (22.46 करोड़ रुपये)। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, इसमें नकद व्यय शामिल होगा।	(b)	(i) Grants for creation of Capital Assets under infrastructure development of Indian Maritime University (IMU) (₹ 39 crore). (ii) Grants-in-aid Salaries under Indian Maritime University (IMU) (₹ 22.46 crore). Taking into account the savings available within the same section of the Grant, this will entail a cash outgo.
(ग)	(i) सागरमाला के अंतर्गत एएलएचडब्ल्यू के प्रमुख कार्यों पर व्यय के लिए नया शीर्ष प्रारंभ करना (33 करोड़ रुपये)। (ii) विशाखापट्टनम बंदरगाह प्राधिकरण, गुजरात राज्य प्रशासनिक अवसंरचना लिमिटेड आदि की परियोजनाओं में सागरमाला विकास कंपनी लिमिटेड द्वारा इक्विटी के भुगतान के लिए निवेश (46.57 करोड़ रुपये)। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, इसमें नकद व्यय शामिल होगा।	(c)	(i) opening of new head for expenditure on Major Works for ALHW under Sagarmala Projects (₹ 33 crore). (ii) Investment for payment of equity by Sagarmala Development Company Limited in projects of Vishakhapatnam Port Authority, Gujarat State administrative infrastructure Ltd. etc. (₹ 46.57 crore). Taking into account the savings available within the same section of the Grant, this will entail a cash outgo.
(घ)	सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत अन्य शुल्क (7.20 करोड़ रुपये)। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(d)	Other charges under Information Technology (₹ 7.20 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 79

विद्युत मंत्रालय

MINISTRY OF POWER

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 97 देखिये)

(See page 97 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	18421.11	18421.11
पूंजी	Capital	...	13.11	13.11
जोड़	Total	...	18434.22	18434.22
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	10.00	10.00
जोड़	Total	...	10.02	10.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	18444.24	18444.24
राजस्व	Revenue	...	18421.13	18421.13
पूंजी	Capital	...	23.11	23.11
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552-पूर्वांतर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (का)	0.01
2801-विद्युत	2801-Power	...	0.01 (खब)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय	4801-Capital Outlay on Power Projects	...	10.00 (गक)	10.00
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	10.02	10.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर उत्तर पूर्वी राज्यों में बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए (i) "विद्युत प्रणालियों का सुदृढीकरण" पर व्यय के लिए अतिरिक्त धनराशि प्रदान करना, सामान्य-सहायता-अनुदान (177 करोड़ रुपये), पूंजीगत आस्तियां निर्माण के लिए अनुदान (148.50 रुपये) और पेशेवर सेवाएं (3.50 करोड़ रुपये); और (ii) पूंजीगत आस्तियां (483.57 करोड़ रुपये) के निर्माण के लिए अनुदान की दिशा में "सुधार संबंधी वितरण योजना"। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grants are required for:

(a) Providing additional funds for expenditure on (i) "Strengthening of Power Systems" for power system improvement in North Eastern States excluding Sikkim and Arunachal Pradesh towards grants-in-aid-general (₹ 177 crore), grants for creation of capital assets (₹ 148.50) and professional services (₹ 3.50 crore); and (ii) "Reform Linked Distribution Scheme" towards grants for creation of capital assets (₹ 483.57 crore). Taking into account savings available in same section of the Grant, a Token Supplementary is sought.

(ख) पूंजीगत आस्तियां (₹. 195.52 करोड़), स्मार्ट ग्रिड के लिए सामान्य-सहायता-अनुदान (₹. 6.70 करोड़) और सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी के लिए ₹. 0.04 करोड़। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(b) "Power System Development Fund" towards provision for creation of capital assets (₹ 195.52 crore), grants-in-aid-general for Smart Grid (₹ 6.70 crore) and ₹ 0.04 crore for Central Transmission Utility. Taking into account savings available in same section of the grant, a Token Supplementary is sought.

(ग) सड़कों और पुलों की अवसंरचना के निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि प्रदान करना। अनुदान के राजस्व अनुभाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, उपर्युक्त व्यय के लिए कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं करना होगा।

(c) Providing additional funds amounting to ₹ 10 crore for creation of infrastructure i.e., roads and bridges. Taking into account surrender of savings available in the revenue section of the grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

संख्या NO. 80 (विनियोग)(APPROPRIATION)

राष्ट्रपति के कर्मचारीवृंद, आवास और भत्ते

STAFF, HOUSEHOLD AND ALLOWANCES OF THE PRESIDENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 98 देखिये)

(See page 98 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. विनियोग:	I. ORIGINAL APPROPRIATION:			
राजस्व	Revenue	79.45	...	79.45
पूंजी	Capital
जोड़	Total	79.45	...	79.45
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	5.35	...	5.35
पूंजी	Capital
जोड़	Total	5.35	...	5.35
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	84.80	...	84.80
राजस्व	Revenue	84.80	...	84.80
पूंजी	Capital
II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2012-राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति/ राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	2012-President, Vice President/Governor, Administrator of Union Territories	5.35	...	5.35

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:
अतिरिक्त स्थापना व्यय को पूरा करना।
उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय शामिल होगा।

The supplementary Grant/Appropriation is required for:
meeting additional establishment expenditure.
The above expenditure will entail a cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 81

लोक सभा

LOK SABHA

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 99 देखिये)

(See page 99 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	1.00	799.00	800.00
पूंजी	Capital
जोड़	Total	1.00	799.00	800.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	0.02	...	0.02
पूंजी	Capital
जोड़	Total	0.02	...	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1.02	799.00	800.02
राजस्व	Revenue	1.02	799.00	800.02
पूंजी	Capital
II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2011-संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के विधान मंडल	2011-Parliament/State/Union Territory Legislatures	0.02	...	0.02

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

घरेलू यात्रा व्यय के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु बकाया दावों के निपटान के लिए (0.21 करोड़ रुपये)
अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध 0.19 करोड़ रुपये की बचत और अनुदान के राजस्व स्वीकृत भाग में 0.02 करोड़ रुपये की बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय के लिए कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grant/Appropriation is required for:

meeting additional expenditure under Domestic Travel Expenses to settle outstanding claims (₹ 0.21 crore).
Taking into account the savings of ₹ 0.19 crore available within the same Section of the Grant and surrender of savings of ₹ 0.02 crore in the Revenue Voted Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 82

राज्य सभा

RAJYA SABHA

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 100 देखिये)

(See page 100 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	1.21	429.75	430.96
पूंजी	Capital
जोड़	Total	1.21	429.75	430.96
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	0.75	...	0.75
पूंजी	Capital
जोड़	Total	0.75	...	0.75
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1.96	429.75	431.71
राजस्व	Revenue	1.96	429.75	431.71
पूंजी	Capital
II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2011-संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के विधान मंडल	2011-Parliament/State/Union Territory Legislatures	0.75	...	0.75

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

राज्यसभा के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के अन्य प्रशासनिक व्यय के अंतर्गत अतिरिक्त आतिथ्य व्यय को पूरा करने के लिए।
उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय शामिल होगा।

The supplementary Grant/Appropriation is required for:

meeting additional hospitality expenditure under 'Other Administrative Expenses' of Chairman/Dy. Chairman, Rajya Sabha.
The above expenditure will entail a cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

संख्या NO. 84 (विनियोग)(APPROPRIATION)

संघ लोक सेवा आयोग

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 102 देखिये)

(See page 102 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. विनियोग:	I. ORIGINAL APPROPRIATION:			
राजस्व	Revenue	330.58	...	330.58
पूंजी	Capital
जोड़	Total	330.58	...	330.58
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	20.67	...	20.67
पूंजी	Capital
जोड़	Total	20.67	...	20.67
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	351.25	...	351.25
राजस्व	Revenue	351.25	...	351.25
पूंजी	Capital
II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2051-लोक सेवा आयोग	2051-Public Service Commission	20.67	...	20.67

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

परीक्षाओं और चयनों (₹20 करोड़) एवं प्रशासनिक व्यय (₹0.67 करोड़) पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय शामिल होगा।

The supplementary Grant/Appropriation is required for:

meeting additional expenditure on Examinations and Selections (₹20 crore) and on Administrative Expenditure.(₹0.67 crore).
The above expenditure will entail a cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 85

रेल मंत्रालय

MINISTRY OF RAILWAYS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 103-104 देखिये)

(See page 103-104 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	488.00	303064.14	303552.14
पूंजी	Capital	98.00	329089.70	329187.70
जोड़	Total	586.00	632153.84	632739.84
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	...	12000.00	12000.00
जोड़	Total	...	12000.00	12000.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	586.00	644153.84	644739.84
राजस्व	Revenue	488.00	303064.14	303552.14
पूंजी	Capital	98.00	341089.70	341187.70
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5002-भारतीय रेलवे वाणिज्यिक लाइन पर पूंजी परिव्यय	5002-Capital Outlay on Indian Railways - Commercial Lines	...	12000.00	12000.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary Grant is required for:

- | | |
|--|---|
| <p>(i) नई लाइनों के निर्माण (₹ 1,296.48 करोड़), गेज परिवर्तन (₹ 113.50 करोड़), दोहरीकरण (₹ 413 करोड़), यातायात सुविधाएं (₹ 48.02 करोड़), रोलिंग स्टॉक (₹ 9,000 करोड़), महानगर परिवहन योजनाएं (₹ 1,124 करोड़) और और अन्य विद्युत कार्य (₹ 5 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना के लिए। इससे नकद व्यय होगा;</p> <p>(ii) नई दिल्ली रेलवे सेंट्रल हॉस्पिटल में नेविगेशन सिस्टम के साथ 3डी सी-आर्म की लागत के लिए 4.26 करोड़ रुपये;</p> <p>(iii) नवाचार परियोजनाओं (चरण- I) की लागत के लिए ₹ 50 करोड़।</p> <p>(iv) भारतीय रेलवे पर बचे हुए छोटे पैच/साइडिंग के विद्युतीकरण की लागत के लिए 100 करोड़ रुपये।</p> <p>(v) वंदे भारत चेरर कार ट्रेनों की अनुरक्षण अवसंरचना के उन्नयन/विकास के लिए 370 करोड़ रुपये।</p> <p>(vi) डब्ल्यूटीए 527 की शर्तों के अनुसार ऊर्जा कुशल वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों की अनुरक्षण अवसंरचना के उन्नयन/विकास के लिए 2,500 करोड़ रुपये।</p> <p>(vii) अन्य रोलिंग स्टॉक की अनुरक्षण सुविधा के विकास/उन्नयन के लिए ₹ 500 करोड़;</p> <p>(viii) एचएचपी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के रखरखाव की अवसंरचना सुविधाओं के लिए ₹ 900 करोड़</p> <p>(ix) एमआर-400 सीरीज रेक्स के पुर्जों और व्हील सेट और संबंधित वस्तुओं के निर्माण के लिए 12.92 करोड़ रुपये।</p> <p>(x) दक्षिण रेलवे में ट्रैक नवीनीकरण कार्यों के लिए 85.06 करोड़ रुपये।</p> <p>(xi) पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में वेल्ड नवीनीकरण के माध्यम से 129.22 करोड़ रुपये।</p> <p>(xii) भारतीय रेलवे की रेल्स के परीक्षण और निरीक्षण के लिए 60 करोड़ रुपये;</p> <p>(xiii) दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में रेल नवीनीकरण (प्राथमिक) के माध्यम से ₹ 31.32 करोड़।</p> <p>(xiv) दक्षिण मध्य रेलवे में आईआरआईएसईटी/सिकंदराबाद में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मॉडर्न सिग्नलिंग (कवच) की स्थापना के लिए 34.38 करोड़ रुपये।</p> <p>(xv) जगाधरी - कमांडो प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के लिए 30 करोड़ रुपये</p> | <p>(i) meeting additional expenditure on construction of New Lines (₹ 1,296.48 crore), Gauge Conversion (₹ 113.50 crore), Doubling (₹ 413 crore), Traffic Facilities (₹ 48.02 crore), Rolling Stock (₹ 9,000 crore), Metropolitan Transport Projects (₹ 1,124 crore) and Other Electrical Works (₹ 5 crore). This will entail cash outgo.</p> <p>(ii) ₹ 4.26 crore towards cost of 3D C-Arm with navigation system in New Delhi Railway Central Hospital.</p> <p>(iii) ₹ 50 crore towards cost of innovation projects (phase-I).</p> <p>(iv) ₹ 100 crore towards cost of electrification of left over small patches/sidings over Indian Railways.</p> <p>(v) ₹ 370 crore towards upgradation/development of maintenance infrastructure for Vande Bharat Chair Car trains.</p> <p>(vi) ₹ 2,500 crore towards upgradation/development of maintenance infrastructure for energy efficient Vande Bharat Sleeper trains as per conditions under WTA 527.</p> <p>(vii) ₹ 500 crore towards development /upgradation of maintenance facility for other rolling stock.</p> <p>(viii) ₹ 900 crore towards infrastructure facilities for maintenance of HHP electric locomotives.</p> <p>(ix) ₹ 12.92 crore towards creation of spares and wheel sets and associated items for MR-400 series rakes.</p> <p>(x) ₹ 85.06 crore towards track renewal works in Southern Railway.</p> <p>(xi) ₹129.22 crore towards Through Weld Renewal in Northeast Frontier Railway.</p> <p>(xii) ₹ 60 crore towards Testing and inspection of rails for Indian Railways.</p> <p>(xiii) ₹ 31.32 crore towards Through Rail Renewal (Primary) in South East Central Railway.</p> <p>(xiv) ₹ 34.38 crore towards setting up of Centre of Excellence for Modern Signalling (Kavach) at IRISSET/Secunderabad in South Central Railway.</p> <p>(xv) ₹ 30 crore towards Jagadhari- setting up of commando training center.</p> |
|--|---|

(xvi)	महिलाओं की सुरक्षा हेतु टैब की खरीद के लिए 6.35 करोड़ रुपये।	(xvi)	₹ 6.35 crore towards procurement of tabs for security of women.
(xvii)	उच्च क्षमता वाले IV कपलर (500 एएमपी) और 150 वर्ग मिमी फीडर केबल के प्रावधान के लिए ₹ 75 करोड़।	(xvii)	₹ 75 crore towards Provision of high capacity IV coupler (500 amp) & 150 sq. mm feeder cable.
(xviii)	मध्य रेलवे में ईएमयू के लिए सीवीवीआर ड्राइविंग कैब (322 नग) के प्रावधान के लिए 3.98 करोड़ रुपये।	(xviii)	₹ 3.98 crore towards Provision of CVVR driving cabs for EMU in Central Railway (322 Nos.).
(xix)	सीमेंस ईएमयू रक में साइड वॉल माउंटेड एचयूआई को रूफ माउंटेड एचयू में संशोधित करने के लिए ₹ 62.34 करोड़;	(xix)	₹ 62.34 crore towards Modification of side wall mounted AHU into roof mounted AHU in siemens EMU rakes.
(xx)	सीमेंस मेक ट्रैक्शन मोटर रोटर के लिए 6.09 करोड़ रुपये।	(xx)	₹ 6.09 crore towards Rotor for siemens make traction motor.
(xxi)	सीमेंस ईएमयू रैक्स के डीटीसी कोचों की डी कैब की रूफ शीट बदलने के लिए ₹ 7.08 करोड़।	(xxi)	₹ 7.08 crore towards Replacement of roof sheet of D cab of DTC coaches of siemens EMU rakes.
(xxii)	अन्य मेक ईपी यूनिट के साथ मोटर कोचों के पेंटोग्राफ एरिया में डी की रूफ शीट बदलने के लिए ₹ 30.53 करोड़।	(xxii)	₹ 30.53 crore towards Replacement of roof sheet of D at pantograph area of motor coaches with other make EP unit.
(xxiii)	ईएमयू कोचों में लगे डब्ल्यूएसएफ मेक ईपी यूनिट को अन्य मेक ईपी यूनिट से बदलने के लिए ₹ 2.53 करोड़।	(xxiii)	₹ 2.53 crore towards replacement of WSF make EP unit fitted in EMU coaches with other make EP unit.
(xxiv)	ईएमयू रक के व्हील फ्लेंज लुब्रिकेशन सिस्टम के डिजाइन, आपूर्ति, निर्माण, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए 3.21 करोड़ रुपये।	(xxiv)	₹ 3.21 crore towards Design, supply, erection, testing and commissioning of wheel flange lubrication system of EMU rakes.
(xxv)	पूर्वी रेलवे मिशन 3000 एमटी पुल के पुनरुद्धार/पुनर्निर्माण के लिए 529 करोड़ रुपये।	(xxv)	₹ 529 crore towards Eastern Railway Mission 3000 MT Bridge Rehabilitation/Rebuilding.
(xxvi)	पूर्व मध्य रेलवे मिशन 3000 एमटी पुल के पुनरुद्धार/पुनर्निर्माण के लिए 766 करोड़ रुपये।	(xxvi)	₹766 crore towards East Central Railway Mission 3000 MT Bridge Rehabilitation/Rebuilding.
(xxvii)	पूर्व कोस्ट रेलवे मिशन 3000 एमटी पुल के पुनरुद्धार/पुनर्निर्माण के लिए 1,614 करोड़ रुपये।	(xxvii)	₹ 1,614 crore towards East Coast Railway Mission 3000 MT Bridge Rehabilitation/Rebuilding.
(xxviii)	उत्तर मध्य रेलवे मिशन 3000 एमटी पुल के पुनरुद्धार/पुनर्निर्माण के लिए 101 करोड़ रुपये।	(xxviii)	₹ 101 crore towards North Central Railway Mission 3000 MT Bridge Rehabilitation/Rebuilding.
(xxix)	दक्षिण पूर्व रेलवे मिशन 3000 एमटी पुल के पुनरुद्धार/पुनर्निर्माण के लिए 2,451 करोड़ रुपये	(xxix)	₹ 2,451 crore towards South Eastern Railway Mission 3000 MT Bridge Rehabilitation/Rebuilding.
(xxx)	दक्षिण पश्चिम रेलवे मिशन 3000 एमटी पुल के पुनरुद्धार/पुनर्निर्माण के लिए 117 करोड़ रुपये।	(xxx)	₹ 117 crore towards South Western Railway Mission 3000 MT Bridge Rehabilitation/Rebuilding.
(xxxi)	पश्चिम रेलवे पर 160 किमी/घंटा मार्गों पर रोड ओवर ब्रिज/रोड अंडर ब्रिज के निर्माण के लिए 465 करोड़ रुपये;	(xxxi)	₹ 465 crore towards Construction of Road Over Bridge/ Road Under Bridge on 160 km/h routes on Western Railway.
(xxxii)	गुजरात अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, महाराष्ट्र रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और पश्चिम रेलवे पर गोल्डन डायगोनल -गोल्डन क्वाड्रिलेटल मार्गों पर रोड ओवर ब्रिज / रोड अंडर ब्रिज के निर्माण के लिए 600 करोड़ रुपये;	(xxxii)	₹600 crore towards Construction of Road Over Bridge/ Road Under Bridge on Gujarat Urban Development Company Limited, Maharashtra Rail Infrastructure Development Corporation Limited, Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited and Golden Diagonal -Golden Quadrilateral routes on Western Railway.
(xxxiii)	मध्य रेलवे पर रोड ओवर ब्रिज/रोड अंडर ब्रिज के निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपये।	(xxxiii)	₹500 crore towards Construction of Road Over Bridge/ Road Under Bridge on Central Railway.
(xxxiv)	उत्तर रेलवे पर रोड ओवर ब्रिज/रोड अंडर ब्रिज के निर्माण के लिए 900 करोड़ रुपये	(xxxiv)	₹ 900 crore towards Construction of Road Over Bridge/ Road Under Bridge on Northern Railway.
(xxxv)	उत्तर पश्चिम रेलवे पर रोड ओवर ब्रिज/रोड अंडर ब्रिज के निर्माण के लिए 300 करोड़ रुपये।	(xxxv)	₹ 300 crore towards Construction of Road Over Bridge/ Road Under Bridge on North Western Railway.
(xxxvi)	पूर्व रेलवे पर रोड ओवर ब्रिज/रोड अंडर ब्रिज के निर्माण के लिए 306 करोड़ रुपये।	(xxxvi)	₹ 306 crore towards Construction of Road Over Bridge/ Road Under Bridge on Eastern Railway.
(xxxvii)	आईजीओटी मिशन कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के लिए डिजिटल रेलवे शिक्षण सामग्री के निर्माण के लिए 60 करोड़ रुपये	(xxxvii)	₹ 60 crore towards creation of digitised railway learning contents for iGOT mission Karmayogi platform.
(xxxviii)	भारतीय रेलवे पर स्टेशनों के मुख्य उन्नयन के लिए ₹ 25,000 करोड़ (चरण- III)	(xxxviii)	₹ 25,000 crore towards Major upgradation of stations on Indian Railways (phase-III).
(xxxix)	भारतीय रेलवे पर बचे हुए गैर-विद्युतीकृत खंडों के विद्युतीकरण की लागत के लिए ₹900 करोड़;	(xxxix)	₹900 crore towards cost of electrification of left over un-electrified sections over Indian Railways.
(xl)	साइड एंटी कोचों के साथ 2000 आईसीएफ कोचों को न्यू मॉडिफाइड गुड्स हाई स्पीड (एनएमजीएचएस) में बदलने के लिए ₹500 करोड़।	(xl)	₹500 crore towards conversion of 2000 ICF coaches into New Modified Goods High Speed (NMGHS) with side entry coaches.
(xli)	दक्षिण रेलवे पर थ्रू ब्रिज स्लीपर रिन्यूवल (एच-बीम), थ्रू टर्नआउट रिन्यूवल (टीटीआर) लेआउट/अलाइनमेंट करेक्शन, वक्रों का पुनर्निर्धारण (रीअलाइनमेंट ऑफ कर्व्स) और अन्य विविध कार्यों जैसे ट्रैक नवीनीकरण कार्यों के लिए ₹ 119.98 करोड़ और	(xli)	₹ 119.98 crore towards Track Renewal works like Through Bridge Sleeper Renewal (H- Beam), Through Turnout Renewal (TTR)Layout/Alignment Corrections, Realignment of Curves and other miscellaneous works on Southern Railway and
(xlii)	उत्तर रेलवे पर प्राइमरी ट्रैक रिन्यूअल नामतः कंप्लीट ट्रैक रिन्यूवल (सीटीआर) और थ्रू रेल रिन्यूवल (टीआरआर) के लिए ₹ 265.72 करोड़।	(xlii)	₹ 265.72 crore towards Primary Track Renewal namely Complete Track Renewal (CTR) & Through Rail Renewal (TRR) on Northern Railway.
	अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, (ii) से (xlii) में सूचीबद्ध मदों में नकद व्यय नहीं होगा।		Taking into account the savings available within the same section of the Grant, items listed at (ii) to (xlii) will not entail cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 86 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 105 देखिये)

(See page 105 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	22584.19	22584.19
पूंजी	Capital	5.00	369171.14	369176.14
जोड़	Total	5.00	391755.33	391760.33
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	10.00	10.00
पूंजी	Capital	...	37117.64	37117.64
जोड़	Total	...	37127.64	37127.64
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	5.00	428882.97	428887.97
राजस्व	Revenue	...	22594.19	22594.19
पूंजी	Capital	5.00	406288.78	406293.78
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3055-सड़क परिवहन	3055-Road Transport	...	10.00 (का)	10.00
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4552-पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	4552-Capital Outlay on North Eastern Areas	...	2940.00 (खब)	2940.00
5054-सड़क और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	5054-Capital Outlay on Roads and Bridges	...	34177.64 (गक)	34177.64
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	37117.64	37117.64
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	37127.64	37127.64
टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !				
Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.				
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
3055-सड़क परिवहन	3055-Road Transport	...	(-)10.00	(-)10.00
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
5054-सड़क और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	5054-Capital Outlay on Roads and Bridges	...	(-)18558.82	(-)18558.82
	Total (Supplementary)	...	-18568.82	-18568.82
यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:				
The supplementary Grants are required for:				
(क)	(i) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को संवितरण के लिए सार्वजनिक सड़क परिवहन पर महिलाओं की सुरक्षा के तहत सामान्य सहायता अनुदान (10 करोड़ रुपये)। (ii) राज्य सड़क परिवहन निगमों को सहायता के तहत एसटीयू द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर सामान्य सहायता अनुदान (₹. 25 करोड़)। (iii) भारत में दुर्घटनाओं और मौतों को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा योजना के लिए बाहरी सहायता प्राप्त योजनाओं के संबंध में समकक्ष निधियों के साथ-साथ राज्य सहायता कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक नए शीर्ष खोले जाएंगे। अनुदान के एक ही खंड में उपलब्ध बचत और वसूली (10 करोड़ रुपये) से समतुल्य व्यय को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।	(a)	(i) Grants-in-aid General under Safety of Women on Public Road Transport for disbursement to States/UTs (₹ 10 crore). (ii) Grants-in-aid General on the basis of proposals submitted by STUs under Assistance to State Road Transport Corporations (₹ 25 crore). (iii) New heads to be opened for Road Safety Scheme to reduce accident and fatalities in India in respect of Externally Aided Schemes- World Bank & Asian Development Bank for State Support Programme along with Counterpart Funds. Taking into account the saving available within the same Section of the Grant and expenditure to be matched by recoveries (₹ 10 crore), this will not entail any cash outgo.	
(ख)	(i) एनईए के लिए सीमा सड़क विकास बोर्ड के तहत चल रहे कार्यों के लिए ठेकेदार को भुगतान के लिए प्रमुख कार्यों पर अतिरिक्त व्यय - राष्ट्रीय निवेश कोष (20 करोड़ रुपये) से वित्तपोषित। (ii) एनईए के लिए रोड विंग के तहत सड़क विकास कार्यों के लिए प्रमुख कार्यों पर अतिरिक्त व्यय - राष्ट्रीय निवेश कोष से वित्तपोषित (2920 करोड़ रुपये)। उपरोक्त व्यय में नकद व्यय शामिल होगा;	(b)	(i) Additional expenditure on Major Works for ongoing works under Border Road Development Board for NEA - financed from National Investment Fund (₹ 20 crore). (ii) Additional expenditure on Major Works for Road Development Works under Road Wing for NEA- financed from National Investment Fund (₹ 2920 crore). The above expenditure will entail a cash outgo;	

<p>(ग) (i) सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (13500 करोड़ रुपये) से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचआई) में निवेश। (ii) परमानेंट ब्रिज शुल्क निधि (पीबीएफएफ) से निवेश के तहत अतिरिक्त खर्च को पूरा करना (4090.62 रुपये)। (iii) बाहरी सहायता योजना के तहत प्रमुख कार्यों पर अतिरिक्त व्यय - विश्व बैंक, हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना (74 करोड़ रुपये)। (iv) अन्य योजनाओं (जीबीएस) के तहत प्रमुख कार्यों पर अतिरिक्त व्यय (836 करोड़ रुपये)। (v) राष्ट्रीय राजमार्गों के तहत सामान्य घटक के लिए प्रमुख कार्यों पर अतिरिक्त व्यय मूल कार्य - सीआरआईएफ से वित्तपोषित (6266.40 करोड़ रुपये)। (vi) अंतर्राज्यीय या आर्थिक महत्व की सड़कों के अंतर्गत प्रमुख कार्यों पर अतिरिक्त व्यय (100 करोड़ रुपये)। (vii) विदेशी सहायता प्राप्त योजनाओं के लिए प्रमुख कार्यों पर अतिरिक्त व्यय - विश्व बैंक, हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना (जीएनएचसीपी) काउंटरपार्ट फंड (51 करोड़ रुपये) के तहत। (viii) वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संपर्क (एनएच और राज्य सड़कों) के विकास के तहत जनजातीय क्षेत्र उप योजना के प्रमुख कार्यों पर अतिरिक्त व्यय (61 करोड़ रुपये)। (ix) टीएसपी घटक के लिए भारतमाला परियोजना के तहत प्रमुख कार्यों पर अतिरिक्त व्यय - सीआरआईएफ से वित्तपोषित (2250 करोड़ रुपये)। (x) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचआई) के लिए सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (सीआरआईएफ) में इंटर एकाउंट ट्रांसफर (13500 रुपये)। (xi) अन्य राष्ट्रीय राजमार्ग योजनाओं (8033.82 करोड़ रुपये) के लिए सीआरआईएफ को अंतर खाता अंतरण। (xii) अंतर खाता अंतरण स्थायी ब्रिज शुल्क निधि (पीबीएफएफ) (4085 करोड़ रुपये)। (xiii) उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय निवेश कोष में अंतर खाता अंतरण (2940 करोड़ रुपये)।</p> <p>अनुदान के एक ही खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, वसूली (18558.82 करोड़ रुपये) से मिलान किए जाने वाले व्यय, अनुदान की राजस्व खंड (639.91 करोड़ रुपये) के तहत उपलब्ध बचत का अभ्यर्पण, यह एक शुद्ध नकद व्यय होगा (14978.91 करोड़ रुपये)।</p>	<p>(c) (i) Investment in National Highways Authority of India (NHAI) from Central Road and Infrastructure Fund (₹ 13500 crore). (ii) Meeting additional expenditure under Investment from Permanent Bridge Fee Fund (PBFF) (₹ 4090.62 crore). (iii) Additional expenditure on Major Works under Externally Aided Scheme – World Bank, Green National Highways Corridor Project (₹ 74 crore). (iv) Additional expenditure on Major Works under Other Schemes (GBS) (₹ 836 crore). (v) Additional expenditure on Major Works for General Component under National Highways Original Works - Financed from CRIF (₹ 6266.40 crore). (vi) Additional expenditure on Major Works under the Roads of Inter State or Economic Importance (₹ 100 crore). (vii) Additional expenditure on Major Works for Externally Aided Schemes - World Bank, Green National Highways Corridor Project (GNHCP) under Counterpart Fund (₹ 51 crore). (viii) Additional expenditure on Major Works for Tribal Area Sub Plan under Development of Road connectivity (NH and State Roads) in Left Wing Extremist Affected Areas (₹ 61 crore). (ix) Additional expenditure on Major Works under Bharatmala Pariyojana for TSP component-Financed from CRIF (₹ 2250 crore). (x) Inter Account Transfer to Central Road and Infrastructure Fund (CRIF) meant for National Highways Authority of India (NHAI) (₹ 13500 crore). (xi) Inter Account Transfer to CRIF meant for other National Highways schemes (₹ 8033.82 crore). (xii) Inter Account Transfer to Permanent Bridges Fees Fund (PBFF) (₹ 4085 crore). (xiii) Inter Account Transfer to National Investment Fund meant for North East Region (₹ 2940 crore).</p> <p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, expenditure to be matched by recoveries (₹ 18558.82 crore), surrendering of savings available under Revenue Section of Grants (₹ 639.91 crore), this will entail a net cash outgo (₹ 14978.91 crore).</p>
---	--

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 87

ग्रामीण विकास विभाग

DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 106 देखिये)

(See page 106 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	247944.29	247944.29
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	247944.29	247944.29
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	89999.50	89999.50
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	89999.50	89999.50
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	337943.79	337943.79
राजस्व	Revenue	...	337943.79	337943.79
पूंजी	Capital
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	2501-Special Programmes for Rural Development	...	0.01	(का) 0.01
2505-ग्रामीण रोजगार	2505-Rural Employment	...	27880.00	(खब) 27880.00
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	2.43	(गक) 2.43
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	62116.47	(घद) 62116.47
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	0.59	(डे) 0.59
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	89999.50	89999.50
टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !				
Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.				
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
2505-ग्रामीण रोजगार	2505-Rural Employment	...	(-)11480.00	(-)11480.00
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	(-)33342.00	(-)33342.00
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	(-)44822.00	(-)44822.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) महिला उद्यम त्वरण निधि हेतु 'दीनदयाल अंत्योदय योजना (डीएवाई-एनआरएलएम)' के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (9.99 करोड़ रुपये)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(ख) (i) 'राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष' (एनईजीएफ) के लिए 16,400 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि; और (ii) 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी' योजना के अंतर्गत पूंजीगत आस्ति के सृजन के लिए 11,480 करोड़ रुपये के अनुदान का प्रावधान। चूंकि 'राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष' से प्राप्त राशि 11,480 करोड़ रुपये हैं, इसके लिए 16,400 करोड़ रुपये का अतिरिक्त नकद व्यय होगा।

(ग) 'श्यामा प्रसाद मुखर्जी ग्रामीण-शहरी मिशन' (एसपीएमआरएम) के लिए सामान्य सहायता अनुदान के रूप में अतिरिक्त धनराशि (85.84 करोड़ रुपये) का प्रावधान; । अनुदान के इसी भाग में 83.41 करोड़ रुपये की उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, इसमें 2.43 करोड़ रुपये का अतिरिक्त नकद व्यय होगा।

The supplementary Grants are required for:

(a) meeting additional expenditure for 'Deendayal Antayodaya Yojna (DAY-NRLM)' towards grants-in-aid-general (₹ 9.99 crore) for Women Enterprises Acceleration Fund. Taking into account savings available in same section of the Grant, a Token Supplementary is sought.

(b) (i) additional funds amounting ₹ 16,400 crore for 'National Employment Guarantee Fund' (NEGF); and (ii) provision of ₹ 11,480 crore towards grants for creation of capital assets under 'Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee' scheme. Since the amount of ₹ 11,480 crore is to be met from 'National Employment Guarantee Fund', this will entail additional cash outgo of ₹ 16,400 crore.

(c) provision of additional funds (₹ 85.84 crore) as grants-in-aid-general for 'Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission' (SPMRM); Taking into account savings of ₹ 83.41 crore available in same section of the grant, this will entail additional cash outgo of ₹ 2.43 crore.

(घ)	(i) 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी' योजना के कार्यक्रम घटक के अंतर्गत 'राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष' से वित्तपोषित की जाने वाली पूंजीगत आस्ति (4,920 करोड़ रुपये) के सृजन के लिए अनुदान के व्यय के लिए अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान; (ii) प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण पर व्यय करने के लिए 28,422 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि 'केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि' (सीआरआईएफ) से प्राप्त होगी। पीएमएवाई-आर हेतु भारत की आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिम के लिए 13,000 करोड़ रुपये की वसूल की जाने वाली राशि; (iii) 'श्यामा प्रसाद मुखर्जी ग्रामीण-शहरी मिशन' (एसपीएमआरएम) हेतु अतिरिक्त व्यय करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (352.47 करोड़ रुपये); और (iv) 'इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन' योजना के लिए अतिरिक्त धनराशि (37.78 करोड़ रुपये) के लिए सामान्य सहायता अनुदान। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध 37.78 करोड़ रुपये की बचतों को ध्यान में रखते हुए, इसमें 28,774.47 करोड़ रुपये का अतिरिक्त नकद व्यय होगा, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लिए 28,422 करोड़ रुपये व्यय के रूप में केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि से तथा 4920 करोड़ रुपये 'राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष' से प्राप्त होंगे।	(d)	(i) provision of additional funds to incur expenditure towards grant for creation of capital assets (₹ 4,920 crore) under programme component of 'Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee' scheme to be financed from 'National Employment Guarantee Fund'; (ii) additional funds amounting to ₹ 28,422 crore for incurring expenditure on Pradhan Mantri Awas Yojana-Rural to be met from 'Central Road and Infrastructure fund' (CRIF). ₹ 13,000 crore being the amount to be recouped against advance taken from Contingency Fund of India for PMAY-R; (iii) for incurring additional expenditure on 'Shyama Prasad Mukherjee Rurban Mission'(SPMRM) towards grants-in-aid-general (₹ 352.47 crore); and (iv) additional funds (₹ 37.78 crore) for 'Indira Gandhi National Old Age Pension' scheme towards grants-in-aid-general. Taking into account savings of ₹ 37.78 crore available in same section of the grant, this will entail additional cash outgo of ₹ 28,774.47 crore, as the expenditure of ₹ 28,422 crore is to be met from 'Central Road and Infrastructure Fund' for Pradhan Mantri Awas Yojana-Rural and ₹ 4920 crore to be met from 'National Employment Guarantee Fund'.
(ङ)	'श्यामा प्रसाद मुखर्जी ग्रामीण-शहरी मिशन' (एसपीएमआरएम) के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹. 0.59 करोड़) के व्यय के लिए अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान। इससे नकद व्यय होगा।	(e)	provision of additional funds to incur expenditure towards grants-in-aid-general (₹ 0.59 crore) under 'Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission' (SPMRM). This will entail cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 88

भूमि संसाधन विभाग

DEPARTMENT OF LAND RESOURCES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 107 देखिये)

(See page 107 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2259.34	2259.34
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	2259.34	2259.34
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	10.25	0.02	10.27
पूंजी	Capital
जोड़	Total	10.25	0.02	10.27
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	10.25	2259.36	2269.61
राजस्व	Revenue	10.25	2259.36	2269.61
पूंजी	Capital

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:

		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	2501-Special Programmes for Rural Development	10.25 (का)	0.01 (खb)	10.26
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (गc)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	10.25	0.02	10.27

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) न्यायालय के आदेश को ध्यान में रखते हुए मध्यस्थता मामले से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए 10.25 करोड़ रुपये का प्रावधान। अनुदान के राजस्व भारित भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।
- (ख) संघ-राज्य क्षेत्र लद्दाख के लिए आदिवासी क्षेत्र उप योजना घटक हेतु सामान्य सहायता अनुदान के रूप में एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम पर व्यय के लिए 0.10 करोड़ रुपये की अतिरिक्त निधि; अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ग) पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए आदिवासी क्षेत्र उप योजना घटक पर व्यय के लिए एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम पर व्यय हेतु 18 करोड़ रुपये की अतिरिक्त निधि; अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

- (a) provision of ₹ 10.25 crore towards meeting expenditure related to arbitration case in view of court decree. Taking into account savings available in revenue voted section of the grant, this will not entail cash outgo.
- (b) additional fund of ₹ 0.10 crore for expenditure on Integrated Watershed Development Program as grants-in-aid-general for tribal area sub plan component for Union Territory of Ladakh; Taking into account savings available in same section of the grant, a token supplementary is sought.
- (c) additional fund of ₹ 18 crore for expenditure on Integrated Watershed Development Program towards expenditure on tribal area sub plan component for North Eastern Areas; Taking into account savings available in same section of the grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 89

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 108 देखिये)

(See page 108 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.02	5919.48	5919.50
पूंजी	Capital	...	82.70	82.70
जोड़	Total	0.02	6002.18	6002.20
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.02	6002.19	6002.21
राजस्व	Revenue	0.02	5919.49	5919.51
पूंजी	Capital	...	82.70	82.70
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	3425-Other Scientific Research	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

निम्नलिखित के लिए व्यय पूरा करने हेतु (i) प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के लिए सामान्य सहायता अनुदान (95.30 करोड़ रुपये) और वेतन सहायता अनुदान (4.70 करोड़ रुपये) ; और (ii) विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थागत और मानव क्षमता निर्माण योजना के तहत 'अन्य शुल्क' (30 करोड़ रुपये) और 'छात्रवृत्ति' (220.00 करोड़ रुपये)। इसमें परिशिष्ट 10 के साथ पठित जीएफआर 2017 के नियम 61 और 69 के तहत संस्वीकृत 65 करोड़ रुपये के व्यय का नियमितीकरण भी शामिल है।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grant is required for:

meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General (₹ 95.30 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹ 4.70 crore) for Technology Development Board; and (ii) 'Other Charges' (₹ 30 crore) and 'Scholarship' (₹ 220.00 crore) under the scheme Science and Technology Institutional and Human Capacity Building. It also includes regularization of expenditure of ₹ 65 crore sanctioned under Rules 61 and 69 of GFRs 2017 read with Appendix 10. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 91

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग

DEPARTMENT OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 110 देखिये)

(See page 110 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	5623.96	5623.96
पूंजी	Capital	...	12.50	12.50
जोड़	Total	...	5636.46	5636.46
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	313.65	313.65
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	313.66	313.66
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	5950.12	5950.12
राजस्व	Revenue	...	5937.61	5937.61
पूंजी	Capital	...	12.51	12.51
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	3425-Other Scientific Research	...	313.65 (का)	313.65
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4859-दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	4859-Capital Outlay on Telecommunication and Electronic Industries	...	0.01 (खब)	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	313.66	313.66

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) (i) राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के तहत सीएसआईआर के लिए सामान्य सहायता अनुदान (137.33 करोड़ रुपये), अनुसंधान योजनाओं, छात्रवृत्ति और फैलोशिप (104 करोड़ रुपये) और सीईएल (पीएसई) को अनुसंधान एवं विकास योजनाओं के लिए समर्थन (3.18 करोड़ रुपये) (ii) राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के तहत सीएसआईआर के लिए पूंजीगत आसक्ति के निर्माण के लिए अनुदान (70 करोड़ रु.) और (iii) एपीसीटीटी (यूएन निकाय) में योगदान (0.50 करोड़ रु.)। अनुदान के पूंजी खंड में उपलब्ध 8.50 करोड़ रुपए की बचत को ध्यान में रखते हुए और अनुदान के उसी खंड के अंतर्गत बचत का उपयोग करने के पश्चात् उक्त व्यय 305.15 करोड़ रुपए का नकद बहिर्गमन होगा.

(ख) सीईएल (1.50 करोड़ रुपये) के निवेश के लिए व्यय को पूरा करना। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grants are required for:

(a) meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General for CSIR under National Laboratories (₹ 137.33 crore), Research Schemes, Scholarships and fellowships (₹ 104 crore) and support for R&D schemes to CEL (PSE) (₹ 3.18 crores) (ii) Grants for Creation of Capital Assets for CSIR under National Laboratories (₹ 70 crore) and (iii) Contribution to APCTT (UN Body) (₹ 0.50 crore). Taking into account the savings of ₹ 8.50 crore available in the Capital Section of the Grant, and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 305.15 crore.

(b) meeting expenditure towards Investments of CEL (₹ 1.50 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 93

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग

DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 112 देखिये)

(See page 112 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	11687.51	11687.51
पूंजी	Capital	...	235.00	235.00
जोड़	Total	...	11922.51	11922.51
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	1100.00	1100.00
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	1100.00	1100.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	13022.51	13022.51
राजस्व	Revenue	...	12787.51	12787.51
पूंजी	Capital	...	235.00	235.00

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>		<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	2225-Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities	...	950.00	(का)	950.00
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare	...	150.00	(खब)	150.00
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	1100.00		1100.00

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare	...	(-)150.00		(-)150.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) (1) योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (i) मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्यवाई (नमस्ते) योजना (₹70 करोड़) और (ii) अनुसूचित जातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएससी) (950 करोड़ रुपये) (2) छात्रवृत्ति / स्टडिपेंड फॉर (i) टॉप क्लास स्कूल (₹178.75 करोड़) और टॉप क्लास कॉलेज (₹383.65 करोड़) पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम के तहत (ii) एससी के लिए यंग अचीवर्स स्कीम (श्रेयस) के लिए उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति की योजना में एससी के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति (₹14 करोड़) और (iii) पीएम केयर चिल्ड्रन स्कीम के लिए छात्रवृत्ति (₹10 करोड़)।

950 करोड़ रुपये की बचत के अभ्युदय को ध्यान में रखते हुए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के साथ-साथ अनुदान के राजस्व खंड में उपलब्ध बचत, उपरोक्त व्यय के लिए कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

(ख) अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई) के तहत आवश्यक अतिरिक्त राशि (150 करोड़ रुपये)
150 करोड़ रुपये की राशि को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष (एससीडब्ल्यूएफ) से मिलेंगे, उपरोक्त खर्च के लिए कोई अतिरिक्त नकद खर्च नहीं करना होगा;

The supplementary Grants are required for:

(a) (1) Grants in Aid General under the scheme (i) National Action for Mechanized Sanitation Ecosystem (NAMASTE) Scheme (₹ 70 crore) and (ii) Development Action Plan for SCs (DAPSC) (₹ 950 crore) (2) Scholarship/Stipend for (i) Top Class Schools (₹ 178.75 crore) and Top Class Colleges (₹ 383.65 crore) under the Scheme for PM Young Achievers Scholarship Award Scheme (ii) National Overseas Scholarship for SCs (₹ 14 crore) in the scheme of Scholarship for Higher Education for Young Achievers Scheme (SHREYAS) for SCs and (iii) Scholarship for PM CARES Children scheme (₹ 10 crore)

Taking into account the surrender of savings of ₹ 950 crore by different Ministries/Departments under Minor Head 789-Scheduled Castes Sub Plan (SCSP) as well as available savings in Revenue section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

Additional amount required under the scheme Atal Vayo Abhyuday Yojana (AVYAY) (₹ 150 crore)

Taking into account the amount of ₹ 150 crore to be met from Senior Citizen Welfare Fund (SCWF), the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 95

अंतरिक्ष विभाग

DEPARTMENT OF SPACE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 114 देखिये)

(See page 114 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.60	6233.80	6234.40
पूंजी	Capital	0.40	7465.20	7465.60
जोड़	Total	1.00	13699.00	13700.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	0.60	0.01	0.61
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	0.60	0.02	0.62
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1.60	13699.02	13700.62
राजस्व	Revenue	1.20	6233.81	6235.01
पूंजी	Capital	0.40	7465.21	7465.61
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3402-अंतरिक्ष अनुसंधान	3402-Space Research	0.60	(का) 0.01	(खb) 0.61
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5402-अंतरिक्ष अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय	5402-Capital Outlay on Space Research	...	0.01	(गc) 0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	0.60	0.02	0.62

यह पूरक अनुदाने/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र हेतु भारत की आकस्मिकता निधि से आहरित अग्रिम की प्रतिपूर्ति के व्यय पूरा करने के लिए (0.60 करोड़ रुपये)।

अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय के लिए कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

(ख) निम्नलिखित के व्यय को पूरा करने हेतु (i) रेस्पॉन्ड के लिए सामान्य सहायता अनुदान (4.95 करोड़ रुपये) और (ii) भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (6.20 करोड़ रुपये) और राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला (1.07 करोड़ रुपये) के लिए वेतन सहायता अनुदान अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(ग) निम्नलिखित के व्यय को पूरा करने हेतु (i) निवेश के रूप में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को 10 इन-ऑर्बिट उपग्रहों के स्वामित्व के अंतरण के लिए व्यय को पूरा करने के लिए 4696.60 करोड़ रुपये (ii) सॉलिड प्रोपेलेंट स्पेस बूस्टर प्लांट (4 करोड़ रुपये) के मुख्य कार्य और (iii) भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (9.49 करोड़ रुपये) के आईटी - एम एवं ई और मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र (8.15 करोड़ रुपये)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

(a) meeting expenditure towards Vikram Sarabhai Space Centre (₹ 0.60 crore) for recoupment of advance drawn from the Contingency Fund of India.

Taking into account the surrender of savings available in the Voted Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

(b) meeting expenditure towards (i) Grant-in-Aid General to RESPOND (₹ 4.95 Crore) and (ii) Grant-in Aid-Salaries to Physical Research Laboratory (₹ 6.20 Crore) and National Atmospheric Research Laboratory (₹ 1.07 Crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(c) meeting expenditure towards (i) transfer of ownership of 10 in-orbit satellites to New Space India Ltd. of ₹ 4696.60 Crore as Investment (ii) Major Works to Solid Propellant Space Booster Plant (₹ 4 Crore) and (iii) IT - M&E of Indian National Space Promotion and Authorisation Centre (₹ 9.49 Crore) & Human Spaceflight Centre (₹ 8.15 Crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 96

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 115 देखिये)

(See page 115 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	5378.08	5378.08
पूंजी	Capital	...	20.00	20.00
जोड़	Total	...	5398.08	5398.08
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	5398.09	5398.09
राजस्व	Revenue	...	5378.09	5378.09
पूंजी	Capital	...	20.00	20.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3454-जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	3454-Census Surveys and Statistics	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

भारतीय सांख्यिकी संस्थान के लिए सामान्य सहायता अनुदान के व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 38.40 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

meeting expenditure towards Grants in Aid General for Indian Statistical Institute (₹ 38.40 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 97

इस्पात मंत्रालय

MINISTRY OF STEEL

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 116 देखिये)

(See page 116 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	47.00	47.00
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	47.00	47.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	10.72	10.72
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	10.72	10.72
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	57.72	57.72
राजस्व	Revenue	...	57.72	57.72
पूंजी	Capital
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2852-उद्योग	2852-Industries	...	10.72	10.72

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

'भारत में व्यापारिक जहाजों को हरी झंडी दिखाना' योजना के तहत सब्सिडी (12.00 करोड़ रुपये)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए इस पर नकद व्यय (10.72 करोड़ रुपये) होगा।

The supplementary Grant is required for:

Subsidies (₹ 12.00 crore) under the scheme 'Flagging of Merchant Ships in India'.
Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo (₹ 10.72 crore).

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 98

वस्त्र मंत्रालय

MINISTRY OF TEXTILES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 117 देखिये)

(See page 117 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	12357.11	12357.11
पूंजी	Capital	...	25.03	25.03
जोड़	Total	...	12382.14	12382.14
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.03	0.03
पूंजी	Capital	...	6.50	6.50
जोड़	Total	...	6.53	6.53
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	12388.67	12388.67
राजस्व	Revenue	...	12357.14	12357.14
पूंजी	Capital	...	31.53	31.53
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552-पूर्वांतर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (का)	0.01
2851-ग्राम एवं लघु उद्योग	2851-Village and Small Industries	...	0.01 (खब)	0.01
2852-उद्योग	2852-Industries	...	0.01 (गक)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.03	0.03
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4851-ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	4851-Capital Outlay on Village and Small Industries	...	6.50 (घद)	6.50
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	6.53	6.53

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) (i) 'राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम' योजना के तहत पूंजीगत आस्ति के निर्माण के लिए अनुदान (7.77 करोड़ रुपये), (ii) 'राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (2.00 करोड़ रुपये)', (iii) सामान्य सहायता अनुदान (0.50 करोड़ रुपये) और पूंजीगत आस्ति के निर्माण के लिए अनुदान (6.50 करोड़ रुपये) 'पूर्वांतर में भू टेक्सटाइल के उपयोग के लिए योजना' और (iv) अनुदान- 'सेंट्रल सिल्क बोर्ड' योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (5.78 करोड़ रुपये) और पूंजीगत आस्ति के निर्माण के लिए (0.35 करोड़ रुपये)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(ख) (i) 'राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम' योजना के तहत पूंजीगत आस्ति (₹. 26.36 करोड़) के निर्माण के लिए अनुदान, (ii) 'कच्चा माल आपूर्ति योजना' योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹. 25.00 करोड़), (iii) 'हथकरघा संरक्षण और हथकरघा कार्यान्वयन (उत्पादन के लिए वस्तुओं का भंडारण)' योजना के तहत सहायता अनुदान वेतन (1.50 करोड़ रुपये) और पूंजीगत आस्ति के निर्माण के लिए अनुदान (0.10 करोड़ रुपये) अधिनियम, 1985', (iv) व्यावसायिक सेवाएं (0.30 करोड़ रुपये), सामान्य सहायता अनुदान (15.85 करोड़ रुपये) और 'हस्तकला क्लस्टर विकास कार्यक्रम' योजना के तहत पूंजीगत आस्ति के निर्माण के लिए अनुदान (5.00 करोड़ रुपये) - हैंडीक्राफ्ट मेगा क्लस्टर', (v) 'राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी)' योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (22.00 करोड़ रुपये) और पूंजीगत आस्ति के निर्माण के लिए अनुदान (5.00 करोड़ रुपये), (vi) पूंजीगत आस्ति के निर्माण के लिए अनुदान (6.06 करोड़ रुपये), सहायता वेतन अनुदान (58.57 करोड़ रुपये) और 'केंद्रीय रेशम बोर्ड' योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (5.44 करोड़ रुपये)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grants are required for:

(a) (i) Grants for Creation of Capital Assets (₹ 7.77 crore) under the scheme 'National Handloom Development Programme', (ii) Grants-in-aid General (₹ 2.00 crore) under the scheme 'National Handicrafts Development Programme (NHDP)', (iii) Grants-in-aid General (₹ 0.50 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 6.50 crore) under the scheme 'Scheme for Usage of Geotextiles in North East' and (iv) Grants-in-aid General (₹ 5.78 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 0.35 crore) under the scheme 'Central Silk Board'.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) (i) Grants for Creation of Capital Assets (₹ 26.36 crore) under the scheme 'National Handloom Development Programme', (ii) Grants-in-aid General (₹ 25.00 crore) under the scheme 'Raw Material Supply Scheme', (iii) Grants-in-aid Salaries (₹ 1.50 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 0.10 crore) under the scheme 'Scheme for Protection of the Handlooms and Implementation of the Handlooms (Reservation of Articles for Production) Act, 1985', (iv) Professional Services (₹ 0.30 crore), Grants-in-aid General (₹ 15.85 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 5.00 crore) under the scheme 'Handicraft Cluster Development Program - Handicraft Mega Cluster', (v) Grants-in-aid General (₹ 22.00 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 5.00 crore) under the scheme 'National Handicrafts Development Programme (NHDP)', (vi) Grants for Creation of Capital Assets (₹ 6.06 crore), Grants-in-aid Salaries (₹ 58.57 crore) and Grants-in-aid General (₹ 5.44 crore) under the scheme 'Central Silk Board'.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(ग)	(i) सामान्य सहायता अनुदान (0.90 करोड़ रुपये) और सहायता अनुदान वेतन (33.89 करोड़ रुपये) 'कपड़ा समिति के लिए सहायक' योजना के तहत, (ii) सामान्य सहायता अनुदान (5.00 करोड़ रुपये) 'आर एंड डी टेक्स्टाइल्स' योजना के तहत, (iii) सामान्य सहायता अनुदान (252.83 करोड़ रुपये) 'पीएसयू को सहायता' योजना के तहत, (iv) लघु कार्य (0.84 करोड़ रुपये) और कार्यालय 'कपड़ा आयुक्त' योजना के तहत व्यय (0.10 करोड़ रुपये) और (v) 'जूट आयुक्त' योजना के तहत कार्यालय व्यय (0.13 करोड़ रुपये)।	(c)	(i) Grants-in-aid General (₹ 0.90 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹ 33.89 crore) under the scheme 'Assistant to Textile Committee', (ii) Grants-in-aid General (₹ 5.00 crore) under the scheme 'R & D Textiles', (iii) Grants-in-aid General (₹ 252.83 crore) under the scheme 'Support to PSU's', (iv) Minor Works (₹ 0.84 crore) and Office Expenses (₹ 0.10 crore) under the scheme 'Textile Commissioner' and (v) Office Expenses (₹ 0.13 crore) under the scheme 'Jute Commissioner'.
(घ)	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। (i) 'विकास आयुक्त (हथकरघा)' योजना के तहत प्रमुख कार्य (5.00 करोड़ रुपये) और (ii) 'राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी)' योजना के तहत प्रमुख कार्य (1.50 करोड़ रुपये)। अनुदान के राजस्व अनुभाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय के लिए कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा;	(d)	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. (i) Major Works (₹ 5.00 crore) under the scheme 'Development Commissioner (Handloom)' and (ii) Major Works (₹ 1.50 crore) under the scheme 'National Handicrafts Development Programme (NHDP)'. Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 100

जनजातीय कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 119 देखिये)

(See page 119 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	4620.35	3781.57	8401.92
पूंजी	Capital	...	50.00	50.00
जोड़	Total	4620.35	3831.57	8451.92
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	9.00	9.00
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	9.00	9.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	4620.35	3840.57	8460.92
राजस्व	Revenue	4620.35	3790.57	8410.92
पूंजी	Capital	...	50.00	50.00

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2251-सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	2251-Secretariat-Social Services	...	3.80 (का)	3.80
2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	2225-Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities	...	5.20 (खब)	5.20
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	9.00	9.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) निम्नलिखित के लिए अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना: (i) 'वेतन' (1 करोड़ रुपये), (ii) कार्यालय व्यय (2.50 करोड़ रुपये) और (iii) गैर-योजना सचिवालय के तहत किराया दर और कर (0.30 करोड़ रुपये) अनुदान के पूंजीगत भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय के लिए कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा;

(ख) (1) निम्नलिखित के लिए व्यय की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना गैर-योजना "राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी)" के तहत (i) 'वेतन' (रु. 0.95 करोड़), और (ii) 'व्यवसायिक सेवाएं' (4.25 करोड़ रुपये) और (2) 'राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रशासनिक लागत' योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (2.05 करोड़ रुपये) और (3) निम्नलिखित योजना के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (i) प्रधान मंत्री जन जाति विकास मिशन (पीएमजेवीएम) (20 करोड़ रुपये) और (ii) जनजातीय अनुसंधान संस्था को सहायता (2 रुपये करोड़)। अनुदान के राजस्व (भारित) भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय के लिए कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा। भारत की आकस्मिकता निधि से संस्वीकृत रु. 4.25 करोड़ की प्रतिपूर्ति इस पूरक के माध्यम से की जाएगी।

The supplementary Grants are required for:

(a) Meeting the additional requirement for expenditure towards (i) 'Salaries' (1 crore), (ii) Office Expenses (2.50 crore) and (iii) Rent Rates & Taxes (₹ 0.30 crore) under the Non- scheme Secretariat. Taking into account the savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

(b) (1) Meeting the additional requirement for expenditure towards (i) 'Salaries' (₹ 0.95 crore), and (ii) 'Professional Services' (₹ 4.25 crore) under the Non- scheme "National Commission for Scheduled Tribes (NCST)" and (2) Grant in Aid General under the scheme 'Administrative Cost to States/ UTs. (₹ 2.05 crore) and (3) Grant for creation of capital assets under the Scheme (i) Pradhan Mantri Jan Jatiya Vikas Mission (PMJVM) (₹ 20 crore) and (ii) Support to Tribal Research Institute (₹ 2 crore). Taking into account the savings available in the Revenue (Charged) Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo. ₹ 4.25 crore sanctioned from Contingency Fund of India will be recouped through this Supplementary.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 101

महिला और बाल विकास मंत्रालय

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 120 देखिये)

(See page 120 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	25670.28	25670.28
पूंजी	Capital	...	2.00	2.00
जोड़	Total	...	25672.28	25672.28
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	25672.30	25672.30
राजस्व	Revenue	...	25670.30	25670.30
पूंजी	Capital	...	2.00	2.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare	...	0.01 (का)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (खब)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) (1) निम्नलिखित योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (i) राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान (एनआईपीसीसीडी) (1.50 करोड़ रुपये), (ii) राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग (एनसीपीसीआर) (3.68 करोड़ रुपये), (iii) राष्ट्रीय महिला आयोग - परिवार परामर्श केंद्र - (एनसीडब्ल्यू) (8.30 करोड़ रुपये) और (iv) केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड (सीएसडब्ल्यूबी) (21.48 करोड़ रुपये) और (v) महिला सुरक्षा लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त निधि, 31 जनवरी को एनसीडब्ल्यू के स्थापना दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी, घरेलू हिंसा पीड़ितों के आश्रय, देखभाल और पुनर्वास के लिए एक योजना का विकास और टीआईएसएस परियोजना "हिंसा मुक्त घर (जम्मू और कश्मीर और लद्दाख) (एनसीडब्ल्यू) (4.60 करोड़ रुपये) और (2) केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड (सीएसडब्ल्यूबी) योजना के तहत वेतन सहायता अनुदान (20.32 करोड़ रुपये)

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। भारत की आकस्मिकता निधि से संस्वीकृत 36.77 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति इस पूरक के माध्यम से की जाएगी।

(ख) निम्नलिखित योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (i) राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग (एनसीपीसीआर) (0.12 करोड़ रुपये) और (ii) राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) (0.40 करोड़ रुपये)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grants are required for:

(a) (1) Grant-in-Aid General under the scheme (i) National Institute of Public Cooperation and Child Development (NIPCCD) (₹ 1.50 crore), (ii) National Commission for Child Rights (NCPCCR) (₹ 3.68 Crore), (iii) National Commission for Women -Family Counselling Center -(NCW) (₹ 8.30 Crore) (iv) Central Social Welfare Board (CSWB) (₹ 21.48 crore) and (v) Additional fund required for conducting women's safety audit, International Seminar on foundation day of NCW on 31st January, Development of a scheme for shelter, care and Rehabilitation of Domestic Violence Victims and TISS Project "Violence Free home (J&K and Ladakh) (NCW) (₹ 4.60 crore) and (2) Grant in Aid Salary under the scheme Central Social Welfare Board (CSWB) (₹ 20.32 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. ₹ 36.77 sanctioned from Contingency Fund for India will be recouped through this Supplementary.

(b) Grant-in-Aid General under the scheme (i) National Commission for Child Rights (NCPCCR) (₹ 0.12 Crore) and (ii) National Commission for Women (NCW) (₹ 0.40 Crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 102

युवा मामले और खेल मंत्रालय

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 121 देखिये)

(See page 121 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	3057.28	3057.28
पूंजी	Capital	...	5.32	5.32
जोड़	Total	...	3062.60	3062.60
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	3062.62	3062.62
राजस्व	Revenue	...	3057.30	3057.30
पूंजी	Capital	...	5.32	5.32
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2204-खेल और युवा मामले	2204-Sports and Youth Services	...	0.01 (का)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (खब)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) निम्न हेतु अनुपूरक अनुदान अपेक्षित है: (i) (क) नेहरू युवा केंद्र संगठन (3.00 करोड़ रुपये), (ख) राष्ट्रीय युवा और वयस्क विकास कार्यक्रम (3.71 करोड़ रुपये), (ग) राष्ट्रीय खेल संघ (52.50 करोड़ रुपये) और (घ) राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (2.20 करोड़ रुपये) योजना के तहत सहायता अनुदान सामान्य (ii) (क) नेहरू युवा केंद्र संगठन (27.44 करोड़ रुपये), (ख) लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (14.00 करोड़ रुपये), (ग) भारतीय खेल प्राधिकरण (96.43 करोड़ रुपये) और (घ) राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (1.00 करोड़ रुपये) स्कीम के तहत सहायता अनुदान वेतन, (iii) नेहरू युवा केंद्र संगठन (1.00 करोड़ रुपये) स्कीमों के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान, (iv) राष्ट्रीय युवा और वयस्क विकास कार्यक्रम स्कीम के तहत अन्य प्रभार (0.24 करोड़ रुपये) और (v) राष्ट्रीय सेवा योजना स्कीम के तहत कार्यालय खर्च (2.00 करोड़ रुपये)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (ख) राष्ट्रीय युवा और वयस्क विकास कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (0.40 करोड़ रुपये)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) (i) Grant in aid General under the scheme (a) Nehru Yuva Kendra Sangathan (₹ 3.00 crore), (b) National Programme for Youth and Adolescent Development (₹ 3.71 crore), (c) National Sports Federation (₹ 52.50 crore) and (d) National Dope Test Laboratory (₹ 2.20 crore) (ii) Grant in Aid Salary under the scheme (a) Nehru Yuva Kendra Sangathan (₹ 27.44 crore), (b) Laxmibai National Institute of Physical Education (₹ 14.00 crore), (c) Sports Authority of India (₹ 96.43 crore) and (d) National Dope Test Laboratory (₹ 1.00 crore) (iii) Grants for creation of Capital Assets under the schemes Nehru Yuva Kendra Sangathan (₹ 1.00 crore), (iv) Other Charges under the scheme National Programme for Youth and Adolescent Development (₹ 0.24 crore) and (v) Office Expenses under the scheme National Service Scheme (₹ 2.00 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (b) Grant in aid General under the scheme National Programme for Youth and Adolescent Development (₹ 0.40 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.